सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2020 एवं मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
2022 की सं. 24

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2020 एवं मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
2022 की सं. 24

प्रतिवदेन संसद में प्रस्तुत किया गया :

लोक सभा -

राज्य सभा -

विषय सूची

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii-xiii
अध्याय-I : प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.2	1
योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन	1.3	2
लेखापरीक्षा कवरेज	1.4	2
सिविल मंत्रालयों/विभागों का बजट एवं व्यय नियंत्रण	1.5	3
मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ से अधिक की बचत	1.6	5
संघ शासित क्षेत्रों की लेखापरीक्षा	1.7	7
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) की लेखापरीक्षा	1.8	10
उपयोग प्रमाण-पत्र	1.9	11
लंबित एटीएन की स्थिति	1.10	12
लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर	1.11	13
अध्याय -II : संघीय मंत्रालय		
(I) विदेश मंत्रालय		
प्रावासी भारतीय नागरिकता कार्ड योजना हेतु शुल्क निर्धारण में गलत विनिमय दर लागू होने के कारण शुल्क का कम संग्रहण	2.1	15
वाशिंगटन तथा पेरिस में भारतीय मिशनों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना में अनियमितताएं	2.2	20
लागत वृद्धि तथा ब्याज का परिहार्य भुगतान	2.3	30
अनुचित निविदा प्रक्रिया को अपनाने के अलावा निविदा के अंतर्गत कार्य की पहचान की गई मदों से मनमाने ढंग से विचलन लागत वृद्धि का कारण बना	2.4	38

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
पासपोर्ट परित्याग हेतु प्रभारित अधिक शुल्क	2.5	44
(II) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय		
राष्ट्रीय डेयरी योजना के तहत कृत्रिम सेचन (एआई) उप परियोजना के अनुचित अनुमोदन के कारण निष्फल व्यय	2.6	46
(III) गृह मंत्रालय		
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, डीएमआरसी		
मकान किराया भत्ता के कारण अधिक छूट	2.7	50
सशस्त्र सीमा बल		
भूमि अधिग्रहण पर ब्याज का परिहार्य भुगतान	2.8	52
(IV) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय		
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग		
निष्फल व्यय	2.9	55
अध्याय -III : विधायिकारहित केंद्र शासित क्षेत्र		
(ए) व्यय		
(I) अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन		
किराया मुक्त आवास के *स्थान पर* लाईसेंस शुल्क का अनियमित भुगतान	3.1	60
(II) चण्डीगढ़ प्रशासन		
पुलिस विभाग, यूटी. चण्डीगढ़ में वेतन एवं भत्तों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन	3.2	62
(बी) राजस्व		
चण्डीगढ़ प्रशासन		
"जीएसटी प्रतिदाय" पर विषय निर्दिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा"	3.3	81
किराये का कम निर्धारण	3.4	96
यात्रियों से सेवा कर/जीएसटी के गैर-प्रभार के कारण परिहार्य भुगतान	3.5	98

विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्रवेश शुल्क एवं लाईसेंस शुल्क की कम वसूली	3.6	101
फार्म 'एफ' में घोषणा के समर्थन के बिना छूट प्रदान करना	3.7	104
पट्टा-करार के गैर-पंजीकरण के कारण राजस्व की हानि	3.8	107
पूंजीगत माल की खरीद पर अधिक आईटीसी प्रदान करने के कारण कर तथा ब्याज का कम उद्ग्रहण	3.9	109
बिक्री के दमन के कारण करापवंचन	3.10	110
अध्याय -IV : केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम		
(I) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग		
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड		
आकस्मिक छुट्टी एवं बीमारी छुट्टी का अनियमित नकदीकरण	4.1	112
(II) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन		
भू-प्रबंधन	4.2	116
परिशिष्ट	133-152	

प्राक्कथन

मार्च 2020 और मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। प्रतिवेदन में केंद्र सरकार के 28 मंत्रालयों/विभागों और सामान्य और सामाजिक सेवा क्षेत्र के तहत उनके क्षेत्रीय कार्यालयों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं, जिसमें उनके अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और विधायिकारहित संघ शासित क्षेत्र भी शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो वर्ष 2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए थे तथा वे जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, परंतु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां भी आवश्यक हो, वहां शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार के 28 सिविल मंत्रालयों/विभागों/संवैधानिक निकायों **(परिशिष्ट-I)** से संबंधित 54 अनुदानों के तहत वित्तीय लेनदेन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं, जो उनके प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत सामान्य एवं सामाजिक सेवा क्षेत्रों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ-साथ बिना विधायिका वाले संघ शासित क्षेत्रों में भी हैं।

इन 28 सिविल मंत्रालयों/विभागों के सकल व्यय में 2019-20 में ₹9,78,347.90 करोड़ से 2020-21 में ₹16,52,521.27 करोड़ तक की 68.91 *प्रतिशत* की वृद्धि हुई **(परिशिष्ट-II)**।

इस प्रतिवेदन में चार मंत्रालयों/विभागों, उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों[1] एवं विधायिकारहित दो संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित ₹348.57 करोड़ की अनियमितताओं के 24 उदाहरणात्मक मामले[2] शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में शामिल मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का विहंगावलोकन नीचे दिया गया है:

विदेश मंत्रालय

प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड योजना हेतु शुल्क निर्धारण में गलत विनिमय दर लागू होने के कारण शुल्क का कम संग्रहण

स्थानीय मुद्राओं के लिए संशोधित विनिमय दर (आरओई) ओसीआई योजना के वीजा शुल्क का परिकलन करने हेतु विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा जैसा कि निर्धारित है, को लागू करने में मिशनों/पोस्ट की विफलता तथा मंत्रालय द्वारा अपने निदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में निगरानी की कमी का

[1] पैरा 1.11 में उल्लिखित सीपीएसई सहित

[2] 'मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा की गई कार्रवाई/वसूलियों' के अन्तर्गत पैरा 1.11 के तहत शामिल हुए तीन मामले

परिणाम ओसीआई कार्ड को जारी करने हेतु मिशनों/पोस्ट द्वारा प्रभारित किए जा रहे शुल्क के कम उदग्रहण के कारण ₹58.23 करोड़ की हानि रहा।

(पैराग्राफ सं. 2.1, पृष्ठ सं. 15)

वाशिंगटन तथा पेरिस में भारतीय मिशनों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना में अनियमितताएं

विदेश मंत्रालय ने पेरिस (2011) तथा वाशिंगटन (2013) में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना हेतु दो सम्पत्तियों की खरीद की थी। अन्तर्निहित कमियों जैसे कि विशिष्ट संरचनात्मक मुद्दे तथा आईसीसी वाशिंगटन में अतिक्रमण के मामले तथा नवीकरण (पेरिस) में विलम्ब के कारण इन सम्पतियों को क्रमशः नौ तथा ग्यारह वर्षों के बीत जाने के बाद भी सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सका था। आईसीसी वाशिंगटन की खरीद के साथ साथ इसके नवीकरण/मरम्मत पर किया गया कुल ₹41.93 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसी प्रकार, ₹30.03 करोड़ (2011) की लागत पर प्रापण की गई आईसीसी पेरिस हेतु सम्पत्ति, एक नवीकरण-अधीन बिल्डिंग के लिए एक स्थानीय सुरक्षा अभिकरण को नियुक्त करने पर ₹14.89 करोड़ के अनियमित व्यय के साथ जून 2022 तक बिना उपयोग किए रही।

(पैराग्राफ सं. 2.2, पृष्ठ सं. 20)

लागत वृद्धि तथा ब्याज का परिहार्य भुगतान

भारतीय दूतावास, बीजिंग ने वृद्धि के कारण ₹8.53 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया जबकि वृद्धि खंड के संबंध में संविदा के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार लागू नहीं थी। इसी प्रकार, मिशन द्वारा ठेकेदार के देयता भुगतान को तीन से पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक रोकने का परिणाम ₹1.58 करोड़ के ब्याज के परिहार्य भुगतान में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.3, पृष्ठ सं. 30)

अनुचित निविदा प्रक्रिया को अपनाने के अलावा निविदा के अंतर्गत कार्य की पहचान की गई मदों के मनमाने ढ़ंग से विचलन लागत वृद्धि का कारण बना

मंत्रालय के अनुदेशों तथा मौजूदा प्रावधानों की अवहेलना में इण्डिया हाउस में मरम्मत एवं नवीकरण कार्य से संबंधित निविदा का निष्पादन, पुनः निविदा करने तथा समय एवं लागत के बढ़ जाने का कारण बना। इसका परिणाम ₹51.76 लाख (जमैकन डॉलर (जेएमडी) 9.65 मिलियन) के परिहार्य व्यय के साथ ₹49.52 लाख (जेएमडी 9.17 मिलियन) की लागत के कार्य की चयनित मदों में मनमाने परिवर्तन से कार्य के निष्पादन तदर्थ दृष्टिकोण के साथ हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.4, पृष्ठ सं. 38)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

राष्ट्रीय डेयरी योजना के तहत कृत्रिम सेचन (एआई) उप परियोजना के अनुचित अनुमोदन के कारण निष्फल व्यय

परियोजना संचालन समिति, राष्ट्रीय डेयरी योजना-I ने एआई डिलिवरी सेवाओं में अतिव्याप्ति को स्वीकार किए बिना अंत कार्यान्वयन अभिकरण के लिए उप परियोजना को अनुमोदित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.74 करोड़ का व्यय निष्फल रहा तथा उप-परियोजना समय से पूर्व बंद की गई।

(पैराग्राफ सं. 2.6, पृष्ठ सं. 46)

गृह मंत्रालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, डीएमआरसी

मकान किराया भत्ता के कारण अधिक छूट

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) इकाई, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, मकान किराया भत्ता के कारण छूट का परिकलन करते समय वेतन में मंहगाई भते को शामिल करने की विफलता का परिणाम कुल ₹2.01 करोड़ की अधिक छूट तथा परिणामी आयकर की कम कटौती में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.7, पृष्ठ सं. 50)

सशस्त्र सीमा बल

भूमि अधिग्रहण पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

पृथक परिवार आवास, जयपुर के निर्माण हेतु एमएचए को प्रस्ताव भेजने में *सशस्त्र सीमा बल* की ओर से उदासीन दृष्टिकोण के कारण कुल ₹1.12 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.8, पृष्ठ सं. 52)

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग

निष्फल व्यय

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने दिसंबर 2020 से भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड से कार्यालय स्थान किराए पर लिया। तथापि, स्थान को काम करने योग्य बनाने के लिए इसे व्यापक नवीकरण की आवश्यकता थी। नवीकरण की प्रक्रिया को केवल सितंबर 2021 में जाकर ही प्रारम्भ करने का परिणाम दिसम्बर 2020 से अगस्त 2021 तक नौ महीनों के किराये के प्रति कुल ₹13.26 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 2.9, पृष्ठ सं. 55)

संघ शासित क्षेत्र -अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

महानिदेशक पुलिस, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

किराया मुक्त आवास के स्थान पर लाईसेंस शुल्क का अनियमित भुगतान

'किराया मुक्त आवास भत्ते' के अनियमित भुगतान का परिणाम जुलाई 2017 से नवम्बर 2019 के दौरान अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन के पुलिस कार्मिक को ₹2.57 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.1, पृष्ठ सं. 60)

संघ शासित क्षेत्र- चण्डीगढ़ प्रशासन

पुलिस विभाग, यूटी, चण्डीगढ़ में वेतन एवं भत्तों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

आंतरिक एवं आईटी नियंत्रणों में कमियों तथा कार्यालय महानिदेशक पुलिस, संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़ के अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की ओर से बड़ी लापरवाही के कारण पुलिस कार्मिक को वेतन एवं भत्ते, एलटीसी एवं अन्य लाभों के कारण कुल ₹1.60 करोड़ राशि के अस्वीकार्य भुगतान किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद उनसे ₹1.10 करोड़ की वसूली की गई थी। 2017-2020 की अवधि के दौरान वेतन, एलटीसी, टीए, चिकित्सा, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के कारण बिलों तथा वाउचरों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा इस प्रकार इन भुगतानों की यथार्थता पर कोई आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सकता था।

(पैराग्राफ सं. 3.2, पृष्ठ सं. 62)

"जीएसटी प्रतिदाय" पर विषय निर्दिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

सामयिक प्रतिदाय तंत्र कर प्रशासन का एक महत्वपूर्ण संघटक स्थापित करता है क्योंकि यह मौजूदा व्यवसाय के विस्तार तथा आधुनिकीकरण को सुगम बनाता है। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिदाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित तथा मानकीकृत करने हेतु केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा सीमा शुल्क ने निर्णय लिया (18 नवम्बर 2019) कि प्रतिदाय प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाईन होगी। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण इलेक्ट्रॉनिक सह मैनुअल प्रक्रिया को अपनाया गया था जिसमें आवेदक को सामान्य पोर्टल पर फार्म जीएसटी आरएफडी-01ए में प्रतिदाय आवेदन फाईल करना तथा इसका प्रिंट आउट लेना एवं इसे भौतिक तौर पर सभी समर्थन दस्तावेजों के साथ क्षेत्राधिकार कर कार्यालय में जमा करना अपेक्षित है। कार्यालय आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यूटी, चण्डीगढ़ में जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक संसाधित 112 जीएसटी प्रतिदाय मामलों की संवीक्षा ने विभिन्न अनियमितताएं अर्थात् अस्वीकार्य वापसी प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक

क्रेडिट खाता बही तथा रोकड़ खाता बही को डेबिट न करने के कारण अनियमित प्रतिदाय प्रदान करना, आईजीएसटी, सीजीएसटी एवं यूटीजीएसटी को डेबिट आदेश का गैर-अनुपालन, पूर्व एवं पश्च ऑटोमेशन प्रक्रिया के अंतर्गत जीएसटी प्रतिदाय मामलों में पावती जारी न करना, समय के भीतर जारी न करना, निर्धारित समय के भीतर जीएसटी वापसियों को संस्वीकृत न करना, तथा अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण को प्रकट किया।

(पैराग्राफ सं. 3.3, पृष्ठ सं. 81)

किराये का कम निर्धारण

संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के संपदा कार्यालय ने वर्ष 2000 में दुकानों/बूथों का किराया निर्धारण करते समय किराए में वृद्धि की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया था जिसका परिणाम 1992-2022 की अवधि के लिए ₹9.37 करोड़ के किराये के कम निर्धारण में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.4 पृष्ठ सं. 96)

यात्रियों से सेवा कर/जीएसटी के गैर-प्रभार के कारण परिहार्य भुगतान

चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम का निर्धारित तिथियों से उपयुक्त कर अधिनियमितताओं को लागू करने तथा अनुवर्ती स्टेज कैरिज वातानुकूलित बसों के यात्रियों से सेवा कर/जीएसटी के अनुवर्ती गैर-संग्रह में असफल होने का परिणाम सरकारी राजकोष से ₹ 5.89 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ और तदनुरूप सेवा का कोई लाभ उठाये बिना जनता पर करों का बोझ लादन हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.5 पृष्ठ सं. 98)

प्रवेश शुल्क एवं लाईसेंस शुल्क की कम वसूली

चण्डीगढ़ परिवहन प्राधिकरण की मूल जांच जैसे कि लाईसेंसधारी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों, यात्राओं के विवरणों, लाईसेंसधारी के नियत्रंण में सभी टैक्सियों के ब्योरे आदि का निरीक्षण करने में विफलता के परिणाम ₹4.23 लाख के प्रवेश शुल्क एवं लाईसेंस शुल्क के कम उदग्रहण में हुआ।

(पैराग्राफ सं. 3.6, पृष्ठ सं. 101)

पट्टा-करार के गैर-पंजीकरण के कारण राजस्व की हानि

नगर निगम चण्डीगढ़ द्वारा गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर पट्टा-करार की यह सुनिश्चित किए बिना स्वीकृति कि यह पट्टनामा के रूप में पंजीकृत था, का परिणाम स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के कारण ₹29.66 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ सं. 3.8, पृष्ठ सं. 107)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

आकस्मिक छुट्टी एवं बीमारी छुट्टी का अनियमित नकदीकरण

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) ने लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए आकस्मिक छुट्टी और बीमारी छुट्टी का अनियमित नकदीकरण अनुमत किया। अनियमित नकदीकरण के कारण ₹8.07 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया साथ ही 31 मार्च 2021 तक ₹13.17 करोड़ की भावी देनदारी थी।

(पैराग्राफ सं. 4.1, पृष्ठ सं. 112)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन

भू-प्रबंधन

भूमि के अनियोजित अधिग्रहण के साथ-साथ स्वामित्व/पट्टा विलेखों के निष्पादन में विलंबित कार्रवाई और अधिशेष भूमि के समर्पण के परिणामस्वरूप ₹ 8.65 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ सं. 4.2, पृष्ठ सं. 116)

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

अनुपालन लेखापरीक्षा, यह पता लगाने कि क्या भारत के संविधान के प्रावधानों तथा लागू कानूनों, नियमावली, विनियमों, आदेश एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक तथा प्रभावकारिता का निर्धारण करने हेतु भी सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों तथा देयताओं से संबंधित लेन-देनों की जांच के संदर्भ में है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अपनाए गए लेखापरीक्षा मानकों में अपेक्षित है कि रिपोर्टिंग का तात्विक स्तर लेनदेनों की प्रकृति, आयतन तथा परिमाण के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से अपेक्षित है कि वे कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ साथ ऐसी नीतियां एवं निदेश तैयार करने में समर्थ बनाएगा जो सगंठनों को बेहतर प्रबंधन की ओर ले जाएगा जिससे बेहतर शासन में सहयोग होगा।

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा तथा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकार भारत के संविधान के क्रमश: अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) से प्राप्त किया गया है। सीएजी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम की धारा 13, 16 तथा 17 के अधीन करता है। संसद द्वारा स्थापित अथवा उसके द्वारा तैयार की गई विधि के अधीन स्थापित निकायों तथा सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान रखने वाले को अधिनियम की धारा 19(2) के तहत सांविधिक रूप से लेखापरीक्षा करने हेतु लिया जाता है। अन्य संगठनों (निगमों या सोसाईटी)

की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन लोक हित में सीएजी को सौंपा गया है।

1.3 योजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के अनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन जोखिम निर्धारण सामयिकता के अलावा, भौतिकता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के आधार पर किया जाता है। जोखिम निर्धारण में इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन, धोखा, दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि के पिछले उदाहरणों के साथ-साथ पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष शामिल हैं। लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। प्राप्त उत्तरों के आधार पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालन सलाह, जहां कहीं आवश्यक, की कार्रवाई के साथ निपटान किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित मंत्रालय/विभाग से प्रत्युत्तरों की मांग के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए ड्राफ्ट पैराग्राफ के रूप में संसाधित किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

1.4 लेखापरीक्षा कवरेज

इस प्रतिवेदन में सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्रों के अधीन 54 सिविल अनुदान **(परिशिष्ट 1)** को शामिल करते हुए 28 मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय लेन-देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल है। इस प्रतिवेदन को चार अध्यायों में सुव्यवस्थित किया गया हैः

- यह अध्याय (अध्याय I), प्राधिकार, लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र, योजना एवं लेखापरीक्षा सीमा को स्पष्ट करने के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के लिए सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्रों के अधीन 28 संघ मंत्रालयों/ विभागों के व्यय, बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों, ड्राफ्ट पैराग्राफों के प्रति सरकार के उत्तर तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है।

- अध्याय II में 2020-21 तक लेन-देन की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप 28 सिविल मंत्रालयों/विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ शामिल हैं।
- अध्याय III में 2020-21 तक लेन-देन की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप पांच अनुदान को शामिल करते हुए विधायिका रहित पांच संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लद्दाख तथा लक्षद्वीप के नियंत्रणाधीन सरकारी विभागों/कार्यालयों/संस्थानों की लेखापरीक्षा से उजगार अभ्युक्तियां शामिल हैं।
- अध्याय IV में 2020-21 तक के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप संघ सरकार के 28 मंत्रालयों/विभागों की सीमा के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उजागर अभ्युक्तियाँ शामिल हैं।

1.5 सिविल मंत्रालयों/विभागों का बजट एवं व्यय नियंत्रण

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 53 सिविल अनुदान तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 54 सिविल अनुदान को शामिल करके 28 संघ मंत्रालयों/विभागों के व्यय की स्थिति तालिका सं.1 में दी गई है तथा विवरण **परिशिष्ट II** में दिए गए हैं।

तालिका सं 1: सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्रों के अधीन प्राप्त अनुदान एवं किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

खंड	2019-20			2020-21		
	अनुदान/ विनियोजन#	कुल व्यय	बचतें (-)/ आधिक्य (+)	अनुदान/ विनियोजन#	कुल व्यय	बचतें (-)/ आधिक्य (+)
राजस्व (प्रभारित)	6,839.53	6,734.29	(-)105.24	5,668.75	4,207.35	(-)1,461.40
राजस्व (दत्तमत)	11,40,759.49	9,50,500.46	(-)1,90,259.03	16,89,930.18	16,22,675.85	(-)67,254.33
पूंजीगत (प्रभारित)	97.99	86.79	(-)11.20	63.08	58.56	(-)4.52
पूंजीगत (दत्तमत्त)	74,151.32	21,026.36	(-)53,124.96	78,965.69	25,579.50	(-)53,386.19
कुल	1221848.33	978347.90	(-)243500.43	1774627.70	1652521.26	(-)122106.44

स्रोतः संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) 2019-20 एवं 2020-21

 # अनुदान/विनियोजन=बजट अनुमान+अनुपूरक

परिशिष्ट-II में दर्शाए गए मंत्रालयों/विभागों के व्यय के विश्लेषण ने प्रकट किया कि निम्नलिखित चार मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान किया गया व्यय ₹1,000 करोड़ से अधिक या समान था तथा यह वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में व्यय से 30 *प्रतिशत* अधिक था।

- **उर्वरक मंत्रालय:** 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान व्यय में ₹48,577.07 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः सब्सिडी अर्थात् यूरिया सब्सिडी (₹36,761.31 करोड़) तथा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति (₹11,003.62 करोड़) से संबंधित है।
- **उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय:** 2019-20 की तुलना 2020-21 के दौरान व्यय में ₹4,59,705.42 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सहायता अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न लेन-देन पर एफसीआई एवं अन्य को देय आर्थिक सहायता (₹3,87,789.00 करोड़), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अधीन खाद्यान्न के विकेन्द्रित प्राप्ण पर राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता (₹44,829.42 करोड़), एफसीआई को देय अर्थोपाय अग्रिम (₹10,000 करोड़) तथा मूल्य स्थिरीकरण निधि (₹9,422.30 करोड़)।
- **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय:** 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान व्यय में ₹27,080.54 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय निवेश निधि (₹11,041.15 करोड़) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹9,280.14 करोड़), अवसंरचना अनुरक्षण प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (पीएमएसएसएन) (₹5,098.68 करोड़), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण - (पीएमएसएसएन) (₹1,765.57 करोड़), को निधियों के अंतरण, आपातकालिन महामारी की तैयारी एवं प्रतिक्रिया हेतु आपूर्तियों एवं सामग्री के प्रापण (₹1,548.70 करोड़) तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान (₹1,407.62 करोड़) के कारण थी।
- **ग्रामीण विकास मंत्रालय:** 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दैरान व्यय में ₹1,30,983.38 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि

(₹39,483.15 करोड़), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (₹33,771.15 करोड़), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला कार्यक्रम समन्वयकों तथा अन्य को सहायता (₹32,281.38 करोड़), केन्द्रीय सड़क निधि/केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (₹18,119.29 करोड़), महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹7,079.73 करोड़) तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (₹1,374.30 करोड़) को निधि के अतरंण के कारण थी।

- आगे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2019-20 के दौरान सात मंत्रालयों में तथा 2020-21 के दौरान नौ मंत्रालयों में संस्वीकृत प्रावधान के सापेक्ष में 25 *प्रतिशत* या उससे अधिक की बचतें थी। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में 2020-21 के दौरान संस्वीकृत प्रावधान से 15.57 प्रतिशत अधिक का कुल अतिरिक्त व्यय था। आधिक्य का मुख्य घटक एफसीआई को राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) ऋण अनुदान के बाकी शेष के पूर्ण पुनर्भुगतान के कारण था। जैसाकि ऋण एक ज्ञात घटक है फिर भी संसद के अनुमोदन से अनुपूरक मांगों को लेने के अवसर के बावजूद अधिक व्यय करना न्यायसंगत नहीं है।

1.6 मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ से अधिक की बचत

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) 1996-97 से संबंधित 17वें प्रतिवेदन के पैरा 14 में पाया है कि "सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधान लगभग एक आवर्ती प्रवृत्ति बन गये हैं तथा स्थिति को अभी भी सुधारा जाना है तथा यह निष्कर्ष निकाला कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रभावी सुधारात्मक उपाय लागू करने में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं।" इस प्रकार, इस संबंध में पीएसी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुपालन में वित्त मंत्रालय ने सभी वित्तीय सलाहकारों से उन मामलों/योजनाओं, जिनमें बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधान है, का एक पूर्ण अध्ययन करने तथा उपयुक्त अनुवर्ती

कार्रवाई करने का अनुरोध किया जिससे कि अनुदानों हेतु उनकी संबंधित मांगों में बड़े पैमाने पर अव्ययित प्रावधानों की आवृत्ति से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल 28 मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित निम्नलिखित मुख्य योजनाओं में ₹500 करोड़ तथा अधिक की बचतें हुई जो बजट प्रावधान के 15 प्रतिशत से अधिक है जैसा **तालिका सं. 2** में विवरण दिया गया है। बड़ी बचतें मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संबंधित योजना के संबंध में खराब बजट अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों की सूचक है। ऐसी बचतों ने करों आदि के माध्यम से संसाधनों के अनावश्यक प्रावधानन को भी सूचित किया तथा तदनुसार अर्थव्यवस्था के अन्य योग्य क्षेत्रों को संसाधनों से वंचित करती है।

तालिका सं. 2: ₹500 करोड़ तथा अधिक की बचतें जो बजट प्रावधान के 15 प्रतिशत से अधिक

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2019-20 के लिए						
क्र.सं.	**मंत्रालय**	**योजना**	**बजट अनुमान**	**वास्तविक**	**बचतें**	**प्रतिशतता में बचतें**
1.	शिक्षा	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	2,100.00	1,277.82	822.18	39.15
2.	कृषि	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	75,000.00	48,713.84	26,286.16	35.05
3.	ग्रामीण विकास	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	19,000.00	14,017.19	4,982.81	26.23
4.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	2,676.65	2,112.67	563.98	21.07
5.	महिला एवं बाल विकास	समेकित बाल विकास कार्यक्रम	27,584.37	22,031.67	5,552.70	20.13
6.	पेयजल एवं स्वच्छता	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	9,994.00	8,215.70	1,778.30	17.79
7.	कृषि	प्रधानमंत्री कृषि सिचांई योजना (पीएमएकेएसवाई)	9,681.56	8,211.72	1,469.84	15.18

वर्ष 2020-21 के लिए						
क्र.सं.	मंत्रालय	योजना	बजट अनुमान	वास्तविक	बचतें	प्रतिशतता में बचतें
1.	पेयजल एवं स्वच्छता	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	9,994.10	4,946.98	5,047.12	50.50
2.	महिला एवं बाल विकास	समेकित बाल विकास कार्यक्रम	28,557.00	18,203.86	10,353.14	36.25
3.	ग्रामीण विकास	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	19,500.00	13,687.50	5,812.50	29.81
4.	कृषि	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)	11,126.51	7,937.44	3,189.07	28.66
5.	शिक्षा	समग्र शिक्षा	38,750.50	27,834.58	10,915.92	28.17
6.	कृषि	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	75,000.00	60,989.90	14,010.10	18.68

स्रोतः महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की सरकारी वेबसाईट पर वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के लिए लेखा एक नजर में

1.7 संघ शासित क्षेत्रों की लेखापरीक्षा

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 तथा दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव (संघ शासित क्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 की अधिसूचना से अब भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग II के तहत विनिर्दिष्ट अब आठ संघ शासित क्षेत्र हैं। इनमें से पांच यूटी अर्थात् अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, लद्दाख तथा लक्षद्वीप विधायिकारहित यूटी है जबकि तीन यूटी अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा वाली यूटी है।

विधायिकारहित संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में बजट प्रावधान एमएचए के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। संसद के अनुमोदनार्थ इन यूटी से संबंधित अनुदान मांग एवं विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी) एमएचए, तैयार करता है। जबकि इन यूटी का सामान्य प्रशासन का उत्तरदायित्व एमएचए का है फिर भी संघ सरकार के अन्य मंत्रालय/विभाग, जब तक वह इन क्षेत्रों के संबंध में मौजूद है, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I तथा II में उल्लिखित विषय के तहत इन्हें निधि देते हैं। इस प्रकार, डीडीजी में इन मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित गतिविधियों पर, इन यूटी पर व्यय के संबंध में अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के प्रस्ताव भी शामिल हैं। यूटी के प्रशासकों को योजनागत

योजनाओं की संस्वीकृति हेतु एमएचए द्वारा एक निश्चित सीमा तक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

1.7.1 यूटी में प्रावधान तथा व्यय

2019-20 तथा 2020-21 में विधायिकारहित पांच यूटी में बजट आबंटन तथा व्यय के विवरण **तालिका सं. 3(i) तथा तालिका सं. 3(ii)** में दिए गए हैं:

तालिका सं. 3(i) :2019-20 में बजट आबंटन तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

संघ शासित क्षेत्र का नाम	कुल अनुदान/विनियोग		सकल व्यय		बचतें			
					राजस्व		पूंजीगत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4,502.18	601.79	4,485.16	522.19	17.02	0.38	79.60	13.23
चण्डीगढ़	4,426.57	482.63	4,368.60	460.95	57.97	1.31	21.68	4.49
दादरा एवं नगर हवेली	871.20	322.06	863.85	318.23	7.35	0.84	3.83	1.19
दमन एवं दीव	1,779.00	342.52	1,735.78	324.87	43.22	2.43	17.65	5.15
लक्षद्वीप	1,156.39	186.39	1,146.39	167.61	10.00	0.86	18.78	10.08
कुल	**12,735.34**	**1,935.39**	**12,599.78**	**1,793.85**	**135.56**	**1.06**	**141.54**	**7.31**

स्रोतः संघ सरकार-विनियोग लेखे (सिविल) 2019-20

तालिका सं. 3 (ii) : 2020-21 में बजट आबंटन तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

संघ शासित क्षेत्र का नाम	कुल अनुदान/विनियोग		सकल व्यय		बचतें			
					राजस्व		पूंजीगत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राशि	*प्रतिशत*	राशि	*प्रतिशत*
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4,611.95	622.42	4,531.05	342.92	80.90	1.75	279.50	44.91
चण्डीगढ़	4,644.03	494.23	4,228.60	414.47	415.43	8.95	79.76	16.14
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	2,768.10	752.44	1,963.10	377.33	805.00	29.08	375.11	49.85

लद्दाख[1]	2,331.83	3,626.29	1,585.46	788.58	746.37	32.01	2,837.71	78.25
लक्षद्वीप	1,174.86	201.67	1,138.66	102.26	36.20	3.08	99.41	49.29
कुल	**15,530.77**	**5,697.05**	**13,446.87**	**2,025.56**	**2,083.90**	**13.42**	**3,671.49**	**64.45**

स्रोतः संघ सरकार विनियोग लेखा (सिविल) 2020-21

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में, बचतें 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय में 0.38 *प्रतिशत* से 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय में 44.91 *प्रतिशत* तक के बीच थी। यह मुख्यतः नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण में विलम्ब, कार्य की धीमी प्रगति, निविदाओं को अंतिम रूप न देने, चरण समापन/भुगतान पेक्स वेसल में विलम्ब, पिछले अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र की गैर-प्राप्ति तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण थी।

चण्डीगढ़ में, पूंजीगत व्यय में 2019-20 में 4.49 *प्रतिशत* से 2020-21 के दौरान 16.14 *प्रतिशत* तक के बीच की बचतें मुख्यतः छात्रावास ब्लॉक स्पोर्टस इंजरी सेंटर, मातृ एवं शिशु देखभाल केन्द्र, 50 बेड वाले अस्पताल के निर्माण हेतु निविदा को अंतिम रूप न देने तथा विभिन्न सामग्रियों/उपकरण की खरीद तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण थी।

लक्षद्वीप में, 2020-21 में पूंजीगत व्यय में 49.29 प्रतिशत तक की बचतें मुख्यतः पवनहंस लिमिटेड द्वारा हैलीकॉप्टरों के कम परिनियोजन, उपयोग प्रमाणपत्रों की गैर-प्राप्ति, विभिन्न निविदाओं को अंतिम रूप न देने तथा कम निर्माण कार्यों के कारण हुई।

दादरा एवं नगर हवेली में 2019-20 में हुई बचतें मुख्यतः सायली पर मेडिकल कालेज के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति तथा सिलवासा पर श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल का एक मल्टी स्पेशलिटी वाले अस्पताल में उन्नयन तथा विस्तार, सब्सिडी हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने तथा जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण हुई।

---

[1] यूटी लद्दाख के लेखाओं को वर्ष 2020-21 से अंतिम रूप दिया गया था।

दमन एवं दीव में 2019-20 में हुई बचतें मुख्यतः नगरपालिका परिषदों, जिला एवं ग्राम पंचायतों से कम मांग, परियोजनाओं की संस्वीकृति में विलम्ब, विभिन्न निर्माण कार्यों की निविदाओं को अंतिम रूप न देने तथा मशीनरी एवं उपकरण की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने के कारण थी।

दादरा एवं नगर हवेली में 2020-21 में हुई बचतें मख्यतः कोविड-19 महामारी के कारण कम विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद, परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान दर पर प्रावधान की कटौती के कारण थी।

लद्दाख में, वर्ष 2020-21 के दौरान बचतें मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, मंहगाई भत्ते को रोकने, कोविड-19 महामारी के कारण निर्माण कार्य/परियोजनाओं के गैर-निष्पादन तथा वित्त मंत्रालय द्वारा आरोपित व्यय प्रतिबंध के कारण हुई।

1.8 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) की लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लेखाओं की कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) तथा 143(7) अथवा सांविधिक निगमों का गठन करने वाले संसद के संबंधित अधिनियम के तहत भारत के सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। स्वतंत्र लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकार) के सीएजी द्वारा सीपीएसई के लेखाओं को प्रमाणित करने हेतु नियुक्त किया जाता है तथा सीएजी के पास ऐसे लेखापरीक्षित लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। सीएजी द्वारा सरकार को सीपीएसई के संबंध में प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19ए के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत की जाती है।

विभिन्न संघ मंत्रालयों/विभागों के अधीन 82 सीपीएसई, जैसा **परिशिष्ट-III** में उल्लेख किया गया है, की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा संसद के संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी।

1.9 उपयोग प्रमाण-पत्र

सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार, सांविधिक निकायों/संगठनों को जारी अनुदानों में उपयोग प्रमाण-पत्रों को संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। 2006-07 से मार्च 2020 तक जारी अनुदान के लिए पांच मंत्रालयों/विभागों के संबंध में ₹2085.01 करोड़ के 5730 बकाया उपयोग प्रमाण पत्र थे। विवरण **तालिका सं. 4** में दिए गए है।

तालिका सं. 4 : बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों के ब्योरे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2020 तक)	उपयोग प्रमाणपत्र	राशि
1.	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण, खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	2013-18	1	7.61
		2018-19	1	12.79
		2019-20	1	9.25
		कुल	**3**	**29.65**
2.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन	2006-07	1	0.0004
		2009-10	3	0.0057
		2010-11	4	0.0164
		2012-13	1	0.0002
		2014-15	6	0.3173
		2015-16	12	0.2695
		2016-17	18	0.766
		2017-18	14	1.6314
		कुल	**59**	**3.01**
3.	नीति आयोग (योजना)	2013-18	1,686	144.37
		2018-19	1,892	245.45
		2019-20	2,041	399.08
		कुल	**5,619**	**788.90**
4.	विदेश मामले	2019-2020	1	74.33
		कुल	**1**	**74.33**
5.	जल शक्ति	2019 मार्च तक	27	411.10
		2019-20	21	778.02
		कुल	**48**	**1,189.12**
		सकल योग	**5,730**	**2,085.01**

इतनी लम्बी अवधि के लिए उपयोग प्रमाण पत्रों को लम्बित रखना प्रमाणपत्रों के निर्गमन के मुख्य उद्देश्य को विफल करती है। जीएफआर का नियम 238 निर्धारित प्रक्रिया जो अनुबंध करती है कि पूर्व अनुदानों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र की प्राप्ति से पहले संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आगे अनुदान जारी नहीं किया जाना चाहिए, को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

1.10 लंबित एटीएन की स्थिति

संसद को दिनांक 17 अगस्त 1995 को प्रस्तुत अपनी 105वीं रिपोर्ट (10वीं लोकसभा - 1995-96) में लोक लेखा समिति ने सिफारिश की थी कि सीएजी के प्रतिवेदनों के सभी पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) 31 मार्च 1996 के बाद से आरंभ होने वाले सदन के पटल पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदनन्तर, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी सेल का सृजन किया गया था जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित एटीएन के संग्रहण तथा समन्वयन तथा उनको संसद को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार माह की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

मार्च 2021 को समाप्त अवधि तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, संघ सरकार (सिविल), में शामिल पैराग्राफों पर एटीएन की प्राप्ति की स्थिति को **चार्ट सं. 1** में प्रकट किया गया।

चार्ट सं. 1: एटीएन की संक्षिप्त स्थिति

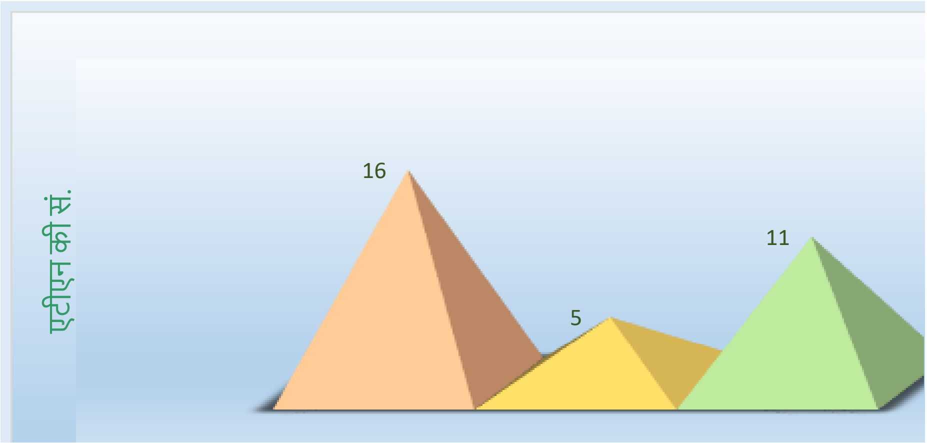

16 पैराग्राफों में से, जिन पर एटीएन भेजने की आवश्यकता थी, 05 पैराग्राफों से संबंधित एटीएन प्राप्त ही नहीं हुए थे, जबकि शेष 11 विभिन्न चरणों में बकाया थे। वर्ष-वार ब्योरे **परिशिष्ट- IV** में दर्शाये गए हैं।

संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित 15 एटीएन लम्बित थे जैसा **परिशिष्ट- V** में दिया गया है

1.11 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रति मंत्रालयों/विभागों का उत्तर

लोक लेखा समिति (पीएसी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट पैराग्राफों के अपने उत्तर पैराग्राफों की प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर प्रेषित करने के निदेश जारी किए। तदनुसार, ड्राफ्ट पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किया जाता है तथा उनसे निवेदन किया जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर भेजें।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने 24[2] पैराग्राफों (मई 2022 तक) में से 07[3] के उत्तर प्रेषित नहीं किए थे। शेष 16 पैराग्राफ के संबंध में प्राप्त संबंधित

[2] मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा की गई कार्रवाई/प्रभावित वसूलियों के अंतर्गत पैरा 1.11 के अधीन शामिल तीन मामले

मंत्रालयों/विभागों के उत्तर को उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

तालिका सं. 5 में दिये गए ब्योरे के अनुसार कुल ₹146.81 करोड़ की राशि की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान वसूली की गई है:

तालिका सं. 5: वसूली के ब्योरे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई/विभाग/मंत्रालय	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	वसूली की गई राशि
1.	केन्द्रीय भंडारण निगम, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय, भारत सरकार	लखनऊ पर केन्द्रीय भंडारण निगम, क्षेत्रीय कार्यालय में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सुपुर्द भूमि की कम दर प्रभारित करने के कारण हानि। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के मद्देनज़र में पर प्रबंधन ने वसूली की है।	5.31
2.	भारतीय खाद्य निगम/उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं लोक संवितरण मंत्रालय, भारत सरकार	पीएसयू/सांविधिक निगम के मामले में वसूली गई राशि परिशिष्ट-VI में दी गई हैं।	141.35
3.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड/रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	एक सामग्री हैंडलिंग ठेकेदार को अनुबंध के जोखिम एवं लागत खंड के तहत अगस्त 2019 में बर्खास्त किया गया था फिर भी कम्पनी ठेकेदार से ₹0.26 करोड़ की वसूली करने में विफल रही। लेखापरीक्षा के मुद्देनज़र में पर प्रबंधन ने वसूली की है।	0.15
कुल			**146.81**

[3] इन सात मामलों में, जबकि लेखापरीक्षा इकाइयों के उत्तर प्राप्त किए गए हैं फिर भी संबंधित मंत्रालयों को अभी भी अपने उत्तर प्रेषित करने हैं।

अध्याय-II

संघीय मंत्रालय

इस अध्याय में चार संघ मंत्रालयों/विभागों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को कवर करते हुए नौ लेखापरीक्षा पैरा शामिल हैं।

(I) विदेश मंत्रालय

2.1 प्रावासी भारतीय नागरिकता कार्ड योजना हेतु शुल्क निर्धारण में गलत विनिमय दर लागू होने के कारण शुल्क का कम संग्रहण

स्थानीय मुद्राओं के लिए संशोधित विनिमय दर (आरओई) ओसीआई योजना के वीजा शुल्क का परिकलन करने हेतु विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) द्वारा जैसा कि निर्धारित है, को लागू करने में मिशनों/पोस्ट की विफलता तथा मंत्रालय द्वारा अपने निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में निगरानी की कमी का परिणाम ओसीआई कार्ड को जारी करने हेतु मिशनों/पोस्ट द्वारा प्रभारित किए जा रहे शुल्क के कम उदग्रहण के कारण ₹58.23 करोड़ की हानि रहा।

नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 के 57) के प्रावधानों के अनुसार, मिशन कुछ वर्गों के भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड जारी करते हैं जैसाकि अधिनियम की धारा 7 ए के तहत निर्दिष्ट है। ओसीआई सेवाओं में चार मूल सेवाएं[1] शामिल हैं, जिनमें से 'नया ओसीआई कार्ड जारी करना' ओसीआई सेवाओं के एक बड़े भाग में से एक है।

अक्टूबर 2005 में, गृह मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि ओसीआई योजना हेतु शुल्क के संग्रहण के लिए वही तंत्र होगा जो वीज़ा शुल्क संग्रहण के लिए है तथा मिशनों/पोस्ट ने यूएसडी में निर्दिष्ट शुल्क को स्थानीय मुद्रा में बदलने हेतु वाणिज्यिक/बैंक विनिमय दर का प्रयोग करना चाहिए। यह बताया कि स्थानीय मुद्रा के संदर्भ मे शुल्क संशोधित किया जाना था, अगर स्थानीय मुद्रा का 10 *प्रतिशत* या अधिक तक यूएसडी के सापेक्ष में अवमूल्यन हो। स्पष्ट रूप से, शुल्क नियतन हेतु वही तंत्र के कारण ओसीआई से संबंधित शुल्क के लिए

[1] नए कार्ड जारी करना, ओसीआई कार्ड को पुनः जारी करना (नवीकरण), ओसीआई कार्ड को पुनः जारी करना (खोए हुए कार्ड) तथा पीआईओ कार्डों के बदले में ओसीआई कार्ड।

शुल्क परिकलन हेतु मानी गई विनिमय दर भी वही होना चाहिए जैसी वीजा शुल्क तय करने के लिए अपनायी गई है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनिमय दर भिन्नताओं के कारण राजस्व की हानि नहीं हुई, मिशन/पोस्ट को एक साथ दोनों वीज़ा शुल्क तथा ओसीआई योजना हेतु शुल्क में संशोधन मुद्रा के निर्धारित अवमूल्यन या जब भी मंत्रालय ने नई विनिमय दर अधिसूचित की हो, के अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए। गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार ने ओसीआई कार्ड जारी करने हेतु शुल्क यूएसडी 275 नियत[2] (25 फरवरी 2009) किया है।

जून 2012 में, विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) ने नए ओसीआई कार्ड को जारी करने के लिए शुल्क को जारी तिथि से एक वर्ष की वैधता हेतु € 216[3] एवं £173[4] के रूप में नियतन किया। एक-वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, दरों को मुद्रा अवमूल्यन पर जब भी आवश्यक हो, संशोधित किया जाना था।

तत्पश्चात् मंत्रालय ने सभी मिशन/पोस्ट को वीजा शुल्क संरचना के युक्तिकरण के संबंध में 01 अप्रैल 2017 से प्रभावी नागरिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वीजा शुल्कों[5] की संशोधित दरों को समेकित अनुदेश जारी किए (मार्च 2017)। वास्तव में स्पष्ट रूप से संप्रेषित यह आरओई ओसीआई योजना के लिए भी शुल्क परिकलन हेतु स्वतः ही लागू थी तथा यह मार्च 2020 तक मान्य थी। यूएसडी/€ दरों का नियतन तत्पश्चात् मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने यूरोजोन देशों (ईजेडसी) में 17 मिशन/पोस्ट[6] तथा यूनाइटेड किंगडम (यूके) में 03 मिशन/पोस्ट[7] पर नए ओसीआई कार्ड जारी करने के मामले

---

[2] जैसाकि गृह मंत्रालय, जीओआई की वेबसाइट पर इंगित।

[3] यूएसडी 275 X 0.78 = € 216

[4] यूएस$ 275 X 0.63 = £ 173

[5] यूएसडी 1= € 0.95 तथा यूएस $ 1 पर = £ 0.63 वीजा दरों हेतु की दर पर

[6] ईओआई एथेंस; ईओआई बर्लिन; ईओआई ब्रैटिस्लावा; ईओआई ब्रसेल्स; ईआई डबलिन; सीजीआई फ्रैंकफर्ट; सीजीआई हैम्बर्ग; ईओआई हेलसिंकी; ईओआई लिस्बन; ईओआई मैड्रिड; ईओआई माल्टा; सीजीआई मिलान; सीजीआई म्यूनिख; एचसीआई निकोसिया; ईओआई पेरिस; ईओआई रोम तथा ईओआई द हेग;

में पाया कि मंत्रालय/मिशन ने यूके (एचसीआई लंदन एवं इनके वाणिज्य दूतावासों) तथा यूरो जोन में 17 मिशनों में ओसीआई शुल्कों को संशोधित करते समय दो भिन्न तरीकों को अपनाया, जैसाकि निम्नवत चर्चा की गई है;

ए) यूरोजोन देशों (ईजेडसी) में ओसीआई शुल्कों का नियतनः

मंत्रालय के अनुदेश के अनुसार, ईजेडसी के संबंध में ओसीआई कार्ड जारी करने का शुल्क संशोधित करके €262[8] करने की आवश्यकता थी जो 01 अप्रैल 2017 से प्रभावी था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ईजेडसी में 17 मिशन/पोस्ट ने 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी संशोधित यूएसडी। = € 0.95 की आरओई का प्रयोग करते हुए ओसीआई कार्डों को जारी करने हेतु शुल्क में संशोधन नहीं किया। मिशनों/पोस्ट की ओर से निष्क्रियता का परिणाम प्रत्येक दृष्टान्त पर, जब भी ओसीआई कार्ड जारी किया गया था, पर €46 (€262-€216) से शुल्क के कम उद्ग्रहण में हुआ।

आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने ईजेडसी में से केवल कुछ मिशनों[9] के लिए संशोधित शुल्क संरचना पर स्पष्टीकरण को प्रसारित किया (अगस्त 2017 एवं नवम्बर 2019) तथा परिणामस्वरूप अन्य सभी मिशनों ने पुराना शुल्क €216 को प्रभारित करना जारी रखा।

तत्पश्चात, मंत्रालय ने ईजेडसी में सभी मिशन/पोस्ट को सूचित किया(जनवरी 2020) कि उन्होंने यूएसडी 1= € 0.95 की आरओ से संबंधित 16 मार्च 2017 के मंत्रालय के निदेशों का अनुपालन नहीं किया था तथा शीघ्र अनुपालन की मांग की।

---

[7] एससीआई लंदन, सीजीआई बर्मिंघम तथा सीजीआई एडिनबर्ग

[8] यूएसडी 275 X 0.95 = €262

[9] अगस्त 2017 में ईओआई, ल्यूब्याना तथा नवम्बर 2019 में ईओआई, लिस्बन को स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

अतः 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020[10] की अवधि के दौरान, ओसीआई कार्ड जारी करने हेतु शुल्क के गैर-संशोधन के कारण, इन 17 मिशन/पोस्ट की हुई राजस्व की संचयी हानि ₹16.26[11] करोड़ राशि थी।

बी) यूके में ओसीआई शुल्क का नियतन**:** यूके, एचसीआई लंदन, में पर्यटन पर पारस्परिक एवं प्रभाव का हवाला देते हेतु वर्तमान वीज़ा शुल्क में केवल 10 *प्रतिशत* तक की वृद्धि की (फरवरी 2017 से लागू) जबकि आरओई अवमूल्यन में जून 2016 की तुलना में 23 *प्रतिशत* वृद्धि की आवश्यकता थी। इस प्रकार, एचसीआई लंदन और उसके वाणिज्य दूतावास, नए ओसीआई कार्ड जारी करने के लिए, शुल्क को केवल 10 *प्रतिशत* के बजाय 23 *प्रतिशत* की दर पर उचित रूप से संशोधन के लिए मंत्रालय के निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहा। इसी बीच में, मिशन ने एमईए के निदेशों (मार्च 2017) के अनुसार वीज़ा शुल्क में संशोधन किया। यद्यपि, ओसीआई शुल्क फरवरी 2017 में मिशन द्वारा नियत निम्नतर दर पर प्रभारित करना जारी रहा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अगर मिशन ने £0.69 के बजाय प्रचलित यूएस $ 1 =£0.81 की आरओई का उपयोग किया, नए ओसीआई कार्ड जारी करने के संशोधन शुल्क £ 191 के सापेक्ष में £223[12] होता। परिणामस्वरूप फरवरी 2017 एवं मार्च 2020 के दौरान निम्न विनिमय दर पर जारी नए ओसीआई कार्ड पर ₹41.97 करोड़ की हानि हुई जो **तालिका सं.6** में विस्तृत हैः

---

[10] चार मिशन अर्थात् ईओआई एथेंस; ईओआई डबलिन; ईओआई हेलसिंकी तथा ईओआई रोम ने 31 मार्च 2020 तक ओसीआई सेवाओं हेतु मंत्रालय के पत्र सं. VII/406/24/2019 दिनांक 22 जनवरी 2020 द्वारा स्पष्टीकरण जारी होने के बाद भी शुल्क को संशोधित नहीं किया।

[11] €2020404∗80.46=₹16.26 करोड़

[12] यूएस$ 275 X 0.81 = £ 223

तालिका सं.6: निम्नतर विनिमय दर पर जारी नए ओसीआई कार्ड पर हानि का विवरण

मिशन/पोस्ट	मंत्रालय अनुदेशों के अनुसार नियत किए जाने वाले आवश्यक शुल्क (£में)	एचसीआई लंदन द्वारा नियत शुल्क (£में)	अंतर (£में)	कुल जारी संख्या	ओसीआई कार्ड जारी करने हेतु शुल्क का कम संग्रहण (£में)
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
एचसीआई लंदन	223	191	32	76802	24,57,664
सीजीआई बर्मिंघम	223	191	32	66701	21,34,432
सीजीआई एडिंबर्ग	223	191	32	2786	89,152
कुल				**146289**	**46,81,248**
₹ में कुल (जीबी पी 1 की दर पर = ₹89.65)					**₹41,96,73,883**

मंत्रालय ने स्वीकार किया (23 अक्टूबर 2020) कि विदेश मंत्रालय एवं विदेश में मिशन/पोस्ट दोनों आरओई अस्थिरता के आधार पर स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में ओसीआई कार्ड शुल्क के संशोधन हेतु उत्तरदायी हैं। तथापि, अनुदेशों की गलत व्याख्या के कारण ओसीआई योजना शुल्क का नियतन एमएचए द्वारा मार्गदर्शित होगा, एक काल्पनिक राजस्व की हानि हुई है क्योंकि यूरोप में मिशन/पोस्ट ने स्थानीय मुद्राओं के लिए संशोधित आरओई को समय पर कार्यान्वित नहीं किया। तत्पश्चात् मंत्रालय ने बताया (19 मई 2021) कि मिशन/पोस्ट द्वारा सही (और समरूप) आरओई लागू करने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, प्रक्रिया की समीक्षा करने पर, 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी संपरिवर्तन का सामान्य तरीका तैयार करने का निर्णय लिया गया और इस संबंध में परिपत्र जारी किए गए हैं।

मंत्रालय का यह तर्क है कि राजस्व की हानि काल्पनिक थी, सही नहीं है क्योंकि समय पर तथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ओसीआई योजना हेतु शुल्क संरचना संशोधित करने के लिए मिशन/पोस्ट की असफलता का परिणाम सरकार को ₹58.23 करोड़ के राजस्व की हानि में हुआ। यह इस तथ्य के कारण था कि (i) मंत्रालय ने स्थानीय मुद्राओं में वीज़ा शुल्क के संशोधित आरआई को ओसीआई योजना के लिए भी लागू करने के लिए एक विशिष्ट स्पष्टीकरण जारी

नहीं किया; और (ii) मिशन/पोस्ट ओसीआई योजना के लिए शुल्क निर्धारण के संबंध में एमएचए और एमईए दोनों के निदेशों को संज्ञान में लेने में भी असफल रहे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कि स्थानीय मुद्रा में ओसीआई योजना हेतु शुल्क नियतन के लिए कार्यप्रणाली वही होनी थी जो वीजा शुल्क निर्धारित करने के लिए थी।

2.2 वाशिंगटन तथा पेरिस में भारतीय मिशनों द्वारा भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना में अनियमितताएं

विदेश मंत्रालय ने पेरिस (2011) तथा वाशिंगटन (2013) में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना हेतु दो सम्पत्तियों की खरीद की थी। अन्तर्निहित कमियों जैसे कि विशिष्ट संरचनात्मक मुद्दे तथा आईसीसी वाशिंगटन में अतिक्रमण के मामले तथा नवीकरण (पेरिस) में विलम्ब के कारण इन सम्पत्तियों को क्रमशः नौ तथा ग्यारह वर्षों के बीत जाने के बाद भी सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सका था। आईसीसी वाशिंगटन की खरीद के साथ साथ इसके नवीकरण/मरम्मत पर किया गया कुल ₹41.93 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। इसी प्रकार, ₹30.03 करोड़ (2011) की लागत पर प्रापण की गई आईसीसी पेरिस हेतु सम्पत्ति, एक नवीकरण-अधीन बिल्डिंग के लिए एक स्थानीय सुरक्षा अभिकरण को नियुक्त करने पर ₹14.89 करोड़ के अनियमित व्यय के साथ जून 2022 तक बिना उपयोग किए रही।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना 1950 में भारत तथा अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों तथा आपसी समझ को स्थापित करने, पुनर्जीवित करने एवं सुदृढ़ करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी। तदनुसार, विभिन्न स्थानों में भारतीय मिशनों को चयनित शहरों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करने में लगाया गया है जिसमें सम्पत्तियों की पहचान, उनकी खरीद तथा नवीकरण शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने वाशिंगटन तथा पेरिस में आईसीसी की स्थापना की समीक्षा की तथा पाया कि 2011 (पेरिस) तथा 2013 (वाशिंगटन) में सम्पत्तियों के प्रापण

तथा ₹86.85 करोड़[13] के व्यय के बावजूद इन्हें अप्रैल 2022 तक अभी भी उपयोग में लाया जाना था। वाशिंगटन तथा पेरिस में आईसीसी से संबंधित सम्पत्तियों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की नीचे चर्चा की गई हैः

(I) वाशिंगटन में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना पर निष्फल व्यय

विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) ने 5 अगस्त 1986 के अपने दिशा निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ अनुबंध किया कि एक सम्पत्ति की खरीद से पहले, उन सम्पत्तियों जिसमें बड़ी एवं मंहगी तथा नवीकरण की आवश्यकता है, को छोड़ कर, उचित प्रकार से सौदे की आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार किया जाना है। सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 में वित्तीय औचित्य के मानक वित्तीय आदेश अनुबंध करता है कि कड़ी मितव्ययता तथा यह भी कि व्यय प्रथम दृष्टया अवसर की मांग से अधिक नहीं होना चाहिए।

भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डीसी, यूएसए (ईओआई) ने, अपने स्वयं का सांस्कृतिक केन्द्र बनाने की दृष्टि से, $5.75 मिलियन डालर के मूल्य की 1438 यू स्ट्रीट, वाशिंगटन डीसी में अगस्त 2013 में एक सम्पत्ति खरीदी। लेखापरीक्षा के दौरान (जून 2020) यह देखा गया कि इसकी खरीद से लगभग नौ वर्षों के अंतराल के बाद कथित सम्पत्ति परित्यक्त स्थिति में रही है तथा वह किसी भी सांस्कृतिक गतिविधियों संचालित करने के लिए अनुपयुक्त है। इस संबंध में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं थीं:

ए. एक अनुपयुक्त सम्पत्ति का चयनः

मंत्रालय के सम्पत्ति दल (दल) ने सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करने हेतु खोज की गई सम्पत्तियों में से '1343 एल स्ट्रीट' तथा '1438 यू स्ट्रीट' वाशिंगटन डीसी, यूएसए में दो सम्पत्तियों को चुना था। दल ने जोर दिया कि $5.95 मिलियन मूल्य की 1438 यू स्ट्रीट में सम्पत्ति (1909 में निर्मित) की तुलना में

---

[13]आईसीसी वाशिंगटन-₹41.93 करोड़+आईसीसी पेरिस प्रापण की लागत ₹30.03 करोड़+ सुरक्षा पर सुरक्षा व्यय ₹14.89 करोड़

$5.9 मिलियन मूल्य की 1343 एल स्ट्रीट' सम्पत्ति (1959 में निर्मित तथा 2008 में पुनर्निमित) को नवीकरण पर कम व्यय के साथ आसानी से फिर से तैयार किया जा सकेगा। यद्यपि ईओआई (मार्च 2013) ने '1343 एल स्ट्रीट' सम्पत्ति के लिए जल्द अनुमोदन की मांग की थी, फिर भी मंत्रालय ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि एक सशक्त दल एल स्ट्रीट सम्पत्ति के मोल भाव तथा अंतिम रूप देने के लिए मई 2013 के दौरान वाशिंगटन डीसी का दौरा करेगा। दल ने '1343 एल स्ट्रीट' सम्पत्ति के मालिक को एक आशय पत्र द्वारा यूएस $5.52 मिलियन के लिए प्रस्तावित किया जिसे उन्होंने यह कहते हुए लौटा दिया कि उनके पास पहले से ही एक संभावित खरीददार है जिसे यूएस$5.9 मिलियन का प्रस्ताव दिया है तथा इसलिए वे उच्च प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद दल ने 1438 यू स्ट्रीट पर स्थित ₹103-वर्ष' पुरानी सम्पत्ति के मालिक के साथ मोल भाव किया जिसके लिए मंत्रालय ने प्रापण के प्रति $5.75 मिलियन तथा आंतरिक कार्यो एवं नवीकरण हेतु $1.50 मिलियन संस्वीकृत (जून 2013) किए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सम्पत्ति को प्रापण से पूर्व ही ईओआई सम्पत्ति के समीप में पेट्रोल स्टेशन की मौजूदगी, अतिक्रमणों की मौजूदगी से अवगत थे तथा यह भी था कि संरचनात्मक स्थिरता रिपोर्ट[14] ने जल घुसपैठ, छत की समस्या जिसे बदलने की आवश्यकता थी, फर्श के बिगड़े हुए जोड़, संगमरमर के बिगड़े हुए मुखौटा हेतु संभावित मरम्मत लागत आदि उजागर किया। संरचनात्मक स्थिरता रिपोर्ट ने यह भी बताया कि दूसरा तल केवल कार्यालय उपयोग के लिए ही उपयुक्त था तथा यदि समारोहों के लिए उपयोग किए जाने की आशा की गई है तो लाइव लोड क्षमता को सत्यापित करने हेतु आगे के विश्लेषण की आवश्यकता थी।

[14] एहलर्ट/ब्रायन, आईएनसी, संरचनात्मक स्थिरता रिपोर्ट दिनांक 28 जून 2013

तदनुसार, ईओआई ने मरम्मत तथा नवीकरण (जून 2013) हेतु अनुमानों की मांग की जिससे प्रकट[15] हुआ कि $1.50 मिलियन की संस्वीकृत लागत के प्रति यदि छत के ऊपर के हिस्से की मरम्मत पर भी विचार किया गया तो मरम्मतों तथा नवीकरण के लिए अनुमानित लागत लगभग $4.06 मिलियन होगी। अन्य अनुमान[16] ने सम्पत्ति की मरम्मत का खर्च $2.4 मिलियन पर इस कल्पना के साथ किया कि यदि सम्पत्ति का रखरखाव किया गया तो सम्पत्ति का जीवन काल 40-50 वर्षों तक बढ़ जाएगा।

यद्यपि पहचान की गई सम्पत्ति में संरचनात्मक मुद्दों, व्यापक नवीकरणों की आवश्यकता के साथ-साथ इससे जुड़े अतिक्रमणों से भलीभांति अवगत थे फिर भी मंत्रालय द्वारा $8.15 मिलियन डालर की संशोधित संस्वीकृति जारी की गई थी (जुलाई 2013)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अतिक्रमण का पहले से मौजूद मुद्दा 2013 तक बिना सुलझाए बना रहा तथा सम्पत्ति की खरीद के पश्चात ईओआई से प्राप्त दो रिपोर्टों[17,18] ने अंतर्निहित संभावित वेपर अतिक्रमण स्थितियों को दर्शाया क्योंकि पैट्रोल पम्प ने सम्पत्ति की दीवार साझा किया था तथा सम्पत्ति में उपयोग किया गया सीमेंट खराब गुणवत्ता का था।

इस तथ्य के बावजूद कि मंत्रालय इससे अवगत था कि 103 वर्ष पुरानी सम्पत्ति में सार्थक संरचनात्मक चिंताओं के साथ-साथ अतिक्रमण के मुद्दे भी थे, फिर भी उसने इसको खरीदने का निर्णय नहीं बदला तथा परिणामस्वरूप परिहार्य देयताएं ग्रहण की।

---

[15] बार्नेस वांजे आर्किटेक्ट्स आईएनसी अनुमान दिनांक 13 जून 2013

[16] एचआईटीटी अनुमान दिनांक 15 जुलाई 2013

[17,] द वर्टेक्स कम्पनीस इंक की अक्टूबर 2017 की रिपोर्ट

[18]मोर्टार विश्लेषण रिपोर्ट जून 2019

बी. सम्पत्ति की वर्तमान स्थितिः

अगस्त 2013 में सम्पत्ति के प्रापण के बाद मंत्रालय ने केवल अगस्त 2015 में आंतरिक नवीकरण हेतु वास्तुकला-परामर्शदाता (परामर्शदाता) के रूप में 'मैसर्स स्टूडियोस आर्किटेक्चर' को नियुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया। नियुक्ति के पश्चात, सम्पत्ति के परामर्शदाता के स्वतंत्र विश्लेषण (नवम्बर 2015) ने संकट के संकेत, खराब संरचनात्मक अखंडता, पानी के घुसपैठ, मुख्य प्रवेश द्वार में पत्थरों के बीच बड़ी दरारों, भूतल पर दरारों तथा द्वितीय तल पर अनुपस्थित एण्ड-सपोर्ट आदि को प्रकट किया। परामर्शदाता ने सम्पत्ति के नवीकरण हेतु प्राप्त किए जाने वाले निर्माण कार्यों, परीक्षण तथा अनुमतियों की विस्तृत सूची प्रस्तुत की (अप्रैल 2016) तथा अंतिम निविदा दस्तावेज तैयार करने से पूर्व समीक्षा हेतु आंतरिक निर्माण कार्यों के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए (मई 2016)।

ईओआई वाशिंगटन ने यू स्ट्रीट सम्पत्ति के नवीकरण प्रस्ताव को इस दलील पर छोड़ दिया (मई 2019) कि यूएस सरकार ने दूतावास के लिए एक अलग प्लॉट का प्रस्ताव दिया था और सुझाव दिया कि सम्पत्ति के नवीकरण पर आगे और व्यय नहीं किया जाए तथा एक वैकल्पिक सम्पत्ति की पट्टे पर लेने का भी सुझाव दिया जो अस्थायी आधार पर सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में काम कर सकेगा। एमईए का एक तीन-सदस्यी सम्पत्ति दल जिसने वाशिंगटन डीसी का दौरा किया था, ने सुझाव दिया (फरवरी 2020) कि 1438 यू स्ट्रीट सम्पत्ति के निपटान पर केवल तभी विचार किया जाना चाहिए यदि इसका बिक्री मूल्य सरकार द्वारा इस सम्पत्ति पर अब तक किए गए व्यय से अधिक है। दल ने मिशन को सम्पत्ति के वर्तमान बाजार मूल्य का पता लगाने की सलाह दी। ईओआई द्वारा मार्च 2020 में अधिकृत सम्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट ने सम्पत्ति का मूल्य ₹22.38 करोड़ रखा। सम्पत्ति का व्यर्थ रहना जारी रहा तथा इस प्रकार

सम्पत्ति पर किया गया ₹41.93 करोड़[19] का कुल व्यय (सितंबर 2021) निष्फल हो गया है तथा अभिप्रेत परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2021) कि वाशिंगटन डीसी राजधानी शहर होने से, अचल सम्पत्ति बाजार काफी गर्म है जहां मांग स्पष्ट रूप से आपूर्ति को पीछे छोड़ती है जिससे सम्पत्तियों की उपलब्धता गम्भीर रूप से प्राभावित होती है। बहुत कम ही व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध थे जो क्रियात्मक उपयुक्तता, स्थान आवश्यकता, अवशिष्ट जीवन, सुरक्षा, अवस्थिति, अच्छी संयोजकता आदि के अपेक्षित मापदण्ड को पूरा कर रहे थे। इसने वाशिंगटन में सांस्कृतिक केन्द्र हेतु उपयुक्त सम्पत्ति की पहचान करने को अत्यंत कठिन तथा समय लेने वाला बना दिया।

मंत्रालय का उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है कि सभी तथ्य एवं रिपोर्ट होने के बावजूद न तो ईओआई को समय पर महसूस हुआ कि सम्पत्ति सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में उपयुक्त होगी और न ही मंत्रालय ने सम्पत्ति के प्रापण से पूर्व संरचनात्मक व्यवहार्यता, अतिक्रमण के मुद्दे तथा नवीकरण की लागत का निर्धारण करने में उचित सतर्कता का प्रयोग किया। ईओआई तथा मंत्रालय दोनों ने दिशा निर्देशों से विचलन किया जिसमें उन्हें बड़ी नवीकरण लागत तथा संबद्ध कानूनी मुद्दों वाली सम्पत्तियों को खरीदने से रोकना अपेक्षित था। परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने बिना किसी अभिप्रेत परिणाम के ₹41.93 करोड़ (सितंबर 2021 तक) का व्यय करते हुए सम्पत्ति के अविवेकपूर्ण अधिग्रहण का सहारा लिया। ईओआई वाशिंगटन का आगे कोई नवीकरण न कराने तथा सांस्कृतिक केन्द्र के प्रयोजन हेतु वैकल्पिक सम्पत्ति को पट्टे पर लेने पर विचार करने का निर्णय लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को प्रमाणित करता है कि बिल्डिंग की खरीद/नवीकरण पर किया गया ₹41.93 करोड़ का व्यय निष्फल साबित हुआ है।

---

[19] पूंजीगत परिव्यय- ₹38.82 करोड़, यूटीलिटी-₹09 करोड़, अन्य-₹3.01 करोड़, संरचनात्मक-₹0.01 करोड़

(II) पेरिस पर भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना

भारतीय दूतावास, पेरिस (मिशन) ने भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र (आईसीसी) की स्थापना करने के लिए मार्च 2011 में ₹ 30.03 करोड़ की एक सम्पत्ति खरीदी। सीएजी के 2014[20] के प्रतिवेदन सं. 16 ने इंगित किया कि आईसीसी की स्थापना करने हेतु खरीदी गई, इस सम्पत्ति को आईसीसी के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्राथमिक स्थिति[21] की कमी थी। इसके अलावा, मिशन ने इसके 24 घण्टे सुरक्षा पर लगभग ₹ 1.24 करोड़ का वार्षिक व्यय किया। मंत्रालय ने लोक लेखा समिति (पीएसी) को आश्वासन दिया था (मार्च 2015) कि बिल्डिंग में नवीकरण/मरम्मत 2016 तक पूरी की जानी थी। इस संबंध में अनुवर्ती लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रकट किया:

(ए) आईसीसी बिल्डिंग के नवीकरण/मरम्मत में विलम्बः अप्रैल 2022 में मिशन ने मंत्रालय को सूचित किया कि आईसीसी पेरिस में संशोधन तथा नवीकरण कार्य का 95% पूर्ण होना अनुमानित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएसी (मार्च 2015) को 2016 तक कार्य को पूर्ण करने के आवश्वासन के बावजूद, जून 2022 तक कार्य अभी भी प्रगति पर था। विलम्ब के कारणों में डिजाईन की कमियों को सुलझाना, अग्नि सुरक्षा हेतु मानदंडों को पूरा करना, ठेकेदारों का चयन, मुख्य ठेकेदार (मेसर्स लैक्रोइक्स) का 2019 में दिवालिया होना आदि शामिल थे। इस प्रकार, आईसीसी की स्थापना करने हेतु ₹ 30.03 करोड़ की लागत पर 2011 में खरीदी सम्पत्ति जून 2022 तक बिना उपयोग किए रही।

(बी) सुरक्षा सेवाओं की नियुक्ति पर अनियमित व्यय: भारतीय दूतावास, पेरिस (अप्रैल 2011) ने असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए आईसीसी बिल्डिंग के साथ साथ दूतावास आवास पर अपने मौजूदा सेवा प्रदात्ता की सेवाओं को प्रदान करने की मांग करते हुए परिसरों में 24 घण्टे सुरक्षा कवर प्रदान करने हेतु

---

[20] 2014 के प्रतिवेदन सं. 16 का पैरा 7.3 शीर्षक 'विदेश मंत्रालय द्वारा वैश्विक संपदा प्रबंधन'

[21] फ्रैंच विनियमों के तहत ऐसी बिल्डिगों में न्यूनतम दो निकास तथा न्यूनतम 100 लोगों की सभा का प्रावधान अपेक्षित है।

मंत्रालय के सैद्धांतिक अनुमोदन की मांग की थी। तथापि, मंत्रालय ने मिशन को पूर्ण औचित्य तथा कम से कम चार तुलनीय उद्दरणों के साथ निर्धारित पद्धति में प्रस्ताव प्रेषित करने का निदेश दिया (अप्रैल 2011)।

जीएफआर 2005[22] का नियम 22 बताता है कि कोई भी प्राधिकारी भारत की समेकित निधि से कोई व्यय नहीं करेगा अथवा व्यय वाली किसी भी देयता में शामिल नहीं होगा जब तक कि इसे एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत नहीं किया गया हो। तथापि, मिशन ने मंत्रालय के निदेशों तथा जीएफआर को दरकिनार करते हुए, ऐसी नियुक्ति का प्रस्ताव करते हुए, सीधे भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) को सिफारिश की (अप्रैल 2011)। मिशन के प्रस्ताव के आधार पर आईसीसीआर ने €15,171.26 (₹ 9.81लाख)[23] के मासिक प्रभारों पर आईसीसी बिल्डिंग हेतु सुरक्षा अभिकरण को नियुक्त करने का अनुमोदन दिया (20 अप्रैल 2011)। अपने अनुमोदन में आईसीसीआर ने भी मिशन को यह दर्शाने के लिए कहा कि निधियों की आवश्यकता केवल वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ही थी।

दूतावास में संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया किः

i. मिशन ने मंत्रालय के निदेशों को अनदेखा किया तथा आईसीसीआर से, मंत्रालय के निदेशों से अवगत कराए बिना, ऐसी नियुक्ति करने हेतु सीधे संस्वीकृति प्राप्त की।

ii. आईसीसीआर ने सुरक्षा अभिकरण को नियुक्त करने को संस्वीकृत करते समय मिशन से केवल वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु निधियों की आवश्यकता की मांग की जिसका अर्थ है कि संस्वीकृति केवल वर्ष 2011-12 के लिए वैध थी। इसके बावजूद मिशन ने अनुवर्ती वर्षों के दौरान भी कथित सुरक्षा अभिकरण पर व्यय करना जारी रखा है।

---

[22] जीएफआर 2005 में जीएफआर प्रावधान जीएफआर 2017 में भी वही रहे।

[23] €1=₹ 64.70 की अप्रैल 2011 की आरओई

iii. मिशन यह प्रमाणित नहीं कर सका था कि आईसीसीआर ने, किसी भी समय, मूल संस्वीकृति को बढ़ाया था। इस प्रकार, 2011-12 से सितंबर 2021 तक ₹14.89 करोड़ राशि का कुल व्यय, अप्रैल 2012 से सितंबर 2021 तक की अवधि के लिए कुल ₹13.87 करोड़ राशि का व्यय एमईए के अनुमोदन तथा आईसीसीआर की संस्वीकृति के बिना था। मिशन द्वारा व्यय को आईसीसीआर के शीर्ष 'अन्य व्यय' के अधीन दर्ज किया जा रहा था।

iv. इंगित किए जाने पर, मिशन ने मंत्रालय/आईसीसीआर को पहले से किए गए व्यय को नियमित करने तथा कम से कम मार्च 2020 तक नियुक्ति को अनुमत करने हेतु संपर्क किया (जनवरी 2019)। मंत्रालय ने कथित व्यय को समस्त रूप से अनियमित कहा (जनवरी 2019) तथा कहा कि आईसीसीआर ने भी सुरक्षा की 24 घण्टे नियुक्ति पर प्रश्न उठाया। इसके आगे, मंत्रालय ने कुछ अतिरिक्त सूचना[24] की मांग करते समय सुरक्षा की निरंतर नियुक्ति के प्रस्ताव को 'रोका' तथा स्पष्ट किया कि इस पर केवल आईसीसी बिल्डिंग की सुरक्षा लेखापरीक्षा के बाद ही विचार किया जाएगा।

v. मंत्रालय के सुरक्षा ब्यूरो (बीओएस)[25] ने भी सुरक्षा की नियुक्ति की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की (मार्च 2019)। तथापि, मिशन ने बीओएस को उत्तर देने के बजाय फिर से मंत्रालय को अनदेखा किया था तथा एलएसजी की नियुक्ति को जारी रखने की अनुमति हेतु आईसीसीआर को लिखा (फरवरी तथा अप्रैल 2019)। आईसीसीआर ने मिशन को मंत्रालय को, एक प्रस्ताव भेजने की सलाह दी (मई 2019)। इसके बाद, मिशन ने यह बताते हुए कि प्रस्ताव की निविदा प्रक्रिया के

---

[24] जैसे कि संस्वीकृत आदेश, निविदा प्रक्रिया ऐसी संस्वीकृति जारी करने वाले अधिकारियों आदि के ब्योरे।

[25] बीओएस विश्वभर में भारतीय मिशन/पोस्ट के सभी सुरक्षा संबंधी मामलों को संभालने हेतु नोडल अभिकरण है।

पश्चात् अनुमोदन[26] हेतु प्रेषित किया जाएगा, मंत्रालय के साथ मामले को आगे बढ़ाया (मई 2019)।

vi. मिशन ने बताया (अक्टूबर 2019) कि सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति, फ्रांस के विदेश मंत्रालय की, पेरिस में सुरक्षा स्थिति के संबंध में सलाह के दृष्टांत में, कार्यकारी डीजी, आईसीसीआर की टिप्पणियों (मई 2019) के आधार पर जारी थी। मिशन ने 2012 से कथित व्यय के नियमितीकरण की मांग की तथा उसने क्या इन सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए पर भी मंत्रालय के अनुदेशों की मांग की।

vii. कार्य स्थल को नवीकरण हेतु निर्माण कम्पनी/ठेकेदार को सौंपने (जून 2018) तथा कार्य स्थल पर केवल ठेकेदार की सामग्री/मज़दूर होने के बावजूद भी मिशन ने एक नवीकरण के अधीन बिल्डिंग हेतु सुरक्षा प्रदान करना जारी रखा।

मिशन ने बताया (सितंबर 2020) कि वह व्यय के कार्योत्तर नियमितीकरण हेतु मामले का लगातार अनुसरण कर रहा था तथा उसने मंत्रालय को सभी अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा दी थी। मंत्रालय के निदेशों (सितंबर 2020) के आधार पर, मिशन ने फरवरी 2021 में मंत्रालय को सीसीटीवी लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मंत्रालय ने तथ्यों एवं आंकड़ों को सुनिश्चित करते समय (सितंबर 2021) बताया कि सीसीटीवी तथा अतिक्रमण रोधी प्रणाली स्थापित करने के मिशन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया तथा उसको नए सुरक्षा निर्धारण तक एलएसजी को हटाने की सलाह दी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 2011-2018 के बीच इसका मिशन के साथ कोई पत्राचार नहीं हुआ था तथा मिशन ने 2012-2018 के बीच बीओएस प्रभाग के साथ नियमितीकरण हेतु किसी संबंधित पत्राचार को साझा

[26] मंत्रालय के निदेशानुसार उद्दरणों हेतु विज्ञापन केन्द्रीय सार्वजनिक प्रापण (सीपीपी) पोर्टल पर प्रकाशित (मई 2019) किया गया था। उत्तर में, मिशन को आईसीसी बिल्डिंग हेतु एलएसजी की आपूर्ति के लिए तीन बोलियां प्राप्त हुई।

नहीं किया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि एलएसजी पर व्यय के कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने के मिशन के प्रस्ताव का इस समय जांच की जा रही है। लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि मिशन ने सितंबर 2021 तक भुगतान जारी किए थे तथा अभी भी एलएसजी को नियुक्त करना जारी रखा है।

इस प्रकार मिशन ने (i) 2011 में मंत्रालय के निदेशों को दरकिनार करते हुए; तथा (ii) महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए आईसीसीआर से, ऐसी नियुक्ति हेतु मंत्रालय की निर्धारित प्रक्रियाओं के संबंध में अवगत कराए बिना, सीधे संस्वीकृति प्राप्त करके नवीकरण के अधीन आईसीसी बिल्डिंग हेतु एलएसजी की नियुक्ति पर अप्रैल 2011-सितंबर 2021 की अवधि के लिए ₹14.89 करोड़ का अनियमित व्यय किया था।

निष्कर्षः *विदेश मंत्रालय द्वारा पेरिस (2011) तथा वाशिंगटन (2013) में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करने हेतु खरीदी गई दोनों सम्पतियों को क्रमशः ग्यारह तथा नौ वर्षों के बाद भी सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में उपयोग में नही लाया गया है। वाशिंगटन पर खरीदी गई सम्पत्ति में अंतर्निहित कमियां, विशिष्ट संरचनात्मक मुद्दे, अतिक्रमण के मुद्दे तथा बड़े पैमाने पर नवीकरण की आवश्यकता आदि थे। 2016 तक आईसीसी पेरिस के नवीकरण को पूर्ण करने की पीएसी (2015) को की गई वचनबद्धता के सापेक्ष अप्रैल 2022 तक केवल 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किए जाने के साथ महत्वपूर्ण विलम्ब तथा एक सुरक्षा अभिकरण की नियुक्ति पर ₹ 14.89 करोड़ का परिहार्य व्यय था।*

भारतीय दूतावास, बीजिंग

2.3 लागत वृद्धि तथा ब्याज का परिहार्य भुगतान

भारतीय दूतावास, बीजिंग ने वृद्धि के कारण ₹8.53 करोड़ का परिहार्य भुगतान किया जबकि वृद्धि खंड के संबंध में संविदा के निबंधनो एवं शर्तों के अनुसार लागू नहीं थी। इसी प्रकार, मिशन द्वारा ठेकेदार के देयता भुगतान को तीन से पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक रोकने का परिणाम ₹1.58 करोड़ के ब्याज के परिहार्य भुगतान में हुआ।

भारतीय दूतावास, बीजिंग (मिशन) विदेश मंत्रालय (मंत्रालय) ने भारतीय दूतावास परिसर, बीजिंग, चीन के निर्माण हेतु मैसर्स चाईना रेलवे कंस्ट्रक्शन ग्रुप कम्पनी (सीआरसीसी/ठेकेदार) के साथ अप्रैल 2007 में यूएसडी 75,45,626.20 (₹31.33 करोड़) की एकमुश्त निविदा लागत पर संविदा की। परियोजना के प्रारम्भ तथा समापन की निर्धारित तिथियां क्रमशः जून 2007 तथा मार्च 2009 थीं। बाद में उन निर्माण कार्यों की लागत जो मूल संविदा में नहीं थे, को शामिल करने के पश्चात् संविदा की पूर्ण लागत यूएसडी 96,76,959.20 (₹40.16करोड़[27]) तक बढ़ गई।

निर्माण परियाजना में चालू खाता (आरए) बिल के माध्यम से 16 मध्यवर्ती चरणों में भुगतान शामिल थे। ठेकेदार तथा परामर्शदाता (मैसर्स राज रेवल एसोसिएट्स-आरआरए) के अतिरिक्त मिशन/मंत्रालय ने परियोजना की प्रगति के पर्यवेक्षण हेतु सीपीडब्ल्यूडी को नियुक्त किया था। मध्यवर्ती भुगतान पूर्वनिर्धारित निर्माण चरणों से जुडे थे तथा मिशन द्वारा मंत्रालय को भुगतान की संस्वीकृति की सिफारिश किए जाने से पूर्व आरए बिलों की परामर्शदाता/सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जांच की जानी अपेक्षित थी। प्रत्येक आरए चरण पर, पूर्व निर्धारित निर्माण प्रगति भुगतान देय था तथा जुटाव अग्रिम तथा प्रतिधारण राशि के भुगतान का अनुपात प्रगति के 10 प्रतिशत की दर से समायोजित किया जाना था।

संविदा के खंड 14.7 के अनुसार, मिशन को परामर्शदाता विवरणियों तथा समर्थन दस्तावेजों की प्राप्ति होने के पश्चात् 56 दिनों के भीतर प्रत्येक अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र में प्रमाणित राशि अदा करना अपेक्षित था। आगे संविदा के खंड 14.8 के अनुसार, यदि ठेकेदार को खंड 14.7 के अनुसार भुगतान प्राप्त नहीं हुआ तो ठेकेदार विलम्ब की अवधि के दौरान अदत्त राशि पर मासिक चक्रवृद्धि वित्तपोषण शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा। इन वित्तपोषण शुल्कों को भुगतान की मुद्रा के देश में सेंट्रल बैंक की छूट दर से अधिक तीन प्रतिशत अंक की वार्षिक दर पर परिकलित किया जाएगा तथा ऐसी मुद्रा में भुगतान किया जाएगा। ठेकेदार किसी

---

[27] यूएसडी 1 का विनिमय दर =आईएनआर 41.50

औपचारिक सूचना या प्रमाणन के बिना तथा किसी अन्य अधिकार अथवा निदान के पक्षपात के बिना इस भुगतान का हकदार होगा। संविदा का खंड 14.9 ने विनिर्दिष्ट किया कि जब निर्माण कार्यों के लिए कार्यभार ग्रहण प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया था तो प्रतिधारण राशि के प्रथम आधे भाग को परामर्शदाता द्वारा ठेकेदार को भुगतान हेतु प्रमाणित किया जाएगा तथा अन्य आधा भाग दोष दायित्व अवधि अर्थात बिल्डिंग की सुपुर्दगी देने/ सुपुर्दगी लेने के दो वर्षों के बाद देय होगी।

मिशन ने 26 दिसंबर 2011 को औपचारिक रूप से बिल्डिंग की सुपुर्दगी ली। ठेकेदार ने मिशन को प्रतिधारण राशि (आंशिक), 16वां आरए बिल तथा अंतिम बिल के प्रति बकाया राशि का दावा किया (नवम्बर 2011 तथा अप्रैल 2012 के बीच)। मिशन ने एमईए को अंतिम बिल (जिसमें विविध मदें शामिल हैं) तथा 16वां आरए बिल प्रेषित किया (18 अप्रैल 2012) परंतु इन्हें अनुमोदित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2013 तक मिशन के पास ठेकेदार के बकाया बिल निम्नानुसार थे:

तालिका सं. 7: ठेकेदार के बकाया बिलों की विवरणी

क्र.सं.	मद	दावा किया गया (यूएसडी)/ठेकेदार द्वारा दावा की गई तिथि
1.	16वां आरए बिल	3,39,553.18/ नवम्बर 2011
2.	9वीं तथा 12वीं आरए बिल	47,739/ जनवरी 2010 (शेष राशि)
3.	अंतिम बिल की राशि	4,61,566/ 06 अप्रैल 2012 (कटौती से पहले)
4.	प्रतिधारण राशि	9,38,673/ दिसंबर 2011 (50%) एवं दिसंबर 2013 (50%)
कुल		**यूएस $ 1792237.18**

इसी बीच, मिशन ने ठेकेदार को लिफ्ट में त्रुटियों के संबंध में सूचित किया तथा दायित्व अवधि के दौरान इसका सुधार करने का नोटिस जारी किया (20 नवम्बर 2013)। ठेकेदार ने दावा किया कि लिफ्ट अच्छी हालत में थी तथा केवल नियमित रखरखाव की आवश्यकता थी तथा यूएस $16,93,636.46[28] की अपनी अतिदेय राशि हेतु अनुरोध किया (15 जनवरी 2014), जिसमें ब्याज, 9वीं एवं

[28] 16वां आरएआर यूएस $33,95,53.18+अंतिम बिल यूएस $4,15,409.71+प्रतिधारण राशि यूएस $938673.57 = यूएस $16,93,636.46

12वी आरएआर की शेष राशि तथा वृद्धि राशि शामिल/वसूल नहीं की गई थी। बाद में जून 2014 में, ठेकेदार ने यूएस $28,79,168.46 की अतिदेय राशि का एक बिल प्रस्तुत किया जिसमें यूएस $11,85,532.00 की वृद्धि राशि शामिल थी। दिसंबर 2014 तक सीआरसीसी अधिकारियों ने वृद्धि के साथ तथा बिना ब्याज के बकाया भुगतान की मांग को जारी रखा। तथापि, जनवरी 2015 में, सीआरसीसी ने संविदा के खंड 14.7 एवं 14.8 के अनुसार, विलम्ब की अवधि के दौरान अदत्त राशि पर चक्रवृद्धि मासिक ब्याज सहित भुगतान की मांग की।

मंत्रालय ने सितंबर 2015 में दो लिफ्टों, प्रतिधारण राशि, ताप प्राभारों, पर्यावरणीय जांच आदि से संबंधित राशि की कटौती करने के पश्चात में ठेकेदार को कुल यूएस $1,97,175.39 की राशि का 16वां आरएआर बिल अदा किया। यूएस $61050 की लिफ्ट की लागत की कटौती की गई थी चूंकि उन्हें देयता अवधि के दौरान खराब पाया गया था तथा तदनुसार, बाद में यह निर्णय लिया जाना था कि क्या लिफ्टों का भुगतान किया जाना था या नहीं। मंत्रालय ने आगे अगस्त 2017 में प्रतिधारण राशि (यूएस $9,38,648), अंतिम बिल (यूएस $4,15,409) एवं अक्टूबर 2017 (यूएस $47,739) को 9वीं तथा 12वीं आरएआर की अदत्त राशि का भुगतान किया। लिफ्टों की रोकी गई लागत का भुगतान भी इन्हीं बिलों में जारी किया गया था। बकाया मूलधन का भुगतान करते समय लिफ्टों की रोकी गयी लागतों का भुगतान भी अक्टूबर 2017 में जारी किया गया। इस प्रकार, वृद्धि एवं ब्याज के अलावा सभी भुगतान जैसा प्रस्तुत/दावा किया गया था, अक्तूबर 2017 तक मंत्रालय द्वारा सीआरसीसी को अदा किए गए थे।

इसी बीच, अगस्त 2017 में सीआरसीसी ने मिशन को एक प्रस्ताव दिया कि ब्याज एवं वृद्धि के सापेक्ष दावा की गई यूएस $ 33,55,461.30 की कुल देय राशि, जिसमें से ब्याज यूएस$ 8,77,520.15 था तथा वृद्धि यूएस $24,77,941.30 थी, के प्रति मुद्दे को इस आधार पर कि सीआरसीसी 16 फरवरी 2018 से पहले दूतावास से राशि प्राप्त कर सकेगा, के अधीन जल्द से जल्द सुलझाने के लिए 55 *प्रतिशत* (किए जाने वाला भुगतान यूएस $

15,09,957.59) छोड़ दिया जाएगा। तथापि, नियत तिथि तक ठेकेदार को कोई भुगतान जारी नहीं किया गया था।

बाद में, सीआरसीसी द्वारा ब्याज संघटक[29] में वृद्धि के कारण जून 2018 तक मांग बढ़कर यूएसडी 41,25,905.55 तक हो गई। इसके सापेक्ष में मिशन ने, ठेकेदार द्वारा शेष राशि छोड़ जाने के बाद, सितंबर 2018 में यूएसडी 12,31,245.00 (₹8.53 करोड़[30]) की लागत वृद्धि तथा यूएसडी 2,28,712.59 (₹1.58 करोड़[31]) के ब्याज के कारण यूएसडी 14,59,957.59 का कुल भुगतान किया। ठेकेदार ने 05 सितंबर 2018 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया तथा परियोजना से संबंधित सभी खातों का निपटान कर दिया गया था।

इस पूर्ण प्रक्रिया में, लेखापरीक्षा ने वृद्धि तथा ब्याज के कारण ₹10.11 करोड़ का परिहार्य भुगतान पाया जैसा नीचे ब्योरा दिया गया हैः

(ए) (i) वृद्धि का परिहार्य भुगतानः

निर्माण परियोजना हेतु वृद्धि तथा ब्याज भुगतान के संबंध में मिशन द्वारा प्रेषित ठेकेदार के दावे की जांच करते समय मंत्रालय ने पाया (नवम्बर 2017) कि वृद्धि के संबंध में खंड,जैसा सीआरसीसी द्वार उजागर किया गया था, निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट में डाटा, जो कि अनिवार्य था, के अभाव में लागू नहीं था। तदनुसार, मंत्रालय ने मामले को अपने विधि एवं संधि (एलएण्डटी) प्रभाव के साथ उठाया जिसने स्पष्ट किया कि खंड 13.8 के अनुसार, यदि समायोजन डाटा की पूर्ण तालिका को निविदा के परिशिष्ट में शामिल नहीं किया गया है तो वृद्धि से संबंधित इस उप-खंड को लागू नहीं किया जाएगा। निविदा दस्तावेज तैयार करने पर टिप्पणियों ने आगे प्रावधान किया कि "यह उप-खंड तब तक लागू नहीं किया जाना है जब तक निविदा के परिशिष्ट में भुगतान की प्रत्येक मुद्राओं हेतु एक तालिका को शामिल न किया जाए"। तथापि, इस स्थिति के बावजूद, मंत्रालय

---

[29] जून 2018 विलंबित भुगतान पर ब्याज-यूएसडी, 11,81,929.46; लागत वृद्धि -यूएसडी 12,31,245 तथा लागत वृद्धि पर ब्याज-यूएसडी 17,12,731.09

[30] 1 यूएसडी की विनिमय दर=आईएनआर 69.30

[31] 1 डालर की विनिमय दर=आईएनआर 69.30

ने वृद्धि के कारण सितंबर 2018 में ₹8.53 करोड़ (यूएस $12,31,245) का भुगतान किया।

(ii) लेखापरीक्षा ने पाया कि जनवरी 2014 तक ठेकेदार ने केवल यूएस $16,93,636.46[32] की अतिदेय राशि हेतु बिल प्रस्तुत किए थे जिसमें ब्याज तथा वृद्धि राशि को शामिल/उद्ग्रहण नहीं किया गया था। ठेकेदार ने पहली बार जून 2014 में यूएस $11,85,532 की वृद्धि को शामिल किया था। इसके बाद ठेकेदार ने विभाग से नियमित रूप से वृद्धि प्रभारों की मांग की।

लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण है कि यदि मिशन/मंत्रालय ने संविदात्मक दायित्वों का सख्ती से पालन किया होता तथा ठेकेदार को समय से बकाया भुगतान अदा किया होता तो लागत वृद्धि का मामला उत्पन्न नहीं हुआ होता।

(iii) मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि मामला उस बिंदु पर खड़ा जहां सीआरसीसी ने अपने संविदात्मक अनुबंध के अनुसार अपना कार्य पूर्ण कर लिया था तथा संविदा के खंड की उनकी व्याख्या के अनुसार ब्याज तथा वृद्धि के सापेक्ष भुगतान का दावा किया। उस चरण पर आंशिक भुगतान का परिणाम राजकोष को उस प्रकार की बचत में नहीं हुआ जितना कि मिशन बातचीत के माध्यम से प्राप्त करने में समर्थ था। मंत्रालय ने पुनः बताया कि मध्यस्थता, मुकदमेबाजी तथा अन्य कानूनी जटिलताओं की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था। इसने आगे बताया कि यदि दावे का इसके औचित्य के निर्धारण हेतु फारेंसिक विश्लेषण करने का निर्णय लिया गया होता तो चीन में भारत सरकार की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हो सकती थी, तथा इस प्रक्रिया में मंत्रालय को अधिक समय गंवाने तथा मासिक वृद्धि के कारण बड़े दावे का सामना करना पड़ सकता था।

बातचीत के माध्यम से वृद्धि के कारण बड़े दावे से बचने के आधार पर मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रथम स्थान पर, संविदा के अनुसार वृद्धि के

---

32 16वां आरएआर यूएस$ 3,39,553.18+अंतिम बिल यूएस$15,409.71+अवधारण राशि यूएस$9,38,673.57=यूएस$16,93,636.46

भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त, यदि मंत्रालय मुकेदमेबाजी से बचना चाहता था तो दावे का स्वयं ही 2012 में तुरंत ही निपटान किया जाना चाहिए था।

बी) बिलों के निपटान में असाधारण विलम्ब तथा ब्याज का परिहार्य भुगतानः

सामान्य निर्माण संविदा[33] के अनुसार, मिशन को विलम्ब की अवधि के दौरान अदत्त राशि पर चक्रवृद्धि मासिक ब्याज अदा करने से बचने के लिए विवरणियों[34] तथा समर्थन दस्तावेजों के प्राप्त होने से 56 दिनों के भीतर भुगतान करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अंतिम बिल/आरए बिलों के निपटान, प्रतिधारण राशि तथा अदत्त बिलों को जारी करने में असाधारण विलम्ब था जैसा नीचे **तालिका सं.8** में उल्लेख किया गया हैः

तालिका सं. 8: बिलों के निपटान में विलम्ब की विवरणी

क्र.सं.	मद	दावा किया गया (यूएसडी)/ठेकेदार द्वारा दावे की तिथि	संविदा के अनुसार अंतिम तिथि (56 दिन)	अदा किया गया (यूएसडी)	आईएनआर में	अभ्युक्तियां
1.	16वां आर ए बिल	3,39,553.18/ नवंबर 2011	जनवरी 2012	1,97,175.30	1,30,96,383.4 यूएसडी@आईएनआर 66.42	सितंबर 2015 में अदा किया गया
2.	9वींतथा12 वीं आरए बिल	47,739/जनवरी 2010	मार्च 2010	47,739	30,93,487(यूएसडी@ 64.8आईएनआर)	अक्तूबर 2017 में अदा किया गया
3.	अंतिम बिल की राशि	4,61,566 अप्रैल 2012 (कटौती के पहले)	जून 2012	4,15,409	2,70,43,124(यूएसडी @65.1 आईएनआर)	अगस्त 2017में अदा किया गया
4.	प्रतिदारण राशि	9,38,673/दिसम्बर (50 2011%)एवं दिसम्बर 2013 (50%)	फरवरी 2012 और फरवरी 2014	9,38,648	5,76,73,131.6 (अगस्त 17@ 65.1आईएनआर) 34,17,033.6 (अक्तूबर 17@64.8आईएनआर)	अगस्त 2017 में अदा किया गया (यूएसडी (8,85,916 और अक्तूबर 2017 (यूएसडी 52,732)

[33] संविदा अनुबंध का खंड 13.8, 14.7, 14.8 तथा 14.9

[34] वह राशि शामिल है जिसके लिए ठेकेदार ने सहायक दस्तावेजों, जिसमें उप खंड 4.21 के अनुसार माह के दौरान प्रगति पर रिपोर्ट शामिल है, के साथ स्वयं को हकदार समझा था।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सभी बिलों, जो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत/दावा किए गए थे, को तीन से पांच वर्षों के पश्चात ठेकेदार को अदा किए गए थे। इस विलम्ब के परिणास्वरूप ठेकेदार ने अतिदेय परियोजना भुगतान पर ब्याज संघटक की मांग करना शुरू कर दिया था। तदनुसार, अक्तूबर 2018 में ठेकेदार को कुल ₹1.58 करोड़ (यूएस $2,28,712.59) ब्याज अदा किया गया था। यह मंत्रालय तथा मिशन के बीच समन्वय की कमी के कारण था।

मंत्रालय ने बताया कि अंतिम बिल निपटान को रोक दिया गया था जिससे कि ठेकेदार से लिफ्टों की खराबी को ठीक करवाया जा सके। ताथापि, मंत्रालय ने स्वयं बताया कि मिशन द्वारा ठेकेदार के साथ हस्ताक्षर किए गए अनुबंध में विशिष्ट मरम्मतों/प्रतिस्थापन हेतु किसी भी राशि को रोकने का कोई प्रावधान नहीं था।

भुगतानों को रोकने की अनुमति देने हेतु किसी भी सांविदात्मक प्रावधान के अभाव में, मंत्रालय द्वारा, 16वें आरए बिल, 9वें एवं 12वें आरए बिल की अदत्त राशियों, अंतिम बिल तथा प्रतिधारण राशि के प्रति भुगतान करने में विलम्ब कुल ₹1.58 करोड़ (यूएस $2,28,712.59) के ब्याज के अपरिहार्य भुगतान का कारण बना।

निष्कर्षः *इस प्रकार, यदि मिशन/मंत्रालय ने संविदात्मक प्रावधानों का सख्ती से पालन किया होता तथा प्रस्तुत बिलों का भी सामयिक प्रकार से निपटान किया होता तो ₹8.53 करोड़ की लागत वृद्धि तथा ₹1.58 करोड़ के ब्याज के भुगतान पूर्णतः परिहार्य थे।*

2.4 अनुचित निविदा प्रक्रिया को अपनाने के अलावा निविदा के अंतर्गत कार्य की पहचान की गई मदों के मनमाने ढंग से विचलन लागत वृद्धि का कारण बना

मंत्रालय के अनुदेशों तथा मौजूदा प्रावधानों की अवहेलना में इण्डिया हाउस में मरम्मत एवं नवीकरण कार्य से संबंधित निविदा का निष्पादन, पुनः निविदा करने तथा समय एवं लागत के बढ़ जाने का कारण बना। इसका परिणाम ₹51.76 लाख (जेएमडी[35] 9.65 मिलियन) के परिहार्य व्यय के साथ ₹49.52 लाख (जेएमडी 9.17 मिलियन) की लागत के कार्य की चयनित मदों में मनमाने परिवर्तन से कार्य के निष्पादन तदर्थ दृष्टिकोण के साथ हुआ।

किंगस्टन (जमैका) में 960 वर्गमीटर में निर्मित क्षेत्र वाले इण्डिया हाऊस का वर्ष 1976 में अधिग्रहण किया गया था। इसके नवीकरण का प्रस्ताव भारतीय उच्चायोग (एचसीआई), किंग्स्टन द्वारा 2016 के दौरान प्रस्तुत (2016) किया गया था। विदेश मंत्रालय ने मिशन को सख्ती से सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) तथा मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार निविदा की प्रक्रियाओं का अनुपालन करने का अनुदेश दिया (05 अक्टूबर 2016)। मंत्रालय ने आगे सुझाया कि अन्य बातों के साथ साथ मरम्मतों की पहचान करने तथा उत्पादन की विशिष्टताओं तथा गुणवत्ता/मानक को दर्शाते हुए 'कार्य का क्षेत्र' तैयार करने जिससे कि बोलीकर्ता बोलियों में सही लागत का अनुमान लगा सके, "एक चरण एवं एक बोली" प्रणाली अथवा "एक चरण एवं दो बोलियाँ" प्रणाली का पालन करें जो सरल गैर तकनीकी कार्य एवं विशेष/तकनीकी कार्य पर निर्भर हो। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया कि बोलीकर्ताओं के चयन हेतु पूर्व योग्यता मानदण्ड तथा वाणिज्यिक निबंधनों एवं शर्तों, जैसी जीएफआर में निर्धारित की गई है, को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए तथा निविदा सूचना में सूचीबद्ध किया जाए।

[35] जेएमडी- जमैकन डॉलर

ए) मंत्रालय के अनुमोदन के बिना निविदा की स्वीकृति तथा अनुबंध स्थापित करना

तथापि, मिशन ने मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में बिना किसी अनुमान तथा विस्तृत कार्य क्षेत्र के 'एक चरण एवं एक बोली' प्रणाली को अपनाते हुए "इण्डिया हाउस-किंग्स्टन" में नवीकरण कार्य हेतु बोलियाँ आंमत्रित करने वाली सूचना जारी की (अक्टूबर 2016)। मिशन ने 24 अक्टूबर 2016 को पृथक रूप से बोली दस्तावेज खोले तथा बोलियों की जांच की तथा संभावित बोलिकर्ताओं से बोलियों में अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए अनुरोध किया। तकनीकी समिति ने बाद में बोलियों[36] का मूल्यांकन किया (31 अक्टूबर 2016) तथा इसके पश्चात् न्यूनतम[37] बोलीकर्ता (मेसर्स फॉसरिच लिमिटेड) का जेएमडी 55.786 मिलियन (₹2.94 करोड़: 1 जेएमडी =₹0.5271) की राशि के साथ चयन किया गया था (02 नवम्बर 2016)। इस प्रकार निविदा समिति ने पहले से ही खराब निविदा का मूल्यांकन किया था। मिशन ने नवीकरण कार्य हेतु चयनित परामर्शदाता के साथ जेएमडी 55.786 मिलियन का अनुबंध किया (15 नवम्बर 2016) तथा कार्य को आरम्भ किया तथा परियोजना के अंतर्गत कार्य की मद के समापन का उल्लेख करते हुए मैसर्स फोसरिच को जेएमडी 2.65 मिलियन (₹13.97 लाख) की राशि अदा की (30 नवम्बर 2016)। इसी बीच, मिशन ने मंत्रालय को इण्डिया हाउस की मरम्मत तथा नवीकरण हेतु निविदा के संबंध मे सूचित किया (03 नवम्बर 2016)। मंत्रालय ने यह उल्लेख करते हुए निविदा को रद्द कर दिया (01 दिसंबर 2016) कि बोलियां दो बोली प्रणाली के अंतर्गत आंमत्रित नहीं की गई थी तथा पांच बोलीकर्ताओं में दो अन्ततः एल1 एवं एल2 थे जिन्हें वित्तीय उद्धरणों को खोले जाने के पश्चात् तकनीकी आधार पर खारिज कर दिये गये थे, बोलियां

---

[36] निविदा में भाग लेने वाले पांच बोलीकर्ताओं अर्थात् मैसर्स पर्फोमेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड, मैसर्स अबलिट कन्सट्रक्शन सर्विसिस लिमिटेड, मैसर्स फॉसरिच, मैसर्स टॉप-टियर कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसिस तथा मैसर्स-नूबियन-1 कंसट्रक्शन लिमिटेड में से तीन परमर्शदाता (मैसर्स फॉसरिच ग्रूप ऑफ कम्पनिस, मैसर्स टॉप-टियर तथा मैसर्स न्यूबियन) को वित्तीय बोली हेतु चुना गया था तथा मैसर्स फॉसरिच का एल 1 होने से जेएमडी 55.786 मिलियन पर चयन किया गया था।

[37] दो अन्य बोलीकर्ताः मैसर्स टॉप-टियर कंसट्रक्शन-जेएमडी 69.83 मिलियन तथा मैसर्स न्यूबियन -जेएमडी 116.33 मिलियन

जमा करने के लिए अपर्याप्त समय प्रदान किया गया था, ईएमडी के प्रावधान का अभाव, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) को मिशन की वैबसाईट पर प्रकाशित न करना तथा मंत्रालय द्वारा प्रारूप एनआईटी का पुनरीक्षण न किया जाना जबकि इसमें शामिल व्यय काफी बड़ा था।

जबकि निविदा को रद्द कर दिया गया था, फिर भी लेखापरीक्षा ने पाया कि जेएमडी 2.65 मिलियन (₹13.97 लाख) की राशि का कार्य पहले ही किया जा चुका था तथा इसे कोई भी वित्तीय संस्वीकृति तथा पूर्व प्रशासनिक/तकनीकी अनुमोदन, जैसा जीएफआर के अंतर्गत अपेक्षित है, प्राप्त किए बिना अदा किया जा चुका था।

बी) पुनः निविदा में उच्च दरों की स्वीकृति

मिशन ने मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव अनुरोध के उचित पुनरीक्षण के पश्चात् कार्य की पुनः निविदा की (मार्च 2017)। निविदा पर दो परामर्शदाताओं[38] ने उत्तर दिया जिसमें एक परामर्शदाता अर्थात् मैसर्स हमिंगबर्ड को निविदा समिति द्वारा अयोग्य बताते हुए पूर्व-योग्यता चरण में अयोग्य घोषित कर दिया गया था तथा इस प्रकार मैदान में एकमात्र परमर्शदाता अर्थात् मैसर्स फॉसरिच की वित्तीय बोली को निविदा समिति द्वारा जेएमडी 62.79 मिलियन (₹3.38 करोड़: 1 जेएमडी =₹0.5398) की बोली के साथ स्वीकार किया गया था (25 मई 2017)। मिशन ने कार्य के निष्पादन हेतु बोलीकर्ता के साथ एक अनुबंध किया (09 अप्रैल 2018)। तथापि, पांच महीनों की अवधि में सफल बोलीकर्ता (मैसर्स फॉसरिच) की दोनों निविदाओं में मूल्य बोली में कार्य की सामान्य मदों के तुलनात्मक विश्लेषण ने 16 से 175 प्रतिशत तक के बीच की कीमत वृद्धि को प्रकट किया जिसमें ₹10.87 लाख (रसोई), ₹17.50 लाख (बाथरूम) तथा ₹18.23 लाख (फ्लोरिंग) की वृद्धि शामिल है जैसा नीचे **तालिका सं. 9 में** विवरण दिया गया हैः

[38] मैसर्स फॉसरिच तथा मैसर्स हमिंगबर्ड एवियेशन कंसलटेंट लिमिटेड ने भाग लिया।

तालिका सं. 9: मैसर्स फॉसरिच के दो निविदाओं के बीच कीमत वृद्धि का विवरण

क्र.सं.	पुराने पीक्यू में कार्य की मद	पुरानी दर (जेएमडी)	नई दर (जेएमडी)	अंतर (जेएमडी)	तुल्य अंतर (आईएनआर में)	प्रतिशतता अंतर
1	2	3	4	5	6	7
1.	बाथरूम	3905061.30	7146040.14	3240978.84	17,49,516.03	83%
2.	रसाई	2789329.50	4803200.00	2013870.50	10,87,109.45	72%
3.	फ्लोरिंग	4462927.20	7840000.00	3377072.80	18,22,981.05	76%
4.	खिड़कियाँ एवं दरवाजे	4462927.20	5888000.00	1425072.80	7,69,269.97	32%
5.	लैण्डस्केपिंग	2789329.50	4000000.00	1210670.50	6,53,533.25	43%
6.	स्टाफ क्वार्टर	2231463.60	2592000.00	360536.40	1,94,621.51	16%
7.	कार पार्क	3347195.40	1760000.00	-1587195.40	-8,56,785.54	-47%
8.	गार्ड हाउस	836798.85	2304000.00	1467201.15	7,92,011.32	175%

सी) मंत्रालय के अनुमोदन के बिना अतिरिक्त कार्य का निष्पादन

मिशन ने नवीकरण कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् ठेकेदार (मैसर्स फॉसरिच) को सहमत मदों के विचलन में जेएमडी 10,277,996.79 (₹55.48 लाख) की लागत का अतिरिक्त कार्य करने का अनुदेश दिया जिसमें कार्य की मुख्य मदें शामिल थी जैसा नीचे **तालिका सं.10** में विवरण दिया गया है:

तालिका सं.10: सहमत मदों के विचलन में अतिरिक्त कार्य का विवरण

क्र.सं.	सहमत कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य का नाम	सहमत कार्य के बदले में विचलन/अतिरिक्त कार्य	अतिरिक्त कार्य की अनुमानित लागत (जेएमडी)
1.	दीमक उपचार	गैस धूम्रीकरण तथा पूरे परिसर का रसायन उपचार	11,04,000
2.	वूडन फ्लोरिंग	वूडन फ्लोरिंग को बदलना तथा टाईल फ्लोरिंग का कार्य	37,72,500
3.	पहले प्रावधान नहीं किया गया	बिजली कार्य	20,36,942

क्र.सं.	सहमत कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य का नाम	सहमत कार्य के बदले में विचलन/अतिरिक्त कार्य	अतिरिक्त कार्य की अनुमानित लागत (जेएमडी)
4.	खिड़की कार्य	दोहरी चमक वाली खिड़कियां	10,60,355
5.	पहले प्रावधान नहीं किया गया	उत्तरी तरफ के आंगन में गैप को कवर करना	8,95,031

इन विचलनों तथा अतिरिक्त प्रतिबद्ध लागतों के लिए मंत्रालय की कोई पूर्व अथवा कार्योत्तर सहमति प्राप्त नहीं की गई थी (मार्च 2021)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन ने विक्रेता के साथ अनुबंध के अनुसार परियोजना के कार्य क्षेत्र में पहले से शामिल कार्य की कुछ मदों को निष्पादित किया तथा लागत को 'लघु कार्य' के अधीन बुक किया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि निष्पादित किए जा किए जा चुके कार्य के कारण परियोजना में हुई बचतों का अभ्यर्पण करने के स्थान पर मिशन ने बिल्कुल उसी राशि, जिसे बचतों के रूप में अभ्यर्पित किया जाना चाहिए था, का उपरोक्त तालिका में उल्लिखित अतिरिक्त कार्य प्रारम्भ किया। इसके अलावा, मिशन तथा बोलीकर्ता ने निविदा प्रक्रिया में स्थल निरीक्षण के प्रावधान के बावजूद वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया था। इस प्रकार, अप्राधिकृत विचलन आगे परियोजना में ₹55.48 लाख[39] (जेएमडी 10.28 मिलियन) की अतिरिक्त लागत का कारण बना।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2021) में बताया कि मंत्रालय से अनुमोदन की प्राप्ति के पश्चात् ठेकेदार के साथ अनुबंध किया गया था (अप्रैल 2018)। वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण तथा कार्यक्षेत्र तैयार करने के मुद्दे पर मंत्रालय ने स्वीकार किया (मार्च 2021) कि यह मिशन की ओर से कमी थी तथा यह भी बताया कि दीमक संक्रमण तथा धूम्रीकरण के मामले में फ्लोरिंग तथा बाह्य सरंचनाओं को खोले बिना सरंचनाओं तथा संस्थापनाओं के अधीन क्षति की सीमा का अनुमान लगाना संभव नहीं था। तथापि, यह तर्क बिजली, दोहरी चमक

[39] @1 जेएमडी ₹ 0.539811 मार्च 2019 की विनिमय दर के लिए।

वाली कांच की खिडकियों, उत्तरी तरफ के आंगन में गैप को कवर करने तथा स्टाफ आवासों सहित अन्य निर्माण कार्यों तथा उत्तरी तरफ के आवरन आंगन में छोटी छत की स्थापना के संबंध में स्वीकार्य नहीं है जिनके लिए पहले ही योजना की जानी चाहिए थी तथा वह कार्य के दौरान उत्पन्न नहीं हो सकता था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (मार्च 2021) कि मिशन को नई पता लगी क्षतियों को अनुवर्ती निविदा के निष्पादन के समय मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहिए था तथा ठेकेदार को इसकी मरम्मत की अनुमति प्रदान करने से पहले अनुमोदन लेना चाहिए था। मंत्रालय ने आगे स्वीकार किया कि कम किए गए कार्य क्षेत्र, क्योंकि परियोजना में शामिल कार्य की कुछ मदों को 'लघु कार्य' बजट शीर्ष के अधीन किए गए थे तथा कार्य के क्षेत्र से अन्य निर्माण कार्य को न छोड़ने के प्रति लागत समायोजन ने परियोजना प्रबंधन, पर्यवेक्षण की कमी तथा अस्वस्थ वित्तीय व्यवहार को दर्शाया। मंत्रालय ने आगे बताया कि कुल जेएमडी 10,277,996.79 (₹55.48 लाख) के अतिरिक्त निर्माण कार्य का तथ्य जो हटाए गए निर्माण कार्यों (लघु निर्माण कार्य के माध्यम से पहले ही निष्पादित) की लागत के बिल्कुल बराबर भी होने से संयोग माने जाने के करीब तथा परियोजना तथा लोक वित्त के प्रबंधन की खराब निगरानी एवं कार्यान्वयन से भरा दिखाई पड़ता है।

तथापि, मंत्रालय अक्टूबर 2016 के दौरान की गई निविदा के संबंध में विक्रेता के साथ मिशन के अनुबंध करने (नवम्बर 2016) तथा अपेक्षित अनुमोदनों के बिना निविदा के भाग के निष्पादन को आगे बढ़ाने पर मौन था। मंत्रालय ने मौजूदा पूर्व अनुदेशों तथा प्रावधानों के बावजूद अनुचित परियोजना प्रबंधन के कारण समय तथा लागत बढ़ जाने के मुद्दे पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

इस प्रकार मंत्रालय के अनुदेशों तथा मौजूदा प्रावधानों की अवहेलना में इण्डिया हाउस के निविदा समय एवं लागत के बढ़ जाने का कारण बना जिसका परिणाम

₹51.76 लाख (जेएमडी 9.65 मीलियन[40]) के परिहार्य व्यय के साथ ₹49.52 लाख (जेएमडी 9.17 मीलियन) की लागत के कार्य की सहमत मदों में मनमाने परिवर्तन से एक तदर्थ दृष्टिकोण के साथ कार्य निष्पादन में हुआ।

2.5 पासपोर्ट परित्याग हेतु प्रभारित अधिक शुल्क

भारतीय दूतावास, रोम तथा भारत का महावाणिज्य दूतावास, मिलान द्वारा पासपोर्ट त्याग शुल्क के विलम्बित संशोधन का परिणाम आवेदकों से ₹1.63 करोड़ अधिक प्रभारित करने में हुआ।

वीज़ा, पासपोर्ट तथा अन्य कांसुलर सेवाओं के संबंध में शुल्क के मनमाने निर्धारण को कम करने की दृष्टि से विदेश मंत्रालय ने निर्णय (मार्च 2021) लिया था कि 01 अप्रैल 2021 से, अप्रैल 2021 हेतु विनिमय की दर को वीज़ा पासपोर्ट तथा अन्य सेवाओं के लिए शुल्क की नई दरों के निर्धारण हेतु प्रारम्भ बिन्दु के रूप में लिया जाएगा। उसने आगे विनिमय दरों के अनुवर्ती निर्धारण के संबंध में विभिन्न तौर-तरीके निर्धारित किए। मंत्रालय ने बाद में पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क के निर्धारण के प्रक्रियाओं को स्पष्ट (अप्रैल 2021) किया तथा दोहराया कि ₹7,000 के पासपोर्ट त्याग शुल्क को अप्रैल 2021 की आधिकारिक विनिमय दर (ओआरई) के आधार पर स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाना था।

हमने भारतीय दूतावास (ईओआई), रोम तथा मिलान पर इसके वाणिज्य दूतावास के अभिलेखों से पाया कि मिशन/पोस्ट ने मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में 01 अप्रैल 2021 से पासपोर्ट त्याग शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया था। वास्तव में लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि अप्रैल 2021 को आधिकारिक विनिमय दर (यूरो (€)1=₹87.90) के अनुसार ₹7,000 के पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क को €172, प्रभारित किए जाने के स्थान पर €80 तक कम किया जाना था, फिर भी ईओआई, रोम ने वास्तव में पासपोर्ट अभ्यपर्ण शुल्क को €172 से €192 तक बढ़ाया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात्,

[40] जेएमडी 7.00 मीलियन (दूसरी निविदाः जेएमडी 62.79 मिलियन-पहली निविदाः जेएमडी 55.79मिलियन) प्लस जेएमडी 2.65 मिलियन (पहले से ही निष्पादित बाथरूम कार्य)

मिलान में वाणिज्य दूतावास द्वारा 1 अगस्त 2021 से दर का €80 तक संशोधन किया गया था। भारतीय दूतावास, रोम ने 15 अगस्त 2021 से दरों का संशोधन किया। अप्रैल 2021 से जुलाई/अगस्त 2021 तक पासपोर्ट त्याग शुल्क के सही निर्धारण में विलम्ब के कारण भारतीय दूतावास रोम[41] तथा मिलान[42] में इसके वाणिज्य दूतावास द्वारा ₹1.63 करोड़[43] का अधिक त्याग शुल्क प्राभरित किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2021) कि शुल्कों के संशोधन में विलम्ब अनजाने में हुई भूल के कारण था जिसने भारतीय विदेशी नागरिकता (ओसीआई) के आवेदन में भारी वृद्धि की क्योंकि ओसीआई आवेदनों को 2021 में लगभग एक वर्ष के लिए बंद कर दिया गया था। वाणिज्य दूतावास औसतन 300 डाक आवेदन प्रति दिन प्राप्त कर रहा था जिसका परिणाम पासपोर्ट अभ्यर्पण शुल्क के संशोधन में भूल में हुआ जिसके परिणामस्वरूप शुल्क का अधिक सग्रंहण हुआ।

मंत्रालय का उत्तर कि मंत्रालय के अनुदेश को कार्यान्वित करने में विलम्ब ओसीआई आवेदन में भारी वृद्धि के कारण था, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मिशन/पोस्ट तथा इसके त्याग शुल्क का, प्रारम्भिक हड़बड़ी के काफी पश्चात् वाणिज्य दूतावास की लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए जाने पर ही संशोधन किया था।

आगे, लेखापरीक्षा का तर्क है कि विभिन्न सेवाओं हेतु प्रभारित शुल्क का मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया है तथा दरों की एकरूपता को सुनिश्चित करने हेतु सभी मिशनों/पोस्टों को सूचित किया गया है। इन दरों को पारस्परिक तथा द्विपक्षीय संबंधों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है। इसलिए, चार महीनों की अवधि के लिए पासपोर्ट त्याग शुल्क, जैसा मंत्रालय द्वारा निदेश दिया गया, की पुनर्गणना करने में मिशन तथा पोस्ट की विफलता कमजोर

---

41 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021

42 अप्रैल 2021 से 14 अगस्त 2021

43 रोम हेतु ₹ 38.28 लाख तथा सीजीआई मिलान के लिए ₹ 124.26 लाख=₹ 1.63 करोड़

आंतरिक तथा पर्यवेक्षी नियंत्रणों का संकेत है, जिसका परिणाम आवेदकों से कुल ₹1.63 करोड़ राशि का अधिक शुल्क प्रभारित करने में हुआ।

(ii) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

2.6 राष्ट्रीय डेयरी योजना के तहत कृत्रिम सेचन (एआई) उप परियोजना के अनुचित अनुमोदन के कारण निष्फल व्यय

परियोजना संचालन समिति, राष्ट्रीय डेयरी योजना-I ने एआई डिलिवरी सेवाओं में अतिव्याप्ति को स्वीकार किए बिना अंत कार्यान्वयन अभिकरण के लिए उप परियोजना को अनुमोदित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.74 करोड़ का व्यय निष्फल रहा तथा उप-परियोजना समय से पूर्व बंद की गयी।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की राष्ट्रीय डेयरी योजना फेस-I (एनडीपी-I) के अधीन सेचन (एआई) डिलीवरी सेवाओं का प्राथमिक कदम एआई डिलीवरी के लिए व्यहार्य प्रणाली को बढ़ावा देने के साथ-साथ लागत को कम करना था जिस पर राज्य सरकारें एआई डिलीवरी सेवाओं को बाहरी स्रोत से वित्त पोषित कर रही थी।

एनडीपी-I की परियोजना संचालन समिति (पीएससी) ने श्रीजा महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी (श्रीजा एमएमपीसी)[44] आंध्र प्रदेश को 2015-16 से 2019-20 की परियोजना अवधि हेतु एनडीपी-I की परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा किए गए परियोजना मूल्यांकन के आधार पर अनुदान सहायता के रूप में ₹15.87 करोड़[45] सहित ₹29.46 करोड़ की लागत पर एआई डिलीवरी सेवाओं की उप-परियोजना के लिए मंजूरी दी (अप्रैल 2015)। पीएमयू द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, पीएससी ने जीओआई से 2019-20 तक की समयावधि को बढ़ाने की प्रतीक्षा में 2015-16 तथा 2016-17 की अवधि के लिए ₹8.08 करोड़

---

[44]श्रीजा महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड (श्रीजा एमएमपीसीएल) एक दुग्ध उत्पादक कंपनी है, जिसका मुख्यालय तिरूपति में है, ने 15 सितम्बर 2014 से काम करना प्रारम्भ कर दिया था। श्रीजा एमएमपीसीएल राष्ट्रीय डेयरी योजना 1(एनडीपी 1) के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजना हेतु अंत कार्यान्वयन अभिकरण (ईआईए) भी है।

[45] शेष निधि श्रीजा एमएमसीपी द्वारा लाई जानी थी।

के अनुदान को अनुमोदित किया। श्रीजा एमएमपीसी ने उप-परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2015-16 को दौरान ₹2.91 करोड़ का अग्रिम आहरित किया। तथापि, परियोजना क्षेत्रीय समीक्षा (आरआर) बैठक (जुलाई 2016) तथा पीएससी (मार्च 2017) द्वारा पारित किए गए संकल्प पर आधार परियोजना को ₹2.74 करोड़[46] का व्यय करने के बाद 31 मार्च 2017 को समय से पूर्व बंद कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आंध्र प्रदेश पशुधन विकास अभिकरण (एपीएलडीए) के परियोजना समन्वयक ने एनडीपी-I के प्राधिकारी को उस क्षेत्र को जानने के लिए ई-मेल किया था (मई 2015) जहां श्रीजा एमएमपीजी अपने 210 एआई केन्द्रों को स्थापित करने जा रहा था ताकि एआई केन्द्रों की अतिव्याप्ति तथा एआई टेक्नीशियनों के बीच बेकार की प्रतियोगिता से बचा जा सके, क्योंकि एपीएलडीए कार्यान्वयन करने वाले जिलों की प्रजनन योग्य जनसंख्या का लगभग 96 *प्रतिशत* पहले ही कवर कर रहा था। इसके अलावा, हैदराबाद एपीएलडीए, श्रीजा एमएमपीसी एवं राष्ट्रीय डेयरी सेवा के बीच बैठक (मई 2015) में यह पाया गया कि सभी गांव जो श्रीजा एमएमपीसी द्वारा कवर हो रहे थे, अपने नियमित एआई कार्यक्रम में एपीएलडीए के कवरेज क्षेत्र का हिस्सा बने। कार्यान्वयन क्षेत्र का पृथक्करण तथा दोनों कार्यक्रम का अभिसरण और विलय के विकल्प खोजे गए थे लेकिन मुद्दे का समाधान न हो सका। आगे, एपीएलडीए ने एआई डिलीवरी सेवाओं की अतिव्याप्ति तथा एपीएलडीए के एआई टेक्नीशियन के प्रस्तुतीकरण के संबंध में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को सूचित किया (जुलाई 2015) तथा एनडीडीबी से उप-परियोजना के प्रारंभ करने को रोकने का अनुरोध किया। इसके बावजूद, एनडीप-I के पीएमयू ने श्रीजा एमएमपीसी को ₹2.91 करोड़[47] का अग्रिम अनुदान जारी किया (जून और अक्टूबर 2015)। अंततः, बेगलूरु में क्षेत्रीय समीक्षा

---

[46] कुल व्यय ₹274.04 लाख (₹136.15 लाख राजस्व व्यय तथा ₹137.89 लाख पूंजीगत व्यय), स्टाफ के लिए वेतन टीए डीए, एआई किट, ईअर टैग्स, एआई टेक्नीशियन की दोपहर भोजन की बैठक तथा प्राथमिक प्रशिक्षण, बैंक प्रभार, डाटा प्रविष्टि प्रभार इत्यादि पर किया गया राजस्व व्यय। सीमेन कंटेनर, तरल नाइट्रोजन कंटेनर, फर्नीचर, कम्प्यूटर तथा प्रिंटर पर किया गया पूंजीगत व्यय

[47] जून 2015 में ₹176 लाख तथा अक्टूबर 2015 में ₹115.15 लाख

बैठक में ही (जुलाई 2016) श्रीजा एमएमपीसी की एआई डिलीवरी सेवा को बंद करने का निर्णय लिया गया था।

जुलाई 2016 में निर्णय लिए जाने के बावजूद, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि श्रीजा एमएमपीसी ने मार्च 2017 तक अपने प्रचालन को जारी रखा तथा जब इसका प्रचालन मार्च 2017 में समाप्त हुआ तब तक ₹2.74 करोड़ का व्यय वहन किया।

(1) मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2021) कि दोहराव के पहलू को परियोजना के शुरू होने से पहले अनुमोदन में इस शर्त को शामिल करते हुए कि श्रीजा एमएमपीसी का राज्य सरकार के साथ समन्वय तंत्र रहेगा, विचार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीएससी ने एपीएलडीए के साथ बिना पूर्व परामर्श के परियोजना को मंजूरी दी जो कार्यान्वयन करने वाले जिले की प्रजनन योग्य जनसंख्या के 96 *प्रतिशत* को पहले ही सेवा प्रदान कर रहा था। आगे, यहां तक कि एपीएलडीए को सूचित किया था कि श्रीजा एमएमपीसी द्वारा कवर किया गया क्षेत्र एपीएलडीए को कवरेज क्षेत्र में ही था, के बाद भी एनडीपी द्वारा निधि संस्वीकृत की गई। इस प्रकार, अभियान के प्रस्तावित क्षेत्र का एक उचित अध्ययन किए बिना परियोजना की मंजूरी देना, कार्यान्वयन अभिकरण पर मामले को छोड़ने का परिणाम राज्य अभिकरण द्वारा किया जाने वाले कार्य के दोहराव में हुआ।

(2) मंत्रालय ने सूचित किया कि जुलाई 2016 में आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में उप-परियोजना के समापन तथा पहले से तैनात चलनशील कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (एमएआईटी) की यथास्थिति बनाये रखने की सिफारिश की गई थी, जिन्होंने उप-परियोजना के अधीन सृजित संपत्ति की मदद से डेयरी किसानों को सेवाएं प्रदान करना जारी रखा था। हालांकि परियोजना के अधिव्यापन के बारे में जानकारी एपीएलडीए द्वारा एक वर्ष पहले मई 2015 में पहले ही प्रदान कर दी गई थी, ₹2.74 करोड़ और खर्च करते हुए यह परियोजना मार्च 2017 तक जारी रही। आगे, क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एपीएलडीए उप-परियोजना के बंद होने के बाद श्रीजा

एमएसपीसी के सभी दुग्ध उत्पादक सदस्यों के लिए कॉल पर एआई सेवाएं प्रदान करेगा। अतः श्रीजा एमएमपीसी ने कुल 50 तरल नाइट्रोजन कंटेनर और 508 सीमेन भंडारण कंटेनर खरीदे थे, जिनमें से 50 तरल नाइट्रोजन कंटेनर और 191 सीमेन भंडारण कंटेनर अन्य ईओआईए को स्थानांतरित नहीं किए गये थे। आगे, ₹81.89 लाख का व्यय फर्नीचर तथा आईसीटी उपकरण जैसी परिसम्पत्तियों पर किया गया।

(3) मंत्रालय का विचार था एक पायलट डोरस्टेप एआई डिलीवरी मॉडल को प्रदर्शित करने का मुख्य उद्देश्य उच्च गर्भाधान दर के साथ उपलब्ध किया गया था। मंत्रालय का तर्क इस तथ्य के कारण कि चार मापदंड नामतः 1. एआई के तहत कवर हुए गांव; 2. कुल हुए एआई; 3. गर्भाधान दर तथा 4. उप परियोजना के कार्यरत प्रशिक्षित एमएआईटी उप परियोजना की मंजूरी के समय चिन्हित किए गए थे, सही नहीं है। प्रत्येक मापदंड का उद्देश्य क्रमशः 1300 गांव, 163800 एआई, कुल हुए एआई का 38 *प्रतिशत* तथा 210 एमएआईटी था। इसके सापेक्ष में, लेखापरीक्षा ने पाया कि श्रीजा एमएमपीसी ने केवल क्रमशः 236 गांव, 15030 एआई, कुल हुए एआई का 42 *प्रतिशत* तथा 37 एमएआईटी प्राप्त कर सके। इस प्रकार परियोजना की सफलता का निर्धारण करने हेतु पहचान किए गए चार मापदंडों में से श्रीजा एमएमपीसी तीन मापदंडों नामतः (ए) गांव के आवरण, (बी) कुल हुए एआई, तथा (सी) एमएआईटी की तैनाती, के मामले में लक्षित निष्पादन को उपलब्ध करने में असफल रहा।

(4) मंत्रालय का यह तर्क कि परियोजना को विश्व बैंक की कार्यान्वयन पूर्णता और परिणाम रिपोर्ट में अत्यधिक संतोषजनक के रूप में दर्ज दिया गया था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समग्र रूप से परियोजना के लिए विश्व बैंक रेटिंग

व्यक्तिगत उप परियोजना की अनुचित योजना और निष्पादन को उचित नहीं ठहराती है।

इस प्रकार, संचालन के प्रस्तावित क्षेत्र के उचित अध्ययन के बिना परियोजना की दोषपूर्ण नियोजन और संस्वीकृति के परिणामस्वरूप उप परियोजना में एआई की डिलीवरी में अधिव्यापन हुआ जिसके कारण इसका समय से पहले बंद होना और ₹2.74 का अपव्यय हुआ।

(III) गृह मंत्रालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, डीएमआरसी

2.7 मकान किराया भत्ता के कारण अधिक छूट

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई, दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, मकान किराया भत्ता के कारण छूट का परिकलन करते समय वेतन में मंहगाई भत्ते को शामिल करने की विफलता का परिणाम कुल ₹2.01 करोड़ की अधिक छूट तथा परिणामी आयकर की कम कटौती में हुआ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(13ए) में प्रावधान है कि कोई भी विशेष भत्ता जो विशेषरूप से कर दाता को उसके नियोक्ता द्वारा, कर दाता द्वारा अधिकृत आवासीय स्थान के संबंध में किराये की उस सीमा तक के भुगतान, जैसा उस क्षेत्र अथवा स्थान जहां वो आवास स्थान स्थित है, तथा अन्य संबंधित क्षतिपूर्ति के संबंध में निर्धारित किया जाए, पर व्यय की प्रतिपूर्ति को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया है, को किसी भी व्यक्ति के पिछले वर्ष की कुल आय का परिकलन करने में शामिल नहीं किया जाएगा।

आगे, नियम 2ए (6) मकान किराया भत्ता से संबंधित छूट की प्रमात्रा को निर्धारित करता है जो निम्नलिखित में से सबसे कम होगीः

1) वास्तव में प्राप्त भत्ता।

2) वेतन के 10 *प्रतिशत* से अधिक अदा किया गया किराया।

3) दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास हेतु वेतन का 50 *प्रतिशत* तथा अन्य शहरों हेतु 40 *प्रतिशत।*

चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 2 के अनुसार, इस उद्देश्य हेतु वेतन में मूल वेतन के साथ-साथ मंहगाई भत्ता शामिल है यदि रोजगार की शर्त इसका प्रावधान करती है। अगर वेतन के 10 *प्रतिशत* अथवा 10 *प्रतिशत* से कम का किराया अदा किया गया है तो कोई छूट स्वीकार्य नहीं होगी। छूट से तब भी वंचित रहता है जहां कर्मचारी अपने स्वयं का घर अथवा उस घर में रहता है जिसके लिए वह किराया अदा नहीं करता है।

हमने सीआईएसएफ इकाई, डीएमआरसी के अभिलेखों से नोट किया कि अधिकांश मामलों में मंहगाई भत्ते को मकान किराया भत्ते (एचआरए) छूट अर्थात वेतन के 10 *प्रतिशत* से अधिक अदा किया गया किराया, के परिकलन हेतु शामिल नहीं किया गया था। फलस्वरूप, इसका परिणाम सीआईएसएफ कार्मिक द्वारा कुल ₹2.01 करोड़[48] के एचआरए के कारण छूट का अधिक लाभ लेने में हुआ।

मामला अक्टूबर 2021 में विभाग के संज्ञान में लाया गया था। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2021) कि आयकर की नियमपुस्तिका (स्वामी की वेतन पर आयकर) के अनुसार परिकलन किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी आईटी अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 2 के अनुसार, कर के परिकलन तथा कटौती हेतु उत्तरदायी हैं, जो स्पष्ट रूप से अनुबद्ध करता है कि एचआरए के

48

वर्ष	राशि (₹ में)
2015-16	87,93,914
2016-17	29,93,370
2017-18	9,57,242
2018-19	44,43,662
2019-20	29,18,958
कुल	**2,01,07,146 (₹ 2.01करोड़)**

अधीन छूट का दावा करने के उद्देश्य हेतु वेतन में मूल वेतन के साथ-साथ मंहगाई भत्ता शामिल है यदि रोजगार की शर्त इसका प्रावधान करती है।

सीआईएसएफ इकाई डीएमआरसी द्वारा स्वीकार्य एचआरए छूट के परिकलन हेतु वेतन में डीए को शामिल न करने का परिणाम कुल ₹2.01 की अधिक छूट तथा आयकर के तदनुरूप कम कटौती में हुआ।

मामला अप्रैल 2022 में गृह मंत्रालय को भेजा गया था; उनके उत्तर मई 2022 तक प्रतीक्षित थे।

सशस्त्र सीमा बल

2.8 भूमि अधिग्रहण पर ब्याज का परिहार्य भुगतान

पृथक परिवार आवास, जयपुर के निर्माण हेतु एमएचए को प्रस्ताव भेजने में सशस्त्र सीमा बल की ओर से उदासीन दृष्टिकोण के कारण कुल ₹1.12 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 का नियम 21 वित्तीय औचत्य के मानकों के लिए प्रावधान करता है जिसमें यह बताया गया है कि लोक धन से व्यय करने या प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी वित्तीय आदेश और सख्त अर्थव्यवस्था को भी लागू करें तथा यह देखें कि सभी प्रासंगिक वित्तीय नियम-विनियम का पालन उनके अपने कार्यालय और अधीनस्थ संवितरण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। खंड (i) के अनुसार प्रत्येक अधिकारी से लोक धन से किए गए व्यय के संबंध में उसी तरीके से सतर्कता बर्तने की अपेक्षा की जाती है जैसी एक साधारण विवेकी व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के संबंध में बर्तता है।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एसएसबी के संबंध में पृथक परिवार आवास (एसएफए) के निर्माण हेतु जयपुर सहित ग्यारह स्थानों की मंजूरी दी (सितम्बर 2016)। तदनुसार, एसएसबी ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार से जयपुर के निकट उपयुक्त भूमि खंड प्रदान करने का अनुरोध किया (फरवरी 2017)। तत्पश्चात्

राज्य सरकार के निदेश पर, जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने एसएसबी को विभिन्न प्लॉटों का प्रस्ताव दिया। जयपुर-अजमेर राजमार्ग से लगभग 900 मीटर की दूरी पर स्थित दाहमी कलान गांव (जेडीए-जोन-12) में एक प्लॉट एसएसबी द्वारा उपयुक्त पाया गया था।

परिणामतः, जेडीए ने 12,000 वर्ग मीटर (2.97 एकड़) के लिए निम्नवत भुगतान शर्तों के साथ ₹18.66 करोड़ की लागत पर पट्टे आधार पर कथित प्लॉट के लिए एक आवंटन सह मांग पत्र जारी किया (12 अप्रैल 2018):

(i) यदि आवंटन पत्र जारी होने से 30 दिन के अंदर राशि जमा नहीं की गई तो ब्याज नियमानुसार देय होगा।

(ii) 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, यदि प्रारंभिक 30 दिनों के अंदर जमा नहीं की जाती।

(iii) 60 दिनों के बाद, यदि राशि अगले दस महीनों के अंदर जमा की गई तो ब्याज 15 *प्रतिशत* की दर पर देय होगा।

(iv) यदि एक वर्ष के अंदर राशि जमा नहीं की जाती है तो आवंटन स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसएसबी ने एमएचए को 10 सितम्बर 2018 को लगभग पांच महीने के विलम्ब के बाद पट्टा आधार पर कथित प्लाट के अधिग्रहण के लिए ₹18.66 करोड़ की व्यय मंजूरी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें से चार महीने एसएसबी ने जेडीए से भूमि की लागत के विभिन्न घटकों के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज/सूचना, जो आवंटन पत्र के साथ इसको नहीं दी गई थी, को प्राप्त करने में लगा दिए। इस दौरान, एसएसबी ने जेडीए से अगस्त 2018 में भारत सरकार के संगठन होने के कारण धन जमा करने हेतु समय-सीमा में छूट देने के लिए भी अनुरोध किया।

एमएचए ने 27 सितंबर 2018 में अपनी मंजूरी प्रदान की। ₹18.66 करोड़ का भुगतान जेडीए के पास 28 सितंबर 2018 को एसएसबी द्वारा जमा किया गया

था। जेडीए ने राज्य सरकार से विलम्ब से हुए भुगतान के मामले में समय सीमा एवं ब्याज के भुगतान में छूट हेतु एसएसबी के अनुरोध को उठाया (24 सितम्बर 2018)। राज्य सरकार ने बताया (मार्च 2019) कि यदि राशि मांग-पत्र जारी होने की तिथि से चार महीनों के अंदर जमा नहीं की गई तो ब्याज पूर्ण अवधि हेतु देय होगा। तदनुसार, जैसाकि चार महीने की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसीलिए जेडीए ने 12 अप्रैल 2018 से 28 सितंबर 2018[49] (171 दिनों) की अवधि हेतु ₹18.66 करोड़ के विलम्ब से भुगतान हेतु कुल ₹1.12 करोड़ के ब्याज की मांग को उठाया (जुलाई 2019)।

एसएसबी ने एमएचए के माध्यम से राज्य सरकार से ब्याज में छूट हेतु पुनः अनुरोध किया (अगस्त 2020 एवं सितम्बर 2020)। तथापि, जेडीए द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, एसएसबी ने 25 मार्च 2021 को जेडीए को विलंबित भुगतान हेतु कुल ₹1.12 करोड़ ब्याज अदा किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (मार्च 2022), एसएसबी ने सूचित किया (मई 2022) कि एमएचए को प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब जेडीए से भूमि की लागत के विभिन्न घटकों से संबंधित आगे के दस्तावेजों/सूचना जो उनको आवंटन पत्र के साथ नहीं दी गई थी, की मांग करने के कारण हुआ।

एमएचए ने बताया (जून 2022) कि एसएसबी द्वारा प्रस्तुत अभ्युक्तियों के उत्तर में जेडीए द्वारा अपने स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने में लिए गए समय के कारण विलम्ब हुआ। जेडीए से स्पष्टीकरण के बाद, एसएसबी द्वारा संस्वीकृति हेतु एमएचए को सही ढ़ंग से तैयार किए गए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एसएसबी ने आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करने एवं एमएचए को प्रस्ताव भेजने में अनुचित चार महीने की अवधि ली, इस तथ्य को जानने के बावजूद कि ऐसा विलम्ब ब्याज के भुगतान को प्रभावित करेगा।

---

[49] आवंटन की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक

उपरोक्त तथ्य एमएचए को पृथक परिवार आवास, जयपुर के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजने में एसएसबी की ओर से उदासीन दृष्टिकोण को इंगित करता है जिससे 171 दिनों (लगभग पांच महीने) के लिए विलंबित भुगतान हेतु जेडीए को ब्याज के लिए कुल ₹1.12 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ। यह न केवल वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त के विरुद्ध था अपितु राजकोष पर उस सीमा तक बोझ भी डाला।

(IV) कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग

2.9 निष्फल व्यय

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने दिसंबर 2020 से भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड से कार्यालय स्थान किराए पर लिया। तथापि, स्थान को काम करने योग्य बनाने के लिए स्थान का व्यापक नवीकरण की आवश्यकता थी। नवीकरण की प्रक्रिया को केवल सितंबर 2021 में जाकर ही प्रारम्भ किया जिसका परिणाम दिसंबर 2020 से अगस्त 2021 तक नौ महीनों लिए के लिए किराये की ओर कुल ₹ 13.26 करोड़ के निष्फल व्यय में हुआ।

सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के पुनर्गठन को अनुमोदित किया तथा केवल एनएससीएस के उपयोग हेतु पूरे सरदार पटेल भवन (एसपीबी) का, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) सहित वहां से कार्य कर रहे मंत्रालयों/विभागों को वैकल्पिक स्थानों पर स्थान परिवर्तन की मांग करते हुए, आबंटन किया। बाद में, डीएआरपीजी, जिसने लगभग 16,000 वर्ग फुट घेरा हुआ था, को 31 मार्च 2020 तक एसपीबी को खाली करने का आदेश दिया गया था।

डीएआरपीजी ने, बदले में, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसी)[50] से जवाहर व्यापार भवन में 01 दिसंबर 2020 से 30 नवम्बर 2025 तक की

[50] वाणिज्य विभाग के अधीन एक लोक क्षेत्र उपक्रम

अवधि के लिए पट्टे पर 25,566.83 वर्ग फुट[51] के कार्यालय स्थान को किराये पर लिया तथा निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों पर 25 मार्च 2021 को एक पट्टा अनुबंध कियाः

(ए) 01 दिसंबर 2020 से 30 नवम्बर 2023 तक ₹442.10 प्रति वर्ग फुट प्रति माह अर्थात् ₹1.33 करोड़ प्रति माह (18 प्रतिशत की दर पर जीएसटी सहित) की दर पर किराया।

(बी) 01 दिसंबर 2023 से 30 नवम्बर 2025 तक ₹552.63 प्रति वर्ग फुट प्रति माह अर्थात् ₹1.67 करोड़ प्रति माह (18 प्रतिशत की दर पर जीएसटी सहित) की दर पर किराया।

(सी) 01 दिसंबर 2020 से 30 नवम्बर 2025 तक ₹40 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर पर सामान्य रखरखाव प्रभार (सीएमसी) तथा उस पर लागू जीएसटी।

(डी) पट्टादाता को *यथानुपात* अंश अर्थात् पानी एवं बिजली प्रभारों की 9.04 *प्रतिशत* खपत की प्रतिपूर्ति।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

(i) जबकि डीएआरपीजी जुलाई 2018 में एसपीबी को खाली करने की आवश्यकता से अवगत था फिर भी उसने खुले बाजार से कार्यालय स्थान को किराये पर लेने हेतु सम्पदा निदेशालय को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एनएसी) जारी करने की सिफारिश करके केवल फरवरी 2020 में जाकर ही कार्यालय स्थान पर प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की थी। प्रक्रिया में स्थान की आवश्यकता, जिसे 20,000 वर्ग फुट से जुलाई 2020 में 24,000 वर्ग फुट तक संशोधित किया गया था, में परिवर्तन के कारण आगे और विलम्ब हुआ था। स्थान की खोज करने की प्रक्रिया को सम्पदा निदेशालय से संशोधित एनएसी की प्राप्ति के पश्चात् केवल अगस्त 2020 में जाकर

[51] चौथा (10363.18वर्ग फुट) तथा छठा (15203.63 वर्ग फुट) तल

ही प्रारम्भ किया गया था। डीएआरपीजी ने इसके द्वारा देखी गई नौ बिल्डिंगों[52] में से एसटीसी का चयन किया।

(ii) डीएआरपीजी ने 31 अगस्त 2020 को एसटीसी बिल्डिंग का दौरा किया तथा एसटीसी को इसे स्पष्ट कार्यालय स्थान सुपुर्द करने का अनुरोध किया। उसने 01 दिसंबर 2020 को अनिर्मित कार्यालय स्थान का अधिकार लिया। इसी बीच, इसने 26 अक्टूबर 2020 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को विन्यास योजना तथा आरेखण प्रदान करने के लिए संपर्क किया। सीपीडब्ल्यूडी ने, प्रारम्भ में, चौथे तथा छठे तलों के वास्तु आरेखण तथा फर्नीचर विन्यास प्रस्तुत किए। विभाग ने सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत आरेखणों/योजना में दिसंबर 2020 तथा जनवरी 2021 में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया। परिवर्तनों के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी ने फरवरी 2021 में संशोधित आरेखण/विन्यास प्रस्तुत किया जिसे फरवरी 2021 में विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था। आरेखण तथा विन्यास योजना के आधार पर, सीपीडब्ल्यूडी ने 15 अप्रैल 2021 को कुल ₹11.04 करोड़ का प्रारम्भिक अनुमान दिया। तथापि एकीकृत वित्त प्रभाग ने बजट की अनुपलब्धता, अनुचित मदें जैसे कि इटालियन मार्बल फ्लौर तथा सिविल कार्य में विडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम आदि पर विचार करते हुए इस पर सहमति नहीं दी। डीएआरपीजी ने सीपीडब्ल्यूडी के परामर्श से अनुचित/अनावश्यक मदें जैसे कि इटालियन मार्बल फ्लोर तथा विडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम को हटाकर तथा सेरेमिक टाइलों को चुन कर मई 2021 में ₹8.92 करोड़ तक नवीकरण की अनुमानित लागत का संशोधन किया। जून 2021 में विभाग की सिफारिश पर ग्रेनाईट फ्लोरिंग को चुन कर अनुमानित लागत का ₹9.48 करोड़ तक फिर से संशोधन (जून 2021) किया गया था। नवीकरण कार्य हेतु

---

[52] (i)एनडीसीसी-II , जय सिंह रोड़, (ii) एमटीएनएल, सीजीओ कॉम्पलेक्स, (iii) वाईएमसीए, जय सिंह रोड, iv जेएलएन स्टेडियम, लोधी रोड, (v) डीसी (हैण्डलूम), जनपथ, (vi) दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आईटीओ, (vii) एलआईसी, दरियागंज, (viii) सैन्टूर होटल, आईजीआई एयरपोर्ट तथा (ix) एसटीसी, टॉलस्टाय मार्ग।

अनुमानित लागत को अंततः 02 अगस्त 2021 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था। नवीकरण हेतु कार्य आदेश डीएआरपीजी द्वारा 31 अगस्त 2021 में सीपीडब्ल्यूडी को जारी किया गया था।

(iii) जबकि डीएआरपीजी ने अनिर्मित कार्यालय स्थान के नवीकरण तथा साज-सज्जा हेतु छः महीनों के समय की आवश्यकता का हिसाब लगाया था फिर भी उपर्याप्त योजना तथा प्रशासनिक जटिलताएं सभी चरणों पर विलम्बों का कारण बनी। विन्यास योजना तथा आवश्यकताओं में बार-बार परिवर्तनों के कारण नवीकरण हेतु अनुमानित लागत को अंतिम रूप देने में नौ महीने लगे। सीपीडब्ल्यूडी ने आगे तीन महीने और लिए तथा नवीकरण कार्य को 17 अप्रैल 2022 को समापन की निर्धारित तिथि के साथ 08 दिसंबर 2021 को ठेकेदार को सौंपा। नवीकरण कार्य 15 दिसंबर 2021 से प्रारम्भ हुआ।

इस प्रकार, बिल्डिंग का कब्जा लेने के पश्चात् विन्यास एवं अनुमानों को अंतिम रूप देने, ठेकेदार का चयन करने तथा नवीकरण को प्रारम्भ करने हेतु अपेक्षित तीन महीनों की उचित समय सीमा से अधिक लगभग नौ महीनों का विलम्ब दिसंबर 2020 से अगस्त 2021 के बीच की अवधि के दौरान किराया, सीएमसी तथा बिजली एवं पानी प्रभारों की प्रतिपूर्ति के प्रति ₹13.26 करोड़[53] के निष्फल व्यय का कारण बना। डीएआरजीपी ने अप्रैल 2022 तक एसपीबी से कार्य करना जारी रखा।

53

विवरण	वर्ग फुट में क्षेत्र	दर प्रति वर्ग फुट	मासिक प्रभार	जीएसटी@18%	जीएसटी सहित मासिक प्रभार	महीनों की संख्या	राशि
किराया	25566.83	442.10	11303096	2034557.2	13337653	9	12,00,38,877
रखरखाव प्रभार	25566.83	40.00	1022673.2	184081.18	1206754	9	1,08,60,786
दिसंबर 2020 से अगस्त 2021 के दौरान अदा किए गए बिजली एवं पानी प्रभार							17,07,964
कुल योग							13,26,07,627

इसे इंगित किए जाने पर (जनवरी 2022), डीएआरपीजी ने बताया (23 फरवरी 2022) कि सीपीडब्ल्यूडी के प्रारम्भिक प्रक्षेपण के सापेक्ष हितधारकों[54] की ओर से प्रक्रियात्मक जटिलताओं तथा कोविड-19 से उत्पन्न अवरोधों के कारण नवीकरण में समय लंघन था। शामिल प्रत्येक चार विभागों के अनुमोदन हेतु अपनी स्वयं की प्रक्रिया थी जो डीएआरपीजी के नियंत्रण के परे थी। अधिकतम विलम्ब एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) तथा उनके तकनीकी दल की ओर से हुआ था। फाइल आईएफडी में 16 बार तथा व्यय विभाग में दो बार चली थी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने बताया कि उन्होंने अक्टूबर 2021 के पश्चात् एसटीसी को आगे किराया तथा रखरखाव अदा नहीं किया था तथा वे विलम्ब के कारण किराये एवं रखरखाव के भाग को अवशोषित करने तथा भविष्य के किराये में उपयोगिता भुगतानों का समायोजन करने हेतु एसटीसी के साथ बातचीत कर रहा था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अभिलेख दर्शाते हैं कि विलम्ब मुख्यतः नवीकरण की विन्यास योजना तथा अनुमानित लागत में बार-बार संशोधनों के साथ डीएआरपीजी द्वारा संबंधित हितधारकों को अपूर्ण प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के कारण था। अनिर्मित कार्यालय स्थान, जिसे व्यापक नवीकरण की आवश्यकता थी, को अनुमानित नवीकरण की लगात हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किराये पर लेने का निर्णय भी विभाग द्वारा खराब नियोजन को सूचित करता है।

---

54 सीपीडब्ल्यूडी, एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग

अध्याय-III

विधायिकारहित संघ शासित क्षेत्र

इस अध्याय में दो संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करते हुए 10 लेखापरीक्षा पैराग्राफ अन्तर्विष्ट हैं। 10 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से व्यय से संबंधित दो जबकि राजस्व से संबंधित आठ लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं।

(ए) व्यय

(I) अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

महानिदेशक पुलिस, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

3.1 किराया मुक्त आवास के *स्थान पर* लाईसेंस शुल्क का अनियमित भुगतान

'किराया मुक्त आवास भत्ते' के अनियमित भुगतान का परिणाम जुलाई 2017 से नवम्बर 2019 के दौरान अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन के पुलिस कार्मिक को ₹2.57 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ।

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के कार्यान्वयन से पहले वह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो किराया मुक्त आवास की सुविधा के हकदार थे परंतु उन्हें ऐसे आवास प्रदान नहीं किए गए थे, किराया मुक्त आवास के स्थान पर क्षतिपूर्ति के हकदार थे। ऐसी क्षतिपूर्ति में निम्नलिखित संघटक शामिल हैं:

i) आवास के हकदार टाईप हेतु लाईसेंस शुल्क के रूप में प्रभारित न्यूनतम राशि, जैसा कि शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है,

ii) उस शहर में संबंधित कर्मचारियों को स्वीकार्य मकान किराया भत्ता (एचआरए)।

तद्नुसार, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे पुलिस कार्मिक जो अण्डमान एवं निकोबार पुलिस नियमपुस्तिका, 1963 के प्रावधानों[1] के अनुसार हकदार थे परन्तु उन्हें किराया मुक्त आवास प्रदान नहीं किया गया था, को किराया मुक्त आवास के *स्थान पर* क्षतिपूर्ति अदा की जानी थी।

बाद में, सातवें वेतन आयोग के संरक्षण के अधीन गठित भत्ता समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय लिया कि किराया मुक्त आवास 01 जुलाई 2017 से समाप्त कर दिया गया है (आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय *द्वारा* जारी ज्ञापन[2])। इसके अतिरिक्त, यह आदेश सामान्य पूल आवासीय स्थान के अधीन सरकारी कर्मचारियों को आबंटित सभी किराया मुक्त आवास पर लागू था।

मंत्रालय ने सभी संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों के सभी डीडीओ को अपनी ओर से अनिवार्य कार्रवाई करने की भी सलाह दी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यालय महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) पोर्ट ब्लेयर तथा कार्यालय पुलिस अधीक्षक मायाबंडर ने इन कार्यालयों के अधीन सेवारत पुलिस कार्मिकों को मंत्रालय के निदेशों के उल्लंघन में 1 जुलाई 2017 के पश्चात् भी लाईसेंस शुल्क संघटक अदा करना जारी रखा।

इसका परिणाम उपरोक्त दो कार्यालयों के संबंध में जुलाई 2017 से नवम्बर 2019 तक की अवधि के लिए किराया मुक्त आवास के स्थान पर कुल ₹25.92 लाख की लाईसेंस शुल्क के अनियमित भुगतान में हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर (सितंबर 2019) विभाग ने अपने सभी कार्यालयों को उन पुलिस कार्मिकों जिन्हें सरकारी क्वाटरों में आवास नहीं दिया गया था, को लाईसेंस शुल्क के भुगतान को बंद करने तथा 01 जुलाई

---

[1] पैरा 4.5

[2] कार्यालय ज्ञापन-18018/1/2017 पीओएल III जीओआई ,आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय संपदा निदेशालय, नई दिल्ली दिनांक 17 अगस्त 2017

2017 से अदा किए गए लाईसेंस शुल्क की वसूली करने के निदेश (दिसंबर 2019) जारी किए। विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2022) कि आज तक, उसने पूरे द्वीपसमूह में अपने विभिन्न कार्यालयों में तैनात पुलिस कार्मिकों को लाईसेंस शुल्क के रूप में अनियमित रूप से अदा किए गए कुल ₹2.57 करोड़ में से ₹2.56 करोड़ की वसूली की है।

मामला फरवरी 2022 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2022)।

(II) चण्डीगढ़ प्रशासन

3.2 पुलिस विभाग, यूटी. चण्डीगढ़ में वेतन एवं भत्तों की लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

आंतरिक एवं आईटी नियंत्रणों में कमियों तथा कार्यालय महानिदेशक पुलिस, संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़ के अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की ओर से बड़ी लापरवाही के कारण पुलिस कार्मिक को वेतन एवं भत्ते, एलटीसी एवं अन्य लाभों के कारण कुल ₹1.60 करोड़ के अस्वीकार्य भुगतान किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात उनसे ₹1.10 करोड़ की वसूली की गई थी। 2017-2020 की अवधि के दौरान वेतन, एलटीसी, टीए, चिकित्सा, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के कारण बिलों तथा वाउचरों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा इस प्रकार इन भुगतानों की यथार्थता पर कोई आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सकता था।

3.2.1 प्रस्तावना

चण्डीगढ़ शहर, पंजाब एवं हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी है को एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 1992 में अनुबंध है कि 'संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के प्रशासक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा वर्ग ए,बी,सी एवं डी में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें, पंजाब सिविल सेवाओं में संबंधित पदों के लिए नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों के समान होने से, इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किसी भी अन्य प्रावधान के अधीन

होगी तथा उन्हीं नियमों एवं आदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जो व्यक्तियों की बाद की श्रेणी के लिए कुछ समय के लिए लागू है'।

चण्डीगढ़ पुलिस को 1 नवम्बर 1966 को पुनर्गठित किया गया था। चण्डीगढ़ पुलिस का वर्तमान में महानिदेशक पुलिस द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। जिसे आगे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (कानून एवं व्यवस्था), पुलिस अधीक्षक (यातायात प्रचालन, शहर), पुलिस अधीक्षक (अपराध, आसूचना एवं मुख्यालय), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा एवं यातायात) तथा कमांडेंट (इंडियन रिजर्व बटालियन-चण्डीगढ़) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

2017-18 से 2019-20 की अवधि हेतु पुलिस विभाग, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में वेतन एवं भत्ते के संवितरण पर लेखापरीक्षा जांच से विभिन्न अनियमितताएं प्रकट हुई जिनकी बाद के पैराग्राफों में चर्चा की गई हैः

ए) वेतन एवं भत्तों की ओर बजट

वर्ष	बजट (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
2017-18	399.61	399.60
2018-19	412.22	412.22
2019-20	444.82	444.82

बी) संवितरण का ढांचा

ई-*सेवार्थ* एक मास्टर डाटाबेस/एप्लीकेशन जिसमें कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा व्यक्तिगत विवरण शामिल हैं, को 2011-12 के दौरान चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रारम्भ किया गया था। पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी ई-*सेवार्थ* एप्लीकेशन पर पंजीकृत हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वेतन वृद्धि/कमी/वेतन रोकने/ग्रेड वेतन में परिवर्तन हेतु आदेशों को इस डाटाबेस में अद्यतित किया जाता है।

संबंधित सहायक ई-*सेवार्थ* एप्लीकेशन पर ड्राफ्ट वेतन बिल तैयार करता है तथा कार्यालय महानिदेशक पुलिस, यूटी चण्डीगढ़ के अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को समेकित वित्तीय लेखांकन प्रणाली (सीएफएएस) के माध्यम

से ड्राफ्ट वेतन बिल के एक प्रिंट के साथ इसको प्रेषित करता है। डीडीओ वेतन बिल की जांच तथा अनुमोदन करता है तथा इसके पश्चात बिल को, दोनों मैन्युअल रूप से तथा सीएफएएस के माध्यम से, कोषाधिकारी को प्रेषित किया जाता है। कोषाधिकारी वेतन बिल को अनुमोदित करता है तथा इसके पश्चात् यह कर्मचारियों को भुगतान हेतु स्वतः ही पीएफएमएस में अपलोड हो जाता है। वेतन के बकाया/एलटीसी/एलटीसी हेतु छुट्टी नकदीकरण के संबंध में भुगतान के मामलें में संबंधित सहायक/शाखा मैन्युअल रूप से बिल तैयार करता है तथा इसे पीएफएमएस पर अपलोड करता है। इसे अनुमोदन हेतु, दोनों ऑनलाईन/ऑफलाईन, डीडीओ को प्रस्तुत किया जाता है। डीडीओ दोनों तरीकों से इसे अनुमोदित करता है तथा अंतिम भुगतान हेतु कोषाधिकारी को प्रस्तुत करता है। कोषाधिकारी बिल को अनुमोदित करता है तथा इसके पश्चात् यह कर्मचारियों को भुगतान हेतु स्वतः ही पीएफएमएस में अपलोड हो जाता है।

सी) आंतरिक नियंत्रण

संबंधित सहायक द्वारा ई-*सेवार्थ* या मैन्युअल रूप से तैयार वेतन बिल/अन्य बिलों को जांच करने तथा अनुमोदन हेतु डीडीओ (वित्त विभाग द्वारा नियुक्त अनुभाग अधिकारी) को प्रेषित किया जाता है। डीडीओ बिल की जांच/सत्यापन करता है तथा इसे अंतिम भुगतान हेतु कोषाधिकारी को प्रस्तुत करता है। पुलिस विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा/पश्च लेखापरीक्षा की कोई अन्य प्रणाली नहीं है।

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 7.11 प्रावधान करता है कि स्थापना तथा यात्रा भत्ता बिलों को तैयार करने तथा भुगतान के संबध में अनुदेश पंजाब राजकोष नियमावली में निहित हैं। तद्नुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह ध्यान देने के लिए उत्तरदायी हैं कि वेतन बिलों की जांच की गई है तथा एक उत्तरदायी सरकारी कर्मचारी द्वारा आद्याक्षरित है तथा जांच में बिलों में दर्ज कुल राशि का सत्यापन हमेशा शामिल होगा। इन सावधानियों के साथ-साथ आहरित किए गए धन के संवितरण के संबंध में सावधानियों के अनुपालन में विफलता उन्हें इससे होने वाली किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी बनाएगी।

डी) लेखापरीक्षा द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

वेतन एवं भत्ते के लिए- पुलिस विभाग ने लेखापरीक्षा को एनआईसी के माध्यम से ई-*सेवार्थ* पोर्टल को देखने का अधिकार प्रदान किया। अप्रैल 2017-मार्च 2020 की अवधि के लिए ई-*सेवार्थ* डाटा एक्सेस किया गया था तथा प्रश्न चिन्ह चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा अपनाई गई वेतन नियमावली के अनुसार, कर्मचारियों को देय भत्तों की स्वीकार्यता पर आधारित थे। डाटा विश्लेषण के परिणामों की वेतन बिल पंजिकाओं तथा पीएफएमएस से तैयार पुलिस कार्मिकों की वेतन पर्ची से क्रॉस सत्यापन किया गया था। इसके पश्चात् पुलिस विभाग को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जारी की गई थी।

बकाया, एलटीसी, छुट्टी नकदीकरण, एचआरए आदि के लिए- पीएफएमएस भुगतान डाटा अप्रैल 2017-मार्च 2020 (कर्मचारी वार) पुलिस विभाग से प्राप्त हुआ था। भुगतान प्रविष्टियों (वेतन एवं भत्तों की प्रविष्टियों के अलावा) की पुलिस विभाग द्वारा अनुरक्षित वेतन बिल पंजिकाओं, सेवा पुस्तिकाओं, गृह आबंटन पत्रों आदि से क्रॉस सत्यापन किया गया था। पाई गई विसंगतियों को पुलिस विभाग के संज्ञान में लाया गया था। विभाग ने, उचित सत्यापन के बाद, अनियमित भुगतानों को स्वीकार किया तथा इसकी वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की।

अभिलेखों का प्रस्तुत न करना- लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए पुलिस कर्मियों को संवितरित वेतन और भत्ते, एलटीसी, बकाया आदि के संबंध में पीएफएमएस पोर्टल से प्राप्त मैन्युअल रिकॉर्ड और ई-डाटा की नमूना जांच भी की। तथापि, इन भुगतानों के समर्थन में बिल और वाउचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। तदनुसार, वास्तविक अनियमित/अधिक/अस्वीकार्य भुगतानों की संभावना को लेखापरीक्षा में इंगित किए गए भुगतान से कहीं अधिक होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.2.1 वाहन भत्ते का अधिक भुगतान

पंजाब सरकार ने दिनांक 23 नवम्बर 2011 की अधिसूचना के माध्यम से पुलिस कार्मिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को वाहन भत्ता प्रदान किया जिसे आगे चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी 2012 के माध्यम से अपनाया गया था, जैसाकि **तालिका सं. 11** में विवरण दिया गया हैः

तालिका सं. 11: वाहन भत्ते की दर

क्र.सं.	पद का नाम	दर प्रति *माह* (में)
1.	इंस्पेक्टर	600
2.	सब-इंस्पेक्टर	550
3.	असिस्टेंट सबइंस्पेक्टर	500
4.	हेड कांस्टेबल	450
5.	कांस्टेबल	400

6170 कर्मचारियों के मैन्युअल अभिलेखों अर्थात वेतन बिल पंजिका तथा पीएफएमएस से ई-डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹400/- तथा ₹450/- प्रति माह का वाहन भत्ता क्रमशः कांस्टेबल तथा हेड कांस्टेबल को स्वीकार्य था। विभाग ने 01 अप्रैल 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक की अवधि के दौरान ₹4,400/- तथा ₹20,400/- प्रति माह के बीच की दर पर वाहन भत्ते का आहरण किया तथा 4192 कांस्टेबलों में से 13 को अदा किया था। इसी प्रकार विभान ने 01 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2020 तक की अवधि के दौरान ₹450/- के स्वीकार्य वाहन भत्ते के प्रति ₹5,450/- से ₹25,450/- प्रति माह के बीच की दर पर वाहन भत्ते का आहरण किया तथा 1155 हेड-कांस्टेबलों में से 53 को अदा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि सॉफ्टवेयर में उच्च सीमा के गैर-निर्धारण के कारण 66 कांस्टेबलों/हेड कांस्टेबलों के संबध में ई-*सेवार्थ* पर वेतन बिल तैयार करते समय बढ़ाई गई राशि की प्रविष्टि करते हुए ₹51.48 लाख के अधिक परिवहन भत्ते का आहरण किया गया था।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021) विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2021 तथा मई 2022) कि ₹51.48 लाख की वसूली कर ली गई थी।

3.2.2.2 वेतन का अधिक संवितरण

पंजाब सरकार, वित्त विभाग ने दिनांक 15 जनवरी 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी विभाग में सीधी भर्ती के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को संशोधित किया। संशोधन के अनुसार, दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि के दौरान नियत मासिक परिलब्धियां अदा की जानी थी। आगे, पंजाब सरकार ने दिनांक 21 दिसम्बर 2015 की अधिसूचना के माध्यम से आदेश किया कि परिवीक्षा अवधि पर कर्मचारियों को डीसी दरों[3] के समान वेतन अदा किया जाएगा यदि नियत परिलब्धियां डीसी दरों से कम है। इन अधिसूचनाओं को क्रमशः 10 जुलाई 2015 से 18 जनवरी 2016 को चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा अपनाया गया था।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों अर्थात नियुक्ति पत्रों, वेतन बिल पंजिका तथा वेतन पर्चियों से पाया कि 2015-16 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान 82 पुलिस कार्मियों की अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की गई थी, जिसमें से छः पुलिस कार्मिकों की अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2015 की तिथि के बाद अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की गई थी तथा वे तदनुसार नियत मासिक परिलब्धियां या डीसी दरें, जो भी अधिक थी के पात्र थे। तथापि, विभाग ने इन कर्मिकों को मार्च 2016 से अक्टूबर 2018 के बीच आ रही उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान पूर्ण वेतन एवं भत्ते अदा किए जिसका परिणाम ₹28.57 लाख के अधिक भुगतान में हुआ।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021), विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2022) कि संबंधित कर्मचारियों से ₹0.10 लाख प्रति माह की दर

[3] डीसी दरें मज़दूरी की न्यूनतम दरें है जिसमें विभिन्न चण्डीगढ़ जिला विभागों में समय समय पर निर्धारित आकस्मिक व्यय में से अदा किया गया सरकारी कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता शामिल है।

पर वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी तथा अप्रैल 2022 तक ₹4.20 लाख की राशि की वसूली कर ली गई थी तथा शेष वसूली अनुवर्ती माह में की जाएगी।

3.2.2.3 अस्वीकार्य भुगतान की गैर-वसूली

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 7.11 प्रावधान करता है कि स्थापना तथा यात्रा भत्ता बिलों को तैयार करने तथा भुगतान करने के संबंध में अनुदेश पंजाब राजकोष नियमावली में निहित हैं। तदनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह ध्यान देने के लिए उत्तरदायी हैं कि वेतन बिलों की जांच की गई है एवं एक उत्तरदायी सरकारी कर्मचारी द्वारा आद्याक्षरित है तथा जांच में बिलों में दर्ज कुल राशि का सत्यापन हमेशा शामिल होगा। इन सावधानियों के साथ साथ आहरित किए गए धन के संवितरण के संबंध में सावधानियों के अनुपालन में विफलता उन्हें इससे होने वाली किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी बनाएगी।

लेखापरीक्षा ने पीएफएमएस के ऑनलाईन डाटा तथा वेतन बिल पंजिका के अभिलेखों से पाया कि अर्जित छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी/मातृत्व छुट्टी/अनुपस्थित आदि पर कार्रवाई के कारण ₹19.34 लाख के वेतन की वसूलियों का वेतन बिल पंजिका में सितंबर 2017 से फरवरी 2020 के बीच की अवधि के लिए 68 पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध उल्लेख किया गया था जिसकी वसूली नहीं की गई हैं। इसका परिणाम ₹19.34 लाख के अस्वीकार्य भुगतान की गैर-वसूली में हुआ।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021) विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2022) कि ₹10.93 लाख की वसूली कर ली गई थी तथा ₹8.42 लाख की बकाया राशि की उचित समय में वसूली की जाएगी।

3.2.2.4 प्रतिपूरक वेतन का अधिक भुगतान

पंजाब सरकार ने दिनांक 20 जुलाई 1981 की अधिसूचना से अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों अर्थात कांस्टेबल एवं हेड-कांस्टेबल की समानता पर सहायक सब इन्स्पेक्टर, सब इन्स्पेक्टर तथा इन्स्पेक्टर को राजपत्रित अवकाश पर कार्य करने

के *एवज* में एक माह के वेतन के समान प्रतिपूरक वेतन प्रदान किया। आदेशों के अनुसार, भुगतान प्रति माह किया जाएगा तथा इस उद्देश्य के लिए वेतन का अर्थ (मूल वेतन+डी.ए.)/12 होगा। इसके अतिरिक्त ड्यूटी अवधि के लिए अतिरिक्त वेतन का भुगतान आनुपातिक रूप से किया जाएगा।

वेतन बिल पंजिका तथा पीएफएमएस से ई-डाटा की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने अक्टूबर 2017 से नवम्बर 2019 के बीच की अवधि के दौरान 50 पुलिस कर्मिकों को प्रतिपूरक वेतन के कारण ₹21.61 लाख अदा किए थे जबकि सीएफएएस/ई-*सेवार्थ* से तैयार रिपोर्टों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सिस्टम पर परिकलित प्रतिपूरक वेतन केवल ₹4.91 लाख था। इस प्रकार, विभाग ने बढ़ाई गई राशि की प्रविष्टि करके ₹16.70 लाख के अधिक प्रतिपूरक वेतन का आहरण किया तथा कार्मिकों को अदा किया।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021) विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2022) कि पूर्ण राशि की वसूली कर ली गई थी।

3.2.2.5 वेतन का अनियमित भुगतान

ए) लेखापरीक्षा ने 127 कर्मचारियों, जो 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए/मृत्यु हुई/बरखास्त किए गए, के संबंध में वेतन बिल पंजिकायें, वेतन पर्चियों तथा पीएफएमएस पर संगत डाटा से पाया कि दो कर्मचारी अर्थात श्री जसबीर सिंह, कॉंस्टेबल तथा श्रीमति कुलवंत कौर, सहायक सब-इंस्पेक्टर क्रमशः 01 अप्रैल 2018 तथा 01 जनवरी 2018 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए। फिर भी, विभाग ने सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री जसबीर सिंह को नवम्बर 2018 से अगस्त 2019 एवं अक्तूबर 2019 से जनवरी 2020 तक की अवधि तथा श्रीमति कुलवंत कौर को जनवरी 2018 से मई 2018 तक की अवधि के लिए वेतन अदा करना जारी रखा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग ने आईटी सिस्टम में इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के संबंध में सूचना का अद्यतन नहीं किया था। इस प्रकार, विभाग की सूचना का अद्यतन करने

तथा सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को वेतन के भुगतान पर रोक लगाने की विफलता का परिणाम ₹13.31 लाख के अनियमित भुगतान में हुआ।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021), विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2022) कि श्रीमति कुलवंत कौर के मामले में ₹3.12 लाख की वसूली की गई थी। श्री जसबीर सिंह से संबंधित ₹10.19 लाख की वसूली के संबंध में यह बताया गया था कि राशि जमा करने के लिए उन्हें पत्र जारी कर दिया गया था चूंकि कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका था। इसलिए पेंशन से वसूली के संबंध में मामले को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ए एवं ई), चण्डीगढ़ के साथ उठाया गया था, जिसमें बताया गया कि वसूली पेन्शनभोगी की सहमति के बिना नहीं की जा सकती। विभाग ने आगे बताया कि मामला आगे की कार्रवाई हेतु प्रक्रियाधीन था।

बी) पीएफएमएस से ई-डाटा की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि श्री रतन कुमार, हेड कांस्टेबल को 14 अगस्त 2019 को एएसआई के रूप में पदोन्नत किया गया था। आगे, यह देखा गया कि विभाग ने उन्हें अगस्त 2019 महीने में हेड काँस्टेबल के रूप में ₹70,612/- और सहायक उप निरीक्षक के रूप में ₹73,052/- था दोगुना वेतन अदा किया था। उसी प्रकार से श्री नछत्तर सिंह को फरवरी 2018 एवं अप्रैल 2018 महीने के लिए वेतन के कारण मई 2018 और मई 2019 में दो बार ₹0.90 लाख का भुगतान किया गया।

इन चूकों का परिणाम ₹1.97 लाख के वेतन के अधिक भुगतान में हुआ।

3.2.2.6 गृह किराया भत्ता का अनियमित भुगतान

पंजाब सिविल सेवा नियमावली का नियम 5.5 प्रावधान करता है कि जब सरकार अपने द्वारा पट्टे पर लिए या स्वामित्व का आवास एक सरकारी कर्मचारी को आंबटित करती है तो कोई गृह किराया भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

लेखापरीक्षा ने अभिलेखों अर्थात वेतन बिल पंजिका, आबंटन पत्र, अधिग्रहण पत्र तथा पीएफएमएस डाटा से पाया कि 12 दिसम्बर 2013 से 31 मई 2021 के

बीच की अवधि के दौरान सरकारी आवास स्थान आबंटित किए गए 154 पुलिस कर्मिकों में से 12 पुलिस कार्मिकों ने गृह किराया भत्ते का आहरण जारी रखा। इस प्रकार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी की उचित जांच करने तथा इन कार्मिकों के संबंध में गृह किराया भत्ते के आहरण को रोकने की विफलता का परिणाम ₹9.98 लाख के अनियमित भुगतान में हुआ।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021), विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2022) कि ₹6.48 लाख की वसूली की गई थी तथा ₹3.64 लाख की शेष वसूली प्रक्रियाधीन थी।

3.2.2.7 एलटीसी हेतु छुट्टी नकदीकरण का अतिरिक्त भुगतान

पंजाब सरकार ने अधिसूचना दिनांक 03 अक्टूबर 2011 के माध्यम से राज्य सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों के तहत छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेते समय दस दिनों की अर्जित छुट्टी का नकदीकरण अनुमत कियाः

ए) अर्जित छुट्टी नकदीकरण चार वर्षों के संबंधित एलटीसी ब्लॉक के दौरान केवल एक बार अनुमत किया जाएगा।

बी) अर्जित छुट्टी का नकदीकरण पूर्ण सेवा के दौरान 60 दिनों की सीमा तक सीमित होगा।

चण्डीगढ़ प्रशासन ने 04 जनवरी 2012 को उपरोक्त अधिसूचना को अपनाया।

लेखापरीक्षा ने मैन्युअल अभिलेखों तथा पीएफएमएस से ई-डाटा से पाया कि विभाग ने ब्लॉक वर्ष अर्थात 2014-17 तथा 2018-21 के लिए एलटीसी हेतु दस दिनों की छुट्टी नकदीकरण संस्वीकृत किया था तथा 18 पुलिस कार्मिकों की सेवा पुस्तिका मे संस्वीकृति की प्रविष्टियां की थी। तथापि, एलटीसी हेतु दस दिनों के छुट्टी नकदीकरण के बजाय उसी ब्लाक वर्ष अर्थात 2014-17 तथा 2018-21 के लिए उसी संस्वीकृति आदेशों के प्रति राशि का दो बार, तीन बार या चार बार भी आहरण किया गया था तथा इन कर्मिकों को अदा की गई थी।

परिणामस्वरूप, ₹7.47 लाख का अतिरिक्त छुट्टी नकदीकरण अदा किया गया था। आहरण एवं संवितरण अधिकारी भुगतान की स्वीकार्यता की जांच करने तथा एलटीसी हेतु अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के दोहरे आहरण को रोकने में विफल रहा।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021) विभाग ने ₹6.58 लाख के अतिरिक्त भुगतान को स्वीकार किया तथा बताया कि ₹4.39 लाख की वसूली की गई थी तथा शेष वसूली प्रक्रियाधीन थी। तथापि, विभाग ने शेष ₹0.89 लाख (₹7.47 लाख - ₹6.58 लाख) के भुगतानों को स्वीकार नहीं किया था जो उचित भी नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा को उसके औचित्य के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

3.2.2.8 अस्वीकार्य भत्तों का भुगतान

चण्डीगढ़ प्रशासन ने पुलिस कार्मिकों को वेतन के साथ निम्नलिखित भत्ते अनुमत किए हैः-जिसका विवरण **तालिका सं. 12** में दिया गया हैः

तालिका सं. 12: भत्ते एवं उनकी दरों का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	भत्ता	हेड कांस्टेबल	कांस्टेबल
1.	वाहन भत्ता	450	400
2.	सीसीए भत्ता	120	120
3.	चिकित्सा	500	500
4.	राशन भत्ता	100	100
5.	किट भत्ता	50	50
6.	मोबाईल भत्ता	250	250
7.	परिवार नियोजन भत्ता	वेतन का 3%	वेतन का 3%
8.	सीआईडी विशेष वेतन	600	400
9.	सुरक्षा विशेष वेतन	600	400
10.	कामांडो भत्ता	673	673
11.	वायरलेस विशेष वेतन	320	240
12.	मकान किराया भत्ता	वेतन का 25%	वेतन का 25%

क्र.सं.	भत्ता	हेड कांस्टेबल	कांस्टेबल
13.	13वां वेतन	वेतन का 1/12	वेतन का 1/12
14.	अंतरिम राहत	वेतन का 5%	वेतन का 5%
15.	मंहगाई भत्ता	जैसा सरकार ने निर्णय किया	जैसा सरकार ने निर्णय किया

- ***वेतन = मूल वेतन+ग्रेड वेतन+अंतरिम राहत***

अभिलेखों तथा पीएफएमएस से ई-डाटा की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने 01 मई 2017 से 31 जनवरी 2020 की अवधि के दौरान 42 पुलिस कार्मिकों को उन भत्तों जो उपरोक्त तालिका में शामिल नहीं है जैसे कि उच्चतर शिक्षा भत्ता, बिजली भत्ता, अन्य भत्ता, सचिवालय भत्ता, तेल एवं साबुन भत्ता, अतिरिक्त वेतन, भत्ते से अलग विशेष वेतन, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता राज्य उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग (एचआरएएससीसीआरसी) के कारण ₹7.30 लाख अदा किए थे। आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जांच करने तथा विभिन्न भत्तों की ओर किए गए भुगतानों की स्वीकार्यता को सुनिश्चित करने की विफलता का परिणाम ₹7.30 लाख के अस्वीकार्य भुगतान में हुआ।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021) विभाग ने अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए बताया (अक्तूबर 2021 एवं मई 2022) कि ₹7.30 लाख की पूर्ण राशि की वसूली कर ली गई थी।

3.2.2.9 पुलिस कार्मिकों को वेतन एवं भत्तों का अधिक/अनियमित/अस्वीकार्य भुगतान

लेखापरीक्षा ने अभिलेख तथा पीएफएमएस से ई-डाटा से पाया कि पुलिस कार्मिकों को वेतन एवं भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ, दिव्यांग भत्ता, व्यक्तिगत वेतन, कम्प्यूटर अग्रिम, राशन भत्ता, किट अनुरक्षण भत्ता, शहर प्रतिपूरक भत्ता, अंतरिम राहत आदि के कारण निम्नलिखित अधिक/अनियमित/अस्वीकार्य भुगतान किए थेः जैसाकि **तालिका सं. 13** में विवरण दर्शाया गया हैः

तालिका सं. 13: वेतन एवं भत्तों के अधिक/अनियमित/अस्वीकार्य भुगतान का विवरण

क्र.सं.	लेखापरीक्षा आपत्ति	विभाग का उत्तर
1.	**सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण का अधिक भुगतान** विभाग ने श्री जसबीर सिंह, कांस्टेबल को 143 दिनों के छुट्टी वेतन, जो 1 अप्रैल 2018 को उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के दिन उनके खाते में थी, के बराबर छुट्टी नकदीकरण के कारण ₹1.95 लाख अदा किया था। आगे यह पाया गया था कि अधिकारी द्वारा 02 जुलाई 2016 से 31 जुलाई 2016 तक ली गई 30 दिनों की अर्जित छुट्टी की प्रविष्टि को डेबिट नहीं किया गया था तथा 16 अप्रैल 2016 से 19 अप्रैल 2016 तथा 03 दिसम्बर 2016 से 27 फरवरी 2018 तक बिना वेतन छुट्टी की अवधि के लिए 38 दिनों की अर्जित छुट्टी को क्रेडिट किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹0.93 लाख का 68 दिनों का छुट्टी नकदीकरण अधिक अदा किया गया था। विभाग की जांच करने तथा भुगतान की यथार्थता को सुनिश्चित करने की विफलता का परिणाम ₹0.93 लाख के अधिक भुगतान में हुआ।	विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2021 एवं मई 2022) तथा बताया कि पूर्व कांस्टेबल श्री जसबीर सिंह से वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी।
2.	**बढ़ाए गए परिवहन (वाहन) भत्ते (दिव्यांग भत्ते) का अस्वीकार्य भुगतान** चण्डीगढ़ पुलिस विभाग ने 01 नवम्बर 2017 से 30 नवम्बर 2018 के बीच की अवधि के दौरान 19 पुलिस कार्मिकों को वाहन भते के अतिरिक्त बढाया गया कुल ₹0.87 लाख का परिवहन (वाहन) भत्ता (दिव्यांग भत्ता) अदा किया था। ये पुलिस कार्मिक दिव्यांग नहीं थे क्योंकि न तो सेवा पुस्तिका में कोई प्रविष्टि थी और न ही दिव्यांग का कोई प्रमाणपत्र अभिलेख पर पाया गया था। इन पुलिस कार्मिकों को किया गया ₹0.87 लाख का भुगतान अस्वीकार्य था।	विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2021 एवं मई 2022) तथा ₹0.87 लाख की पूर्ण राशि की वसूली की।

3.	**व्यक्तिगत वेतन का अनियमित भुगतान** चण्डीगढ़ पुलिस विभाग ने छोटा परिवार के मानदण्डों को प्रोत्साहित करने के कारण 01 जुलाई 2018 से 31 दिसम्बर 2018 के बीच की अवधि के दौरान 14 पुलिस कार्मिकों को ₹0.75 लाख का व्यक्तिगत वेतन अदा किया था। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के संस्वीकृति आदेश न तो अभिलेख में पाए गए थे और न ही सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां की गई थी। इन पुलिस कार्मिकों को किया गया ₹0.75 लाख का भुगतान अनियमित था।	विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2021 एवं मई 2022) तथा ₹0.75 लाख की पूर्ण राशि की वसूली की।
4.	**कम्प्यूटर अग्रिम की वसूली प्रारम्भ न करना** विभाग ने अगस्त 2019 में श्री राज कुमार, कॉंस्टेबल (4180 सीपी) के संबंध में ₹0.50 लाख के कम्प्यूटर अग्रिम की संस्वीकृति दी। अग्रिम राशि को ₹2,000/- प्रतिमाह की दर पर 25 किस्तों में वसूला जाना था। पीएफएमएस डाटा तथा अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि श्री राज कुमार, कांस्टेबल को सितंबर 2019 में ₹0.50 लाख की कम्प्यूटर अग्रिम का भुगतान किया गया था। जबकि सात महीनों की अवधि बीत गई थी फिर भी लेखापरीक्षा की तिथि तक कोई वसूली शुरू नहीं की गई थी।	विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा ₹0.50 लाख की पूर्ण राशि की वसूली की।
5.	**राशन भत्ते का अधिक भुगतान** नियमावली के अनुसार, ₹100/- प्रति माह का राशन भत्ता पुलिस कार्मिकों को स्वीकार्य था। फिर भी चण्डीगढ पुलिस विभाग ने 01 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान ₹3,100 से ₹10,000 के बीच की दरों पर राशन भत्ते का आहरण किया था तथा आठ पुलिस कार्मिकों को अदा किया था। परिणामस्वरूप, ₹0.008 लाख की स्वीकार्य राशि के बजाय ₹0.49 लाख का राशन भत्ता कथित अवधि के दौरान अदा किया गया था जिसका परिणाम ₹0.48 लाख के अधिक भुगतान में हुआ।	विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2021 एवं मई 2022) तथा ₹0.48 लाख की पूर्ण राशि की वसूली की।

6.	**किट अनुरक्षण भत्ते का अधिक भुगतान** नियमावली के अनुसार, ₹50/- का किट अनुरक्षण भत्ता हेड कांस्टेबल को स्वीकार्य था । फिर भी, चण्डीगढ़ पुलिस विभाग ने दिसंबर 2018 के माह के दौरान ₹5,050/- प्रतिमाह का आहरण किया था तथा तीन हेड कांस्टेबलों को अदा किया था। परिणामस्वरूप ₹150/- के बजाय ₹15,150/- के किट अनुरक्षण भत्ता का उपर्युक्त अवधि के दौरान तीन हेड कांस्टेबलों को अदा किया गया था जिसका परिणाम ₹0.15 लाख के अधिक भुगतान में हुआ।	विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2021 एवं मई 2022) तथा ₹0.15 लाख की पूर्ण राशि की वसूली की।
7.	**शहर प्रतिपूरक भत्ते का अधिक भुगतान** नियमावली के अनुसार, पुलिस कार्मिकों को ₹120/- प्रति माह का शहर प्रतिपूरक भत्ता स्वीकार्य था। चण्डीगढ पुलिस विभाग दिसंबर 2018 माह के दौरान ₹6,120/- प्रतिमाह का आहरण किया था तथा प्रत्येक 02 पुलिस कार्मिकों को अदा किया था। परिणामस्वरूप विभाग ने उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹0.002 लाख की स्वीकार्य राशि के बजाय ₹0.122 लाख अदा किया था।	विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2021 एवं मई 2022) तथा ₹0.12 लाख की पूर्ण राशि की वसूली की।
8	**अंतरिम राहत का अस्वीकार्य भुगतान** चण्डीगढ़ पुलिस विभाग ने श्री गुरमेल सिंह, हेड कांस्टेबल के नवम्बर 2018 के वेतन बिल में यूटी कर्मचारी के रूप में ₹1,064/- तथा हरियाणा/हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी के रूप में ₹6,200/- की अंतरिम राहत का आहरण किया था तथा उन्हें अदा किया था। आगे, संवीक्षा ने प्रकट किया कि श्री गुरमेल सिंह, यूटी चण्डीगढ़ के कर्मचारी होने से ₹1064/- (मूल वेतन अर्थात ₹21,280/- का पांच *प्रतिशत*) के आईआर यूटी के लिए पात्र थे। अंतरिम राहत के रूप में ₹6,200/- का उनको अधिक भुगतान किया गया था। आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जांच करने तथा वेतन बिल की यथार्थता को सुनिश्चित करने की विफलता का परिणाम ₹0.06 लाख के अधिक भुगतान में हुआ।	विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्तूबर 2021 एवं मई 2022) तथा ₹0.06 लाख की पूर्ण राशि की वसूली की।

3.2.2.10 वेतन बकायों तथा एलटीसी पर छुट्टी नकदीकरण का संदिग्ध भुगतान

पंजाब वित्तीय नियमावली का नियम 2.20 प्रावधान करता है कि सरकार के पास, किसी भी उद्देश्य के लिए, पहले से दर्ज किए गए धन के पुनर्भुगतान सहित प्रत्येक भुगतान को एक वाउचर द्वारा समर्थित होना चाहिए जिसमें दावों का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण तथा लेखाओं में इसके उचित वर्गीकरण के लिए आवश्यक सभी जानकारी होनी चाहिए। आगे, सामान्य वित्तीय नियमावली (2017) का नियम 70 (vii) बताता है कि मंत्रालय या विभाग वित्तीय लेन-देनों के पूर्ण उचित अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा तथा प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाएगा जो हर समय आंतरिक नियंत्रण प्रदान करें।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वेतन बकायों के कारण ₹89.58 लाख तथा एलटीसी पर छुट्टी नकदीकरण के कारण ₹9.97 लाख की राशि 51 पुलिस कार्मिकों को अदा की गई थी। इन भुगतानों के संबंध में बिलों तथा वाउचरों इस दलील पर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था कि वे पता लगाने योग्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त, एलटीसी की प्रविष्टियां भी संबंधित पुलिस कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में नहीं पाई गई थी। बिलों एवं वाउचरों तथा सेवा पुस्तिकाओं में एलटीसी की प्रविष्टियां के अभाव में उपरोक्त भुगतानों की लेखापरीक्षा में सत्यापन किया जा सका था।

हालांकि, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर विभाग ने छुट्टी नकदीकरण तथा वेतन बकायों की जांच शुरू की तथा मई 2022 तक ₹8.66 लाख की राशि की वसूली की। यह बताया गया कि छुट्टी नकदीकरण तथा वेतन बकायों का सत्यापन प्रक्रियाधीन था तथा वसूली, यदि कोई हो तो तदनुसार की जाएगी।

3.2.2.11 नए नियुक्त कांस्टेबलों के संबंध में राष्ट्रीय पेंशन योजना के अधीन एनपीएस अंशदान की गैर-कटौती

भारत सरकार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग ने दिसंबर 2003 में केन्द्र सरकार में नए प्रवेशकों के लिए परिभाषित पेंशन प्रणाली की मौजूदा प्रणाली को बदलते हुए 01 जनवरी 2004 से एक नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रणाली प्रारम्भ की। मासिक अंशदान वेतन तथा डीए का 10 *प्रतिशत* होगा जिसे कर्मचारी द्वारा अदा किया जाना है एवं समान अंशदान संबंधित सरकार से नियोक्ता के रूप में एकत्रित किया जाना था तथा एक व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित किया जाना था। योजना के अधीन सरकारी कर्मचारी द्वारा देय वसूलियों/अंशदान को उस माह जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवा में आया है, के अगले माह के वेतन से शूरू किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने 2019-20 की अवधि के दौरान 485 पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की थी। इन कर्मचारियों को जिला कलेक्टर दरों अर्थात अक्टूबर 2019 तक ₹19,875/- तथा नवम्बर 2019 से मार्च 2020 तक ₹21,863/- के समान अदा किया जा रहा था परंतु वेतन से 10 *प्रतिशत* की दर पर मासिक एनपीएस अंशदान की कटौती नहीं की गई थी जिसका परिणाम कुल ₹96.97 लाख के एनपीएस अंशदानों की गैर-कटौती में हुआ।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021) विभाग ने बताया (अक्तूबर 2021 एवं मई 2022) कि पीआरएएन कार्ड जारी करना प्रक्रियाधीन था। अंतिम अनुपालन प्रतीक्षित है (मई 2022)।

3.2.2.12 अभिलेखों का प्रस्तुत न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 70 (vii) के अनुसार, मंत्रालय/विभाग का सचिव जो मंत्रालय/विभाग का मुख्य लेखांकन प्राधिकारी है, यह सुनिश्चित करेगा कि मंत्रालय या विभाग वित्तीय लेन-देनों के पूर्ण एवं उचित

अभिलेख का अनुरक्षण करता है तथा उन प्रणाली एवं प्रक्रियाओं को अपनाता है जो हर समय आंतरिक नियंत्रण प्रदान करेंगी।

जैसा कि पहले ही पैरा 1 (डी) में इंगित किया गया है, लेखापरीक्षा ने अभिलेखों तथा पीएफएमएस डाटा से पाया कि 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान वेतन, वेतन बकायों, एलटीसी, टीए, चिकित्सा, एलटीसी पर छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के कारण पुलिस कार्मिकों को ₹83.59 करोड़ का भुगतान किया था। इन, भुगतानों के समर्थन में बिल तथा वाउचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। बिलों एवं वाउचरों के अभाव में इन भुगतानों का सत्यापन नहीं किया जा सकता था तथा इन भुगतानों की यथार्थता पर कोई आश्वासन भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, इसमें निधियों के दुरूपयोग का जोखिम भी है।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021) विभाग ने बताया (अक्तूबर 2021) कि बिलों/वाउचरों का पता लगाने से संबंधित मामले की अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही थी। अंतिम कार्रवाई लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित होगी।

3.2.2.13 **निष्कर्षः** *इस प्रकार, आंतरिक एवं आईटी नियंत्रणों में कमियों तथा कार्यालय महानिदेशक पुलिस, संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़ के अधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारी की ओर से लापरवाही के कारण पुलिस कार्मिकों को वेतन एवं भत्ते, एलटीसी, तथा अन्य लाभों के कारण कुल ₹1.60 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया गया था। इसमें से, तीन से अधिक भत्तों के कारण 16 कर्मचारियों के समूह को ₹77.33 लाख का अस्वीकार्य भुगतान किया गया था जो ₹1.60 करोड़ के कुल अस्वीकार्य भुगतान का 48.34 प्रतिशत था। यह दर्शाता है कि नियमों एवं विनियमों के खुले उल्लंघन में यह राशियां कर्मचारियों के एक ही समूह को अदा की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह आहरण एवं संवितरण अधिकारी की ओर से बड़ी लापरवाही को भी दर्शाता है क्योंकि भुगतान करने से पूर्व मूलभूत जांच नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर उनसे ₹1.10 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी।*

चूंकि 2017-2020 की अवधि के दौरान वेतन, एलटीसी, टीए, चिकित्सा, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति लाभों आदि के संबंध में बिल तथा वाउचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे इसलिए इन भुगतानों की यथार्थता के संबंध में कोई आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार निधियों के दुरुपयोग का जोखिम बना रहा। एलटीसी/बकाया बिलों के संबंध में बिलों/वाउचरों की अनुपलब्धता हेतु इंगित की गई ₹99.55 लाख की राशि में से विभाग ने ₹8.66 लाख की वसूली की है।

अनुशंसाएं:

- गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए जिन्होंने कुछ कर्मचारियों के लाभ के लिए गलत प्रविष्टियां की।
- वेतन एवं भत्ते के संवितरण में कमियों के लिए जवाबदेही निर्धारित की जाए।
- आहरण एवं संवितरण अधिकारी सुनिश्चित करें कि सभी भुगतानों को जारी करने से पूर्व वित्तीय नियमावली के अनुसार सभी अनिवार्य जांच बारीकी से की गई है।
- वेतन बकाया, एलटीसी, टीए चिकित्सा आदि को जैसा कि पैरा 3.2.2.12 में इंगित किया गया है को अधिक/दोगुना/अस्वीकार्य भुगतान से बचने के लिए आंतरिक रूप से रोका जाना चाहिए।
- डाटा की समग्रता तथा धोखाधड़ी की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रणों तथा वैधता जांच को विकसित करने हेतु आईटी सिस्टमों की गहन समीक्षा की जाए। सिफारिश किए गए विशिष्ट कदम निम्नानुसार हैः
- सेवानिवृत्ति के बाद वेतन के संवितरण की संभावना से बचने के लिए सेवानिवृत्ति/बर्खास्त कर्मचारियों के वेतन खाते को बंद करने के प्रावधान को आईटी सिस्टम में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।
- स्वीकार्यता से अधिक में भुगतान की संभावना से बचने के लिए प्रोग्राम/सिस्टम में संवितरण किए जा रहे विभिन्न भत्तों को मान्य किया

जाना चाहिए तथा उनकी अधिकतम सीमाओं तक रोक लगाई जानी चाहिए।

- डाटा प्रविष्टि पर नियंत्रणों तथा अधिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत पासवर्ड नीति विकसित की जाए।

(बी) राजस्व

चण्डीगढ़ प्रशासन

3.3 "जीएसटी प्रतिदाय" पर विषय निर्दिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा"

सामयिक प्रतिदाय तंत्र कर प्रशासन का एक महत्वपूर्ण संघटक स्थापित करता है क्योंकि यह मौजूदा व्यवसाय के विस्तार तथा आधुनिकीकरण को सुगम बनाता है। जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिदाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित तथा मानकीकृत करने हेतु केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा सीमा शुल्क ने निर्णय लिया (18 नवम्बर 2019) कि प्रतिदाय प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाईन होगी। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण इलेक्ट्रॉनिक सह मैनुअल प्रक्रिया को अपनाया गया था जिसमें आवेदक को सामान्य पोर्टल पर फार्म जीएसटी आरएफडी-01ए में प्रतिदाय आवेदन फाईल करना तथा इसका प्रिंट आउट लेना एवं इसे भौतिक तौर पर सभी समर्थन दस्तावेजों के साथ क्षेत्राधिकार कर कार्यालय में जमा करना अपेक्षित है। कार्यालय आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यूटी, चण्डीगढ़ में जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक संसाधित 112 जीएसटी प्रतिदाय मामलों की संवीक्षा ने विभिन्न अनियमितताएं अर्थात् अस्वीकार्य वापसी प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता बही तथा रोकड़ खाता बही को डेबिट न करने के कारण अनियमित प्रतिदाय प्रदान करना, आईजीएसटी, सीजीएसटी एवं यूटीजीएसटी को डेबिट आदेश का गैर-अनुपालन, पूर्व एवं पश्च ऑटोमेशन प्रक्रिया के अंतर्गत जीएसटी प्रतिदाय मामलों में पावती जारी न करना, समय के भीतर जारी न करना, निर्धारित समय के भीतर जीएसटी वापसियों को संस्वीकृत न करना, तथा अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण को प्रकट किया।

3.3.1 प्रस्तावना

समयोचित प्रतिदाय तंत्र कर प्रशासन के महत्वपूर्ण घटक को गठित करता है क्योंकि यह कार्यशील पूंजी, विस्तार एवं मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण हेतु अवरुद्ध निधियों को जारी करने के माध्यम से व्यापार को सुगम बनाता है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्णय (18 नवम्बर 2019) लिया गया था कि दावा एवं मंजूरी प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय मॉड्यूल की अनुपलब्धता के कारण, एक अस्थायी तंत्र तैयार किया गया एवं लागू किया गया। इस इलेक्ट्रॉनिक सह-मैन्युअल प्रक्रिया में आवेदकों के लिए सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01ए में प्रतिदाय आवेदनों को फाइल करना, उसका प्रिन्ट लेना तथा सभी समर्थन दस्तावेजों सहित इसे भौतिक रूप से क्षेत्राधिकार कर कार्यालय में जमा करना अपेक्षित था।

3.3.1.2 इन प्रतिदाय आवेदनों को आगे का संसाधन अर्थात पावती जारी करना न्यूनता ज्ञापन जारी करना, अनंतिम/अंतिम प्रतिदाय आदेशों को पारित करना, भुगतान सलाह आदि को मैन्युअल रूप से किया जा रहा था। प्रतिदाय आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए सभी सहकारी दस्तावेजों सहित फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01 ए में प्रतिदाय आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाना था। फिर भी प्रतिदाय आवेदनों के संसाधित करने के प्रस्तुतीकरण पश्चात् विभिन्न चरण मैन्युअल बने रहे।

3.3.1.3 प्रतिदाय प्रक्रिया पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक बनायी गई है जिसमें इसको संसाधित करने के लिए आवेदनों को जमा करने के सभी चरण 26 सितम्बर 2019 से (स्वचालन प्रतिदाय प्रक्रिया भी कहा जाता है) इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुरू किया जा सके। तदनुसार, मैन्युअल प्रस्तुतीकरण तथा प्रतिदाय दावों को संसाधित करने हेतु दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करते हुए पूर्व में जारी परिपत्रों को या तो बदल दिया गया है या संशोधित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण एवं प्रतिदाय को संसाधित करने हेतु दिशा-निर्देशों का एक नया सेट मास्टर परिपत्र सं.

125/44/2019-जीएसटी दिनांक 18 नवम्बर 2019 जारी किया गया है। क्षेत्र संरचनाओं में विधि के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, कई पूर्व परिपत्रों को पूर्वकथित मास्टर परिपत्र के पैरा 2 में बदला गया है। तथापि, 26 सितम्बर 2019 से पहले सामान्य पोर्टल पर सभी प्रतिदाय आवेदन क्षेत्र हेतु आवेदन करने के लिए उपरोक्त परिपत्रों के प्रावधान जारी रहेंगे तथा उपरोक्त आवेदन मैन्युअल रूप से संसाधित किया जाना जारी रहेगा, जैसा कि नई प्रणाली के परिनियोजन से पहले किया गया था।

3.3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिदाय मामलों की लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि;

- प्रतिदाय प्रदान करने के लिए इस संबंध में जारी अधिनियम, नियमावली, अधिसूचनाओं, परिपत्रों आदि की उपयुक्तता।
- कर प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन तथा कर दाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के स्थान पर प्रणालियों की प्रभावकारिता।
- कि क्या प्रतिदाय आवेदनों के निपटान में विभागीय कर्मचारियों के निष्पादन की जांच करने लिए प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद है।

3.3.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

क्षेत्र लेखापरीक्षा के दौरान, कार्यालय आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यूटी, चण्डीगढ़ के क्षेत्राधिकार के अधीन आबकारी एवं कराधान बोर्ड में संसाधित प्रतिदाय मामलों की जांच जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक की गई थी। पैन-इंडिया प्रतिदाय डाटा जीएसटीएन से प्राप्त तथा प्रतिदाय मामलों का एक नमूना विस्तृत जांच हेतु लिया गया है।

3.3.4 नमूना चयन

जीएसटी प्रतिदाय डाटा के आधार पर, लेखापरीक्षा ने जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक जांच हेतु कार्यालय आबकारी एवं कराधान आयुक्त यूटी, चण्डीगढ़ मे संसाधित 112 जीएसटी प्रतिदाय मामलों का चयन किया है। चयनित मामलों को निम्नानुसार **तालिका सं.14** में तालिकाबद्ध किया गया है

तालिका सं. 14: चयनित मामलों का विवरण

जीएसटी प्रतिदाय मामलों की श्रेणी	एसएससीए हेतु चयनित मामलों की संख्या
पूर्व-स्वचालन प्रक्रिया के तहत संसाधित मामले	68
पश्च-स्वचालन प्रक्रिया के तहत संसाधित मामले	44

लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि इनमें से (112 प्रतिदाय मामले) पूर्व-स्वचालन प्रक्रिया के तहत संसाधित 30 मामले संबंधित आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिए गए। शेष 82 जीएसटी प्रतिदाय मामलों के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्ष को अनुवर्ती पैराग्राफों में शामिल किया गया है।

3.3.5 लेखापरीक्षा परिणाम

3.3.5.1 प्रतिदाय का अस्वीकार्य अनुदान

संघ शासित माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 21 (प्रतिदायों से संबंधित केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम 2017 के प्रावधान यूटी चण्डीगढ़ द्वारा संघ शासित माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम 2017 की धारा 21 में अपनाए गए) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कर एवं ब्याज के प्रतिदाय का दावा करता है, यदि कुछ हो जो उसके द्वारा कर या किसी अन्य राशि का भुगतान किया गया है, को संबंधित दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व वैसे ही रूप एवं तरीके में जैसा कि निर्धारित है, आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54 (14)(2) (ई) एवं (एच) के अनुसार, (जैसाकि यूटीजीएसटी

अधिनियम 2017 की धारा 21 में यूटी चंण्डीगढ़ द्वारा अपनाया गया) - "प्रासंगिक तिथि" का अर्थ हैः

उपधारा (3) के प्रथम नियम के खण्ड (ii) के तहत अनुपयोगी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रतिदाय के मामले में, *धारा* 54 (14) (2) (ई), सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने हेतु नियत तिथि (जैसा कि यूटीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 21 में यूटी चण्डीगढ़ द्वारा अपनाया गया) उस अवधि हेतु जिसमें प्रतिदाय हेतु दावे उठाए गए हैं; तथा कर भुगतान की तिथि, अन्य किसी मामले में, *धारा 54 (14)(2)(एच)* ।

कार्यालय आबकारी एवं कराधान आयुक्त यूटी, चण्डीगढ़ में चयनित 44 ऑनलाइन प्रतिदाय मामलों (पश्च-स्वचालन की प्रक्रिया के तहत) की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि मैसर्स कालिमा शूज (जीएसटीआईएन 04AI0PK9026AIZI) ने फरवरी 2020 में जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि हेतु ₹8.61 लाख (आईजीएसटी) का प्रतिदाय दावा जमा किया तथा मैसर्स पोजिटिव ऑटोमेशन (जीएसटीआईएन 04AATFP160D1Z3) ने जून 2020 में विपरीत शुल्क अवसंरचना के कारण जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि हेतु ₹0.95 लाख (यूटीजीएसटी) का प्रतिदाय दावा प्रस्तुत किया। तदनुसार, उचित अधिकारी अर्थात आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने मैसर्स कालिमा शूज को ₹8.58 लाख तथा मैसर्स पॉजिटिव ऑटोमेशन को ₹0.95 लाख के प्रतिदायों की अनुमति दी। आगे, संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मैसर्स कालिमा शूज ने ₹8.61 लाख के प्रतिदाय दावों में से ₹3.37 लाख के प्रतिदाय दावा प्रस्तुत किया था तथा मैसर्स पॉजिटिव ऑटोमेशन ने संबंधित तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद ₹0.95 लाख के प्रतिदाय दावे प्रस्तुत किए थे। आगे, यह पाया गया कि मैसर्स पॉजिटिव ऑटोमेशन ने प्रतिदाय दावों में ₹0.07 लाख की आईटीसी की राशि को शामिल किया जो मार्च 2018 में पहले ही उपयोग की जा चुकी थी। उचित अधिकारी ने प्रतिदाय दावों के प्रस्तुतीकरण की तिथि को सत्यापित किए बिना

प्रतिदाय दावे की अनुमति दी, जिसका परिणाम ₹4.32 लाख (क्रमशः ₹3.37 लाख एवं ₹0.95 लाख) के प्रतिदाय दावों की अस्वीकार्य प्रदान करने में हुआ।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021 एवं सितम्बर 2021) विभाग ने आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया (जनवरी 2022) कि मैसर्स पॉजिटिव ऑटोमेशन ने प्रतिदाय की राशि जमा की तथा मैसर्स कालिमा शूज के संबंध में, अप्रैल-मार्च 2019-20 के माह हेतु एआरएन AA0405210002361 दिनांक 05 मई 2021 के सापेक्ष में करदाता को देय ₹3.27 लाख के प्रतिदाय को ₹18.21 लाख की प्रतिदाय राशि से उल्टा कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त में, करदाता ने डीआरसी-03 के माध्यम से ₹0.81 लाख के ब्याज का भी भुगतान किया था।

3.3.5.2 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही तथा नकद खाता-बही के डेबिट न होने के कारण प्रतिदाय का अनियमित अनुदान

संघ शासित माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) (चण्डीगढ़) नियमावली, 2017 के नियम 86 (3) तथा नियम 87 (10) में प्रावधान है कि जहां एक पंजीकृत व्यक्ति संघ शासित माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही से किसी अनुपयोगी राशि का प्रतिदाय य़ा इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता-बही से किसी राशि का प्रतिदाय का दावा किया है तो वहां दावे की सीमा तक की राशि उपरोक्त खाता-बही से डेबिट की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, उपनियम 4 और 11 में प्रावधान है कि यदि ऐसा फाइल हुआ प्रतिदाय या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाता है तो उपनियम (3) या उपनियम (10) के तहत डेबिट हुई राशि, अस्वीकृति की सीमा तक उचित अधिकारी द्वारा फॉर्म जीएसटी पीएमटी-03 में बने आदेश द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता-बही में पुनः क्रेडिट की जाएगी।

कार्यालय आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यूटी, चण्डीगढ़ में चयनित 38 प्रतिदाय मामलों (पूर्व-स्वचालन प्रक्रिया के तहत) की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि

मैसर्स एमआईडी टाउन एसोसिएट्स (जीएसटीआईएन-04AAYPC1588K1Z9) ने जनवरी 2018 माह हेतु इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में ₹0.75 लाख के क्रेडिट का लाभ उठाया था लेकिन करदाता ने जनवरी 2018 माह हेतु माल की जीरो-रेटिड आपूर्ति के कारण ₹0.75 लाख के क्रेडिट के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में ₹0.80 लाख की अनुपयोगी राशि के प्रतिदाय का दावा किया था तथा प्रतिदाय की उसी राशि की अनुमति 23 जुलाई 2019 को उचित अधिकारी अर्थात आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा अनुमति दी गई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि करदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही से ₹0.80 लाख के प्रतिदाय का दावा किया था लेकिन उक्त राशि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही से डेबिट हुई नहीं पायी गई थी।

उसी प्रकार से, कार्यालय आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यूटी, चण्डीगढ़ में चयनित 44 ऑनलाइन प्रतिदाय मामलों (पश्च-स्वचालन प्रक्रिया के तहत) की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि मैसर्स जीनियस कम्प्यूटर सिस्टम्स (जीएसटीआईएन-04A0JPS9628B1ZT) ने इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता-बही (यूटीजीएसटी) में अतिरिक्त जमा राशि के कारण ₹0.09 लाख के प्रतिदाय का दावा किया था तथा प्रतिदाय की उक्त राशि की अनुमति 21 नवम्बर 2019 को उचित अधिकारी अर्थात आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि करदाता ने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता-बही से ₹0.09 लाख के प्रतिदाय का दावा किया था लेकिन उक्त राशि इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता-बही से डेबिट हुई नहीं पाई गई थी।

दोनों मामलों में उचित अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता-बही से क्रमशः डेबिट प्रविष्टि को सत्यापित किए बिना ₹0.80 लाख तथा ₹0.09 लाख के प्रतिदाय की अनुमति दी, जिसका परिणाम ₹0.89 लाख का प्रतिदाय का अनियमित अनुदान/अनुमति में हुआ।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021 एवं सितम्बर 2021) आपत्ति स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (जनवरी 2022) कि मैसर्स एमआईडी टाउन एसोसिएटस ने

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही से ₹0.80 लाख की आपत्ति की गई प्रतिदाय राशि डेबिट की तथा मैसर्स जीनियस कम्प्यूटर सिस्टम्स के संबंध में करदाता ने ₹0.03 लाख के ब्याज सहित ₹0.09 लाख की राशि का भुगतान किया था।

3.3.5.3 आईजीएसटी, सीजीएसटी तथा यूटीजीएसटी में डेबिट करने के आदेश का गैर-अनुपालन

बोर्ड के दिनांक 4 सितम्बर 2018 के परिपत्र ने स्पष्ट किया कि प्रतिदाय योग्य राशि के निर्धारण के बाद, समान राशि निम्नवत प्रकार में करदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में डेबिट की जानी हैः प्रथम, शेष उपलब्ध की सीमा तक समेकित कर के सापेक्ष में तथा उसके बाद केन्द्रीय कर एवं राज्य/संघ शासित कर के लिए शेष उपलब्ध की सीमा के बराबर तथा विशेष इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही में शेष उपलब्ध में कमी के मामले में अंतर राशि अन्य इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता-बही (अर्थात इस मामले में राज्य कर/संघ शासित कर) से डेबिट की जानी है। इसके अतिरिक्त, यह प्रक्रिया पूर्वकथित परिपत्र की जारी तिथि के बाद फाइल हुए सभी आवेदन हेतु की जानी थी।

कार्यालय आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यूटी, चण्डीगढ़ में चयनित 38 प्रतिदाय मामलों (पूर्व-स्वचालन प्रक्रिया के अधीन) की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि मैसर्स नागपाल वूलन टैक्सटाईल (जीएसटीआईएन-04AAJPN7329QIZ2) के पास इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता बही में ₹101.00 लाख के आईजीएसटी, ₹2.02 लाख के सीजीएसटी तथा ₹2.02 लाख का यूटीजीएसटी का शेष था। कर दाता ने सितंबर 2017 से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए माल की जीरो-रेटेड आपूर्ति के कारण ₹25.87 लाख (आईजीएसटी-₹24.97 लाख, सीजीएटी-₹0.45 लाख एवं यूटीजीएसटी-₹0.45 लाख) के प्रतिदाय का दावा किया था। संवीक्षा के पश्चात उपयुक्त अधिकारी ने ₹0.34 लाख के दावे को अस्वीकार किया तथा ₹24.63 लाख के आईजीएसटी, ₹0.45 लाख के सीजीएसटी तथा ₹0.45 लाख के यूटीजीएसटी का प्रतिदाय अनुमत किया।

इसी प्रकार, कर दाता के पास इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता बही में ₹84.62 लाख के आईजीएसटी, ₹1.69 लाख के सीजीएसटी तथा ₹1.69 लाख के यूटीजीएसटी का शेष था। मई 2019 में, करदाता ने ₹17.78 लाख के आईजीएसटी, ₹0.26 लाख के सीजीएसटी तथा ₹0.26 लाख के यूटीजीएसटी के प्रतिदाय का दावा किया था तथा तदनुसार उपयुक्त अधिकारी ने जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए माल की जीरो-रेटेड आपूर्ति के कारण ₹17.78 लाख के आईजीएसटी, ₹0.26 लाख के सीजीएटी एवं ₹0.26 लाख के यूटीजीएसटी का प्रतिदाय अनुमत किया।

यह देखा गया था कि विभाग ने प्रतिदाय मामलों में इलेक्ट्रॉनिक जमा बही खाते से प्रतिदाय राशि को डेबिट करने के आदेश का अनुपालन नहीं किया था जैसा कि परिपत्र दिनांक 4 सितंबर 2018 में अभिकल्पना की गई है।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021 तथा सितंबर 2021) विभाग ने बताया (जनवरी 2022) कि अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में सामान्य पोर्टल ने आईजीएसटी, सीजीएसटी तथा यूटीजीएसटी की प्रतिदाय योग्य राशि का (ए) नियम 89 (4) या 89 (5) के अनुसार परिकल्पित राशि (आईजीएसटी/सीजीएसटी तथा एसजीएसटी की समेकित राशि पर लागू किया जाने वाला परिकलन), (बी) उस अवधि, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, की समाप्ति पर इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता बही में शेष, तथा (सी) प्रतिदाय के दावे के समय इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता बही में शेष में सबसे कम के रूप में परिकलन किया तथा तदनुसार, आईजीएसटी, सीजीएसटी तथा यूटीजीएएटी की सबसे कम राशि कर दाता को अनुमत की गई थी। इसलिए, करदाता को प्रतिदाय की कोई अधिक संस्वीकृति/अनुमति जारी नहीं की गई थी।

तथ्य यह है कि विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक जमा खाता बही से प्रतिदाय राशि को डेबिट करने के आदेश का अनुपालन नहीं किया था जैसा कि परिपत्र दिनांक 4 सितंबर 2018 के परिपत्र में अभिकल्पना की गई थी।

3.3.5.4 पूर्व एवं पश्च स्वचालन प्रक्रिया के अधीन जीएसटी प्रतिदाय मामलों में पावती जारी न करना/समय के भीतर जारी न करना

संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) (चण्डीगढ) नियमावली 2017 का नियम 90 (1) प्रावधान करता है कि जहां आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता बही से प्रतिदाय के दावे से संबंधित है वहां आवेदक को सामान्य पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी आरएफडी-02 में पावती उपलब्ध करायी जाएगी जो प्रतिदाय हेतु दावे को फाईल करने की तिथि को स्पष्ट रूप से दर्शाएगी तथा संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 21 में विनिर्दिष्ट समय अवधि को प्रतिदाय हेतु दावे फाईल करने की उस तिथि से गिना जाएगा।

आगे संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) (चण्डीगढ़) अधिनियम 2017 का नियम 90 (2) प्रावधान करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रोकड़ खाता बही से प्रतिदाय के दावे के अलावा प्रतिदाय के आवेदन को उचित अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा जो कथित आवेदन को फाईल करने के पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर, आवेदन की पूर्णता की संवीक्षा करेगा तथा जहां आवेदन को संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) (चण्डीगढ़) नियमावली, 2017 के नियम 89 के उप-नियम (2), (3) तथा (4) के निबंधनों के अनुसार पूर्ण पाया गया, फॉर्म जीएसटी आरएफडी-02 में एक पावती इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध करायी जाएगी जो प्रतिदाय हेतु दावे को फाईल करने की तिथि को स्पष्ट रूप से दर्शाएगी तथा संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी), अधिनियम, 2017 की धारा 21 में विनिर्दिष्ट समय अवधि को प्रतिदाय हेतु दावा फाईल करने की उस तिथि से गिना जाएगा।

कार्यालय आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यूटी, चण्डीगढ़ में चयनित 38 प्रतिदाय मामलों (पूर्व-स्वचालन प्रक्रिया के अधीन) की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि सभी प्रतिदाय मामलों में आवेदकों को पावतियां जारी नहीं की गई थीं।

इसी प्रकार, चयनित 44 प्रतिदाय मामलों (पश्च-स्वचालन प्रक्रिया के अधीन) की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 13 प्रतिदाय मामलों में, पावती (आरएफडी-02) जारी करने में आठ मामलों में तीन महीनों तक तथा पांच मामलों में तीन से छः महीनों तक का विलम्ब था।

इसका परिणाम संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) (चण्डीगढ़) नियमावली, 2017 के नियम 90 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन में हुआ है।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021 तथा सितंबर 2021) विभाग ने बताया (जनवरी 2022) कि पूर्व-स्वचालन के 38 मामलों में पावती जारी करने में विलम्ब मुख्यतः प्रतिदाय फाईल को प्रारम्भ में क्षेत्राधिकार अधिकारी के पोर्टल पर प्रदर्शित न करने के कारण था तथा अधिकांश मामलों में फाईल कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसके आधार पर फाईल को संसाधित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने पश्च-स्वचालन प्रतिदाय मामलों में वही उत्तर प्रेषित किया था जो पूर्व-स्वचालन प्रतिदाय मामलों में दिया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पूर्व-स्वचालन के 38 मामलों में विभाग ने पावती जारी नहीं की थी तथा पश्च-स्वचालन के 13 मामलों में पावती जारी करने में विलम्ब था। पश्च-स्वचालन के 13 मामलों में पावती जारी करने में विलम्ब के संबंध मे विभाग ने वही उत्तर प्रेषित किया था जैसा पूर्व-स्वचालन प्रतिदाय मामलों के 38 मामलों में दिया गया था जो पश्च-स्वचालन प्रतिदाय मामलों पर लागू नहीं था।

3.3.5.5 निर्धारित समय के भीतर संस्वीकृत न किए गए जीएसटी प्रतिदाय

संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 21 प्रावधान करती है कि उचित अधिकारी सभी पहलुओं में पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर उप-धारा (5) के तहत आदेश जारी करेगा।

इसके अतिरिक्त, संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) (चण्डीगढ़) नियमावली, 2017 का नियम 92 प्रावधान करता है कि जहां उचित अधिकारी संतुष्ट है कि उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (1ए) के तहत प्रतिदाय योग्य राशि संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 21 के तहत आवेदक को देय है वह फॉर्म जीएसटी आरएफडी-06 में आदेश जारी करेगा तथा प्रतिदाय की राशि हेतु फॉर्म जीएसटी आरएफडी-05 में एक भुगतान आदेश जारी करेगा तथा इसे उसके पंजीकरण विवरणों में उल्लिखित आवदेक के किसी भी बैंक खाते तथा जैसा समेकित भुगतान सलाह के आधार पर प्रतिदाय हेतु आवेदन में विनिर्दिष्ट किया गया है, में इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्रेडिट किया जाएगा।

कार्यालय आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यूटी, चण्डीगढ़ में चयनित 38 प्रतिदाय मामलों (पूर्व-स्वचालन प्रक्रिया के अधीन) की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 19 प्रतिदाय मामलों में प्रतिदायों की संस्वीकृति में 13 मामलों में तीन महीने तक तथा पांच मामलों में तीन से छः महीने तक तथा एक मामले में छः महीने से अधिक का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, इन विलम्बित प्रतिदाय मामलों पर संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 21 के तहत छः *प्रतिशत* की दर पर ब्याज देय था।

इसी प्रकार, चयनित 44 प्रतिदाय मामलों (पश्च-स्वचालन प्रक्रिया के अधीन) की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि 11 प्रतिदाय मामलों में प्रतिदायों की संस्वीकृति में सात मामलों में तीन महीने तक, तीन मामलों में तीन से छः महीने तक, एक मामले में छः महीने से अधिक का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, इन विलम्बित मामलों पर संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 21 के तहत छः *प्रतिशत* की दर पर ब्याज देय था।

इसका परिणाम संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) (चण्डीगढ़) नियमावली, 2017 के नियम 92 के साथ पठित संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा

कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 21 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन में हुआ है।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021 तथा सितंबर 2021) विभाग ने बताया (जनवरी 2022) कि पूर्व-स्वचलन प्रतिदाय मामलों में फाईलों को संसाधित करने में विलम्ब मुख्यत; i) करदाताओं द्वारा ऑफलाईन फाईलों का देरी से प्रस्तुतीकरण जबकि एआरएन काफी पहले उत्पन्न किया गया था, ii) जीएसटी आरएफडी-03 जारी करने के पश्चात भी करदाताओं द्वारा त्रुटि के निपटान के पश्चात प्रस्तुत नई फाईलों के लिए भी वही एआरएन माना गया था तथा करदाताओं में नई प्रारम्भ कर प्रणाली की जागरुकता की कमी के कारण था। आगे यह बताया गया था कि पश्च-स्वचालन प्रतिदाय मामलों में विलम्ब मुख्यतः कोविड-19 प्रतिबंधों/लॉकडाउन के कारण था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 19 पूर्व- स्वचालन प्रतिदाय मामलों में से 17 प्रतिदाय मामलों की संस्वीकृति में विलम्ब प्रतिदाय आवेदनों की प्राप्ति के 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात 15 से 290 दिनों के बीच था जबकि कर प्राधिकारी को, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के परिपत्र दिनांक 31 दिसंबर 2018 के पैरा-5 के अनुसार, आवेदन जनरेट करने की तिथि के 45 दिनों के भीतर अंतिम संस्वीकृति आदेश जारी करना था। इसके अतिरिक्त, यदि आवेदन जनरेट करने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर आधारिक कर कार्यालय में भौतिक आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे तो इन दावाकर्ताओं को उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर उनको ई-मेल की तिथि से 15 दिनों के भीतर आधारिक कर कार्यालय को भौतिक आवेदन प्रस्तुत करने की जानकारी देते हुए सूचना दी जानी थी जिसमें विफल होने से उपरोकथित परिपत्र के पैरा-6 के अनुसार आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। आधारिक कर अधिकारी ने न तो दावाकर्तओं को सूचित किया था और न ही आवेदनों की तिथि से 75 दिनों के बीत जाने के बावजूद भी प्रतिदाय आवेदनों को अस्वीकार किया था।

पश्च-स्वचालन प्रतिदाय मामलों से संबंधित विभाग के उत्तर के संबंध में यह बताया गया है कि पश्च-स्वचालन के 11 प्रतिदाय मामलों की संस्वीकृति की समय-सीमा अधिसूचना दिनांक 3 अप्रैल 2020 को ध्यान में रखते हुए 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 की अवधि के दौरान नहीं थी जिसमें कोविड-19 के फैलने को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने मार्च 2020 के 20 दिनों से जून 2020 के 29 दिनों तक की अवधि के दौरान आ रही किसी कार्रवाई के समापन अथवा अनुपालन की समय सीमा को जून 2020 के 30 दिनों तक बढ़ा दिया था।

3.3.5.6 अभिलेखों का अनुचित अनुरक्षण

बोर्ड के परिपत्र सं. 24/24/2017 जीएसटी दिनांक 21 दिसंबर 2017 के अनुसार, केन्द्रीय कर प्राधिकरण अथवा राज्य कर/यूटी कर प्राधिकरण द्वारा जारी प्रतिदाय आदेश से संबंधित प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को कर या उपकर, जैसा भी मामला हो, की संबंधित संस्वीकृत राशि के भुगतान के उद्देश्य के लिए सात कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाएगा। उसमें प्रतिदाय आदेशों की संस्वीकृति हेतु क्रमशः संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 21 तथा संघ शासित क्षेत्र माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) (चण्डीगढ़) नियमावली, 2017 के नियम 91(2) के तहत विनिर्दिष्ट समय सीमा के अनुपालन को सुनिश्चित करने को भी दोहराया गया था।

कार्यालय आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यूटी, चण्डीगढ़ में जुलाई 2017 से 25 सितम्बर 2019 तक की अवधि के लिए प्रतिदाय आदेश अभिलेखों (पूर्व-स्वचालन प्रक्रिया के अधीन) की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि केन्द्रीय कर प्राधिकरण के नोडल अधिकारी को प्रेषित भुगतान सलाह तथा केन्द्रीय कर प्राधिकरण से प्राप्त भुगतान सलाह से संबंधित अभिलेखों का उचित प्रकार से अनुरक्षण नहीं किया गया था। 231 मामलों में, संबंधित प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को भुगतान सलाह की सूचना की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप कर या उपकर की संबंधित संस्वीकृत राशि के भुगतान के उद्देश्य

हेतु विभाग द्वारा अनुपालन की गई समय सीमा का पता नहीं लगाया जा सकता था।

इंगित किए जाने पर (अगस्त 2021 तथा सितंबर 2021) विभाग ने बताया (जनवरी 2022) कि ऑफलाईन फाईलों के संसाधित करने में विलम्ब था जिसका आगे परिणाम इन आदेशों का संबंधित प्रतिपक्ष कर प्राधिकारी को विलम्बित प्रेषण में हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आपत्ति 231 संस्वीकृत प्रतिदाय मामलों के संबंध में अभिलेखों के अनुचित अनुरक्षण से संबंधित थी न कि ऑफलाईन प्रतिदाय फाईलों को संसाधित करने में विलम्ब से। इसके अतिरिक्त, पूर्व-स्वचालन के 231 संस्वीकृत प्रतिदाय मामलों के संबंध में, जहां कर प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया गया था, इन भुगतानों के विवरणों की प्रविष्टियां अर्थात संबंधित प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को भुगतान सलाह की सूचना की तिथि अभिलेख में उल्लिखित नहीं पाई गई थी। जिसके परिणामस्वरूप कर या उपकर की संबंधित संस्वीकृत राशि के भुगतान के उद्देश्य हेतु विभाग द्वारा अनुपालन की गई समय सीमा का पता नहीं लगाया जा सकता था।

3.3.5.7 प्रतिदाय आदेशों की पश्च लेखापरीक्षा की सिफारिश

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (अब केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) ने सभी केन्द्रीय कर प्राधिकरणों को परिपत्र सं. 17/17/2017- जीएसटी दिनांक 15 नवम्बर 2017 के माध्यम से वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिदाय आदेशों की पश्च-लेखापरीक्षा को जारी रखने के अनुदेश दिए थे। यूटी, चण्डीगढ़ कर प्राधिकरण को या तो केन्द्रीय कर प्राधिकरण के लिए लागू, प्रतिदाय आदेशों की पश्च लेखापरीक्षा के प्रावधानों को अपनाना चाहिए या फिर प्रतिदाय आदेशों की पश्च लेखापरीक्षा के अपने स्वंय के प्रावधान तैयार करना था जिससे कि प्रतिदायों की अनियमित संस्वीकृति के मामलों का समय पर पता लगाया जा सकेगा तथा राजकोष को राजस्व की संभावित हानि को रोका जा सकेगा।

3.4 किराये का कम निर्धारण

संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के संपदा कार्यालय ने वर्ष 2000 में दुकानों/बूथों का किराया निर्धारण करते समय किराए में वृद्धि की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया था जिसका परिणाम 1992-2022 की अवधि के लिए ₹9.37 करोड़ के किराये के कम निर्धारण में हुआ।

चण्डीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 1960 तथा 1970 में सेक्टर 17-ई में सरकार द्वारा निर्मित दुकानों (एससीओ)/बूथों को पांच वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया। प्रदान किए गए पट्टे का प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात किराये में 20 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ नवीकरण किया जाना था। इन एससीओ के किराये में 1992 में ₹14000/- प्रति माह तक की वृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त, तीन एससीओ में से बनाए गए पांच बूथों का किराया यथानुपात आधार पर तय किया गया था। पट्टेदारों द्वारा इसे उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1999 में आदेश दिया कि कथित एससीओ/बूथों का किराया आगे नियमावली तैयार किए बिना नहीं बढ़ाया जाएगा। न्यायालय के निदेशों के अनुसार, चण्डीगढ़ प्रशासन ने "चण्डीगढ़ में मासिक किराया आधार पर सरकार द्वारा निर्मित दुकानों/बूथों को पट्टे पर देने की योजना, 2000 (योजना)" नामक एक योजना तैयार की जिसे 19 अप्रैल 2000 को अधिसूचित किया गया तथा इसके बाद किराये मार्च 1992 से योजना के अनुसार निर्धारित किए जाने थे।

योजना के खंड 9 (जैसा कि चण्डीगढ़ प्रशासन राजपत्र (अतिरिक्त) दिनांक 16 अप्रैल 2002 के माध्यम से बदला गया) के अनुसार, सेक्टर 17-ई ('ए' के रूप में वर्गीकृत किया गया है) की दुकानों/बूथों के संबंध में वार्षिक वृद्धि निम्नानुसार की जानी थीः

- पट्टाधारी से प्रथम पांच वर्षों के लिए प्रभारित किए जाने वाले किराए के लिए वार्षिक वृद्धि आधार दर पर 7½ *प्रतिशत* की होगी। प्रथम पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात मूल किराये की 50 *प्रतिशत* की आगे वृद्धि के साथ अन्य पांच वर्षो की अवधि के लिए एक नया पट्टानामा

किया जाएगा तथा इसके पश्चात् किराये में प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात 37.5 *प्रतिशत* की वृद्धि की जाए।

- इसी प्रकार पांच वर्षों के बाद किराया विलेख का भी उपरोक्तानुसार नवीकरण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त योजना के खंड 10 के अनुसार, पट्टाधारी से श्रेणी 'ए' के प्रति प्रभारित किए जाने वाले किराये के लिए मूल किराये का उसी विधि से लागू करने के बाद परिकलन किया जाएगा जैसा 01 मार्च 1992 से जब इन एससीओ के लिए किराये को ₹14000 प्रति माह की दर पर निर्धारित किया गया था, शीर्ष श्रेणी 'ए' के अंतर्गत खंड 9 के अधीन किया गया था।

संपदा कार्यालय, यूटी, चण्डीगढ़ के वर्ष 2018-19 के लिए अभिलेखों की लेखपरीक्षा संवीक्षा ने पाया कि श्रेणी 'ए' के अंतर्गत सेक्टर-17-ई में 18 दुकानों एवं 05 बूथों के मामले में किराये का पुनः निर्धारण करते समय संपदा कार्यालय ने (अप्रैल 2000 में चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा योजना की अधिसूचना के बाद) योजना के खंड 9 एवं 10 के अधीन अनुदेशों के उल्लघंन में, किराये में वृद्धि हेतु निर्धारित चरणों की उपेक्षा करते हुए दुकानों/बूथों का किराया निर्धारित किया तथा मूल किराया अर्थात् ₹14000 पर सीधे 50 *प्रतिशत* की वृद्धि करते हुए पट्टा किराया को संशोधित किया। लेखापरीक्षा ने निर्धारित किया कि योजना के खंड 9 एवं 10 के तहत संपदा अधिकारी का प्रावधानों का पालन करने में विफलता का परिणाम ₹3.71 करोड़ की सीमा तक किराए के कम निर्धारण के कारण राजस्व की हानि में हुई।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में विभाग ने किराये के निर्धारण से संबंधित लेखापरीक्षा परिकलनों को स्वीकार करते समय 18 एससीओ तथा 05 बूथों के संबंध में सभी मामलों की निम्नानुसार विस्तृत समीक्षा (मार्च 1992 से मई 2022 की अवधि के लिए) कि;

- चूंकि इन एससीओ/बूथों के लिए किराया पट्टा अवधि के प्रथम वर्ष के लिए मार्च 1992 से लागू ₹14000 की दर पर निर्धारित किया गया था

इसलिए प्रथम वर्ष का किराया द्वितीय वर्ष के लिए तथा इसी तरह आगे के लिए आधार दर बन जाएगा।

- द्वितीय वर्ष के लिए किराया निर्धारण मूल दर पर 7.5 *प्रतिशत* की वृद्धि की जानी थी। प्राप्त किए गए ऐसे आंकड़े को अनुवर्ती वर्ष हेतु इसी तरह आगे के लिए आधार दर के रूप में माना जाएगा।
- प्रथम 5 वर्षों के पश्चात पट्टे के नवीकरण पर, 6वें वर्ष के लिए किराये का निर्धारण करते समय 5 वर्षों के लिए वसूले गए किराये को योजना के खंड 9 के अनुसार आगे 50 *प्रतिशत* की वृद्धि हेतु आधार दर के रूप में माना जाना था तथा वहां से आगे प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात किराये को 37.5 *प्रतिशत* तक बढ़ाया जाना था।

तदनुसार, संपदा कार्यालय ने पुनः जांच की तथा 18 एससीओ तथा 05 बूथों के संबंध में 1992-2022 की अवधि के लिए कुल ₹9.37 करोड़ के रूप में किराये के कम निर्धारण को परिकलित किया। संपदा कार्यालय ने तीन आबंटियों/किरायेदारों को बकाया देयों की वसूली हेतु मांग नोटिस (मई 2022) जारी किए थे तथा बताया कि शेष आंबटियों/किरायेदारों के संबंध में मांग नोटिस जल्द ही जारी किए जाएंगे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि किराये के निर्धारण से संबधित इन परिकलनों की संपदा कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा भी जांच की गई थी परंतु उनके द्वारा विसंगति को इंगित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के संपदा कार्यालय की 1992-2000 के दौरान दुकानों/बूथों के संबंध में किराये में वृद्धि हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने में विफलता का परिणाम 1992-2022 की अवधि के लिए कुल ₹9.37 करोड़ के किराये के कम निर्धारण में हुआ।

3.5 यात्रियों से सेवा कर/जीएसटी के गैर-प्रभार के कारण परिहार्य भुगतान

चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम का निर्धारित तिथियों से उपयुक्त कर अधिनियमितताओं को लागू करने तथा अनुवर्ती स्टेज कैरिज वातानुकूलित बसों के यात्रियों से सेवा कर/जीएसटी के अनुवर्ती गैर-संग्रह में असफल होने का परिणाम सरकारी राजकोष से ₹5.89 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ और तदनुरूप सेवा का कोई लाभ उठाये बिना जनता पर करों का बोझ लादन हुआ।

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66डी के अनुसार, स्टेज कैरिज बसों द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाओं की नकारात्मक सूची में थी तथा सेवा कर के लिए उद्ग्राह्य नहीं थी। तथापि, धारा 66डी में संशोधन किया गया तथा सेवा कर 01 जून 2016 से स्टेज कैरिज वातानुकूलित बसों के माध्यम से यात्रियों के परिवहन पर छः *प्रतिशत* की दर पर उद्ग्रहण किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना के अनुसार वातानुकूलित स्टेज कैरिज बसों द्वारा यात्रियों के परिवहन पर 01 जुलाई 2017 से पांच *प्रतिशत* (सीजीएसटी 2.5 *प्रतिशत* +यूटीजीएसटी 2.5 *प्रतिशत*) की दर पर जीएसटी का उद्ग्रहण किया गया था।

तदनुसार, चण्डीगढ परिवहन उपक्रम (सीटीयू) 01 जून 2016 से 30 जून 2017 तक स्टेज कैरिज वातानुकूलित बसों द्वारा यात्रियों के परिवहन पर छः *प्रतिशत* की दर पर सेवा कर तथा 01 जुलाई 2017 से पांच *प्रतिशत* की दर पर ऐसी सेवाओं पर जीएसटी प्रभारित करने एवं यात्रियों से ऐसे संग्रहीत सेवा कर/जीएसटी को सरकारी खाते में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

हमने पाया (जून 2020) कि सीटीयू उक्त अधिनियमितताओं को लागू करने में असफल रहा तथा संबंधित अधिसूचनाओं में निर्धारित तिथियों से स्टेज कैरिज वातानुकूलित बसों के यात्रियों से सेवा कर/जीएसटी संग्रह करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। यह केवल महानिदेशक माल एवं सेवा कर आसूचना द्वारा की गई जांच (जुलाई 2018) के बाद था कि सीटीयू ने भारतीय समेकित निधि से कुल ₹5.89 करोड़[4] की राशि के सेवा कर/जीएसटी को देर से ही जमा किया (जनवरी-मार्च 2020), क्योंकि सीटीयू ने यात्रियों से यह कर संग्रह नहीं किया था। 01 जून 2016 से 30 सितम्बर 2016 की अवधि के लिए सेवा कर सीमा

[4] 01 अक्टूबर 2016 से 30 जून 2017 की अवधि के लिए ₹1.42 करोड़ का सेवा कर तथा 01 जूलाई 2017 से 15 जनवरी 2020 की अवधि के लिए ₹4.47 करोड़ की राशि का जीएसटी।

अवधि[5] समाप्त होने के आधार पर जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार, लागू कर अधिनियमितताओं का गैर-कार्यान्वित होने एवं परिणामतः यात्रियों से सेवा कर/जीएसटी का गैर-प्रभारित होने/संग्रह करने तथा भारत की समेकित निधि से उपरोक्त को जमा करने का परिणाम सरकारी राजकोष से ₹5.89 करोड़ का परिहार्य भुगतान में हुआ।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2020 एवं दिसम्बर 2020), आपत्ति को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया (जुलाई 2020) कि सीटीयू ने टिकटों के वर्धित दरों के अनुमोदन के बाद 16 जनवरी 2020 से यात्रियों से जीएसटी प्रभार लेना आरम्भ किया। आगे, विभाग ने बताया (फरवरी 2021) कि सेवा कर के रूप में प्रदत्त ₹5.53 करोड़ की वसूली यात्रियों से 16 जनवरी 2020 से बस किराया, दैनिक एवं मासिक पासों तथा रियायती टिकटों के माध्यम से की जा रही थी। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि विभाग सेवा कर एवं जीएसटी के संग्रह में वैधानिक मांग को लागू करने एवं सेवाओं के उपयोगकर्ताओं से इसका संग्रह करने में असफल रहा तथा इसके स्थान पर उसने सरकारी राजकोष से इसको अदा किया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने भारतीय समेकित निधि से पूर्व अदा की गई कर राशि की वसूली करने के लिए गैर-वातानुकुलित बसों को शामिल करते हुए सभी बसों के किराए को गलत ढ़ंग से बढ़ाया। विभाग ने यहां तक कि कर भार उन पर भी अधिरोपित किया जिन्होंने एसी बसों में यात्रा नहीं की थी तथा उन यात्रियों से पिछले वर्षों के लिए कर संग्रह अन्य यात्रियों से किया जिन्होंने वास्तव में सेवा का लाभ नहीं उठाया था। लागू तिथियों से उपयुक्त कर अधिनियमितताओं को कार्यान्वित करने के लिए समयोचित कार्रवाई करने में सीटीयू की असफलता के कारण सरकारी राजकोष से ₹5.89 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ तथा तदनुरूप सेवा का कोई लाभ उठाये बिना जनता पर करों का बोझ लादन हुआ।

[5] सीमा अवधि का अर्थ वित्त अधिनिय 1994 की धारा 73 के तहत कर की वसूली हेतु निर्धारित पांच वर्ष की अवधि है। इसके अतिरिक्त सीमा अवधि के समाप्त होने का अर्थ कर की वसूली हेतु पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति है।

यह सिफारिश की जाती है कि उपयुक्त कार्रवाई के उल्लंघन हेतु जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने के लिए एक जांच की जाए।

3.6 प्रवेश शुल्क एवं लाईसेंस शुल्क की कम वसूली

चण्डीगढ़ परिवहन प्राधिकरण की मूल जांच जैसे कि लाईसेंसधारी द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों, यात्राओं के विवरणों, लाईसेंसधारी के नियंत्रण में सभी करों के ब्योरे आदि का निरीक्षण करने में विफलता से लाईसेंसधारी ने अपने नियंत्रण में टैक्सियों की कम संख्या को दर्शाया जिसका परिणाम ₹4.23 लाख के प्रवेश शुल्क एवं लाईसेंस शुल्क के कम उदग्रहण में हुआ।

चण्डीगढ़ प्रशासन ने दिनांक 06 अप्रैल 2017 की अधिसूचना के माध्यम से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियमावली लागू की जिसे "चण्डीगढ़ प्रशासन मांग पर परिवहन प्रौद्योगिकी एग्रीगेटर नियमावली 2017" कहा जाता है। नियम 3 प्रावधान करता है कि एक एग्रीगेटर[6] के रूप में कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करेगा अथवा अन्य किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं देगा जब तक कि उसके पास इस नियमावली के तहत एक प्रभावी लाईसेंस न हो। आगे नियम 13 प्रावधान करता है कि पांच वर्षों की अवधि के लिए लाईसेंस प्रदान करने/नवीकरण/हस्तांतरण हेतु शुल्क होगाः

ए) 500 टैक्सियों तक = ₹5,00,000/-

बी) प्रत्येक 100 टैक्सियों या उसके भाग के लिए = ₹1,00,000/- (पहली 500 टैक्सियों के बाद)

इसके अतिरिक्त नियम 6(ii) अनुबंध करता है कि केवल चण्डीगढ़ की पंजीकरण संख्या वाले अनुबंध परिवहन परमिट वाले वाहनों को ही वेब टैक्सी सेवा में डाला जा सकता है। तथापि, पंजाब एवं हरियाणा राज्य में पंजीकृत वाहनों "अखिल भारतीय पर्यटक परमिट" वाले वाहनों का ₹1,000/- प्रति तिमाही की दर पर

---

[6] एग्रीगेटर का अर्थ एक व्यक्ति है जो एक एग्रीगेटर अथवा आपरेटर अथवा एक मध्यस्थ/बाजार स्थान है जो एक टैक्सी द्वारा यात्रा हेतु अनुरोध करता है अथवा यात्रियों को सुविधा प्रदान करता है तथा यात्री/प्रत्याशित यात्री को फोन कॉल ,इंटरनेट ,वेब आधारित सेवाओं के माध्यम से टैक्सी के चालक से जोड़ता है चाहे ऐसे सेवाएं प्रदान करने हेतु किसी किराएं शुल्क , कमीशन ,दलाली अथवा अन्य प्रभारों की वसूली की गई हो या नहीं।

अथवा परिवहन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा समय समय पर तय के प्रवेश शुल्क को अदा करते हुए भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इन नियमावली के नियम 11 के अनुसार, यदि लाईसेंसधारी इन नियमावली के अधीन किसी भी आवश्यकता अथवा शर्त को पूरा करने में विफल होता है तो लाईसेंसिंग प्राधिकारी, सुनवाई का मौका देने के पश्चात् लाईसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है। आगे नियम 9(1)(बी) प्रावधान करता है कि प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु लाईसेंसधारी को, दिन प्रतिदिन आधार पर कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक वाहन द्वारा की गई यात्राओं, वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों के विवरण, यात्रा का आरम्भ स्थान एवं गंतव्य आदि को दर्शाते हुए उसके नियंत्रण में सभी टैक्सियों के डिजीटल रूप से अभिलेख अनुरक्षित करने चाहिए। ऐसे अनुरक्षित किए गए अभिलेख को किसी भी समय लाईसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा नामित एक अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खोला जाएगा। राज्य परिवहन प्राधिकरण, यूटी, चण्डीगढ़ परिवहन विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने राजस्व की कम वसूली पाई जैसा नीचे चर्चा की गई है:

ए) लाईसेंस शुल्क की कम वसूली:

लेखापरीक्षा ने पाया कि जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान एग्रीगेटरों (ऊबर तथा ओला) के साथ संलग्न वास्तविक कैब लगभग 2000 तथा 5000 थी, एग्रीगेटरों ने क्रमशः केवल 500 तथा 2600 कैब के लिए ही लाईसेंस शुल्क जमा किया था जिसका परिणाम ₹39 लाख के लाईसेंस शुल्क की कम वसूली में हुआ जैसा कि नीचे **तालिका सं. 15** में विवरण दिया गया है;

तालिका सं. 15: लाईसेंस शुल्क की कम वसूली

(राशि ₹ में)

एग्रीगेटर का नाम	कुल संलग्न वाहन	देय लाईसेंस शुल्क	वसूला गया लाईसेंस शुल्क	शेष
ओला	5,000	50,00,000	26,00,000	24,00,000
ऊबर	2,000	20,00,000	5,00,000	15,00,000

बी) प्रवेश शुल्क की कम वसूलीः

राज्य परिवहन प्राधिकरण, यूटी, चण्डीगढ़ के अभिलेखों के अनुसार जुलाई 2017 से मार्च 2021 तक के दौरान एग्रीगेटर लाईसेंस धारक अर्थात् "मैसर्स ऊबर इण्डिया टेक्नोलॉजी प्रा.लि. (ऊबर)" तथा "एएनआई टैक्नोलॉज़ीस प्रा.लि. (ओला)" ने क्रमशः 466-1241 के बीच तथा 928-2755 के बीच (तिमाही-वार) पंजाब तथा हरियाणा में पंजीकृत मोटर कैब चलाई।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दोनों एग्रीगेटरों ने पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में पंजीकृत वाहनों, हेतु ₹3.84 करोड़ का प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया था जिसका जुलाई-सितंबर 2017 से जनवरी-मार्च 2021 (पंद्रह तिमाहियां) तक की अवधि के लिए संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में वेब टैक्सी सेवा के लिए उपयोग किया गया था, जैसा कि **तालिका सं.16** में विवरण दिया गया है

तालिका सं. 16: जुलाई 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए प्रवेश शुल्क का विवरण

(राशि ₹ में)

एग्रीगेटर	कुल वाहन	उनके लिए जमा किया गया प्रवेश शुल्क	देय प्रवेश शुल्क	वसूला गया प्रवेश शुल्क	अंतर
ऊबर	14510	5,373	1,45,10,000	53,73,000	91,37,000
ओला	34906	5,645	3,49,06,000	56,45,000	2,92,61,000
कुल					**3,83,98,000**

यद्यपि, एग्रीगेटरों द्वारा वर्ष 2021 तक मासिक या त्रैमासिक रिपोर्टों में वाहनों का डाटा सूचित किया गया था तथा उनके अभिलेखों की जांच करने हेतु नियमावली में प्रावधान था फिर भी लाईसेंसिंग प्राधिकरण ने न तो कभी भी डाटा की संवीक्षा की थी और न ही अभिलेखों के अनिवार्य निरीक्षण किए थे। परिणामस्वरूप टैक्सियों की संख्या में वृद्धि हुई तथा वसूल किए जाने वाला परिणामी राजस्व ध्यान दिए बिना रह गया। लाईसेंसिग प्राधिकरण की मूल जांच

करने में विफलता का परिणाम ₹4.23 करोड़ के लाईसेंस शुल्क एवं प्रवेश शुल्क की कम वसूली में हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने (फरवरी 2020) पर विभाग ने बताया (जून 2021 तथा दिसंबर 2021) कि प्रवेश-शुल्क के गैर-भुगतान हेतु एग्रीगेटरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आगे यह बताया गया था कि लाईसेंस धारकों ने यह अनुरोध किया था कि टैक्सी मालिक, जो उनके अपना प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे थे, प्रवेश शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी थे न कि लाईसेंस धारकों द्वारा। इसलिए मामले को कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए सचिव परिवहन (जुलाई 2021) को संदर्भित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चण्डीगढ़ प्रशासन मांग पर परिवहन प्रौद्योगिकी एग्रीगेटर नियमावली, 2017 का नियम 11(1)(i) एवं (ii) स्पष्ट रूप से लाईसेंस धारक (ऐग्रीगेटर) द्वारा इन नियमावली की किसी भी शर्त के गैर-अनुपालन के मामले में लाईसेंस के निलंबन/रद्द करने का प्रावधान करता है। नियमावली में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद मामले में तुरंत कार्रवाई की कमी के कारण न केवल ₹4.23 करोड़ के राजस्व की हानि हुई बल्कि विभाग की ओर से निष्क्रियता के कारण राजकोष को हानि होती रही।

पैरा अप्रैल 2022 में विभाग/गृह मंत्रालय को जारी किया गया था हालांकि उनका उत्तर मई 2022 तक प्रतीक्षित था।

3.7 फार्म 'एफ' में घोषणा के समर्थन के बिना छूट प्रदान करना

पदांकित अधिकारी ने फार्म 'एफ[7]' में घोषणा के समर्थन के बिना छूट प्रदान की जिसका परिणाम ₹32.33 लाख के कर (ब्याज तथा दण्ड सहित) के गैर-उद्ग्रहण में हुआ।

सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 6-ए प्रावधान करती है कि जहां कोई भी विक्रेता, इस आधार पर कि इसके द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे माल

[7] फॉर्म 'एफ' व्यवसाय के अन्य स्थान के प्रधान अधिकारी द्वारा उचित प्रकार से भरी गई तथा हस्ताक्षरित एक घोषणा है जिसे सीएसटी अधिनियम 1956, की धारा 6-ए के तहत संबंधित कर प्राधिकारी को भण्डारण हस्तांतरण के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

की आवाजाही, उसके व्यवसाय के किसी अन्य स्थान या उसके ऐजेंट या मालिक को, जैसा भी मामला है, ऐसे माल के हस्तातंरण के कारण थी न कि विक्रय के कारण थी, यह दावा करता है कि वह किसी भी माल पर कर अदा करने का उत्तरदायी नहीं है तो यह साबित करने का भार उस विक्रेता पर होगा जिसके लिए उस माल की आवाजाही की गई थी। इस उद्देश्य के लिए वह निर्धारित समय के भीतर निर्धारण प्राधिकारी को उचित प्रकार से भरी हुई तथा व्यसाय या उसके ऐजेंट या मालिक के अन्य स्थान, जैसा भी मामला हो, के प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा, जिसमें ऐसे माल के प्रेषण सहित निर्धारित प्राधिकरण से प्राप्त निर्धारित फार्म में निर्धारित विवरण शामिल हो, प्रस्तुत करेगा। यदि विक्रेता ऐसी घोषणा प्रस्तुत करने में विफल होता है तो ऐसे माल की आवाजाही, जो बिक्री के परिणामस्वरूप की गई है, को इस अधिनियम के सभी प्रायोजन हेतु माना जाएगा।

हमने "मैसर्स श्री नाथ जी इंटरप्राईसिस" के वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारण अभिलेखों से पाया कि नामित अधिकारी ने मामले को व्यापार लेखा में दर्शाए गए ₹2.58 करोड़ के सापेक्ष ₹1.54 करोड़ की कुल बिक्री (जीटीओ) से निर्धारित किया था। यह इस तथ्य के कारण था कि ₹1.04 करोड़ के मूल्य के माल की आवाजाही को नामित अधिकारी द्वारा स्टोर के शाखा हस्तांतरण के रूप में लिया गया था न कि ब्रिक्री के रूप में। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि भण्डार के शाखा हस्तांतरण से संबंधित कथित राशि फार्म 'एफ' में निर्धारित घोषणा को प्रस्तुत करने के बिना थी जो छूट प्रदान किए जाने हेतु अनिवार्य है। इस प्रकार, नामित अधिकारी ने घोषणा के समर्थन के बिना छूट प्रदान की जिसका परिणाम वैट अधिनियम की संबंधित धारा के तहत ब्याज तथा दण्ड सहित ₹32.33[8] लाख के कर के गैर-उद्ग्रहण में हुआ।

---

[8] वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत व्यापार लेखा के अनुसार वित्त वर्ष में कुल बिक्री का 80 *प्रतिशत* पांच *प्रतिशत* पर तथा शेष 20 प्रतिशत 12.5 *प्रतिशत* पर करयोग्य था। तदनुसार, ड्राफ्ट पैरा में इंगित अनियमित शाखा हस्तांतरण को कर के गैर-उद्ग्रहण का परिकलन करने के लिए पांच *प्रतिशत* तथा 12.5*प्रतिशत* पर कर की दर को लागू करने के लिए उसी प्रतिशतता में बांटा गया था।

इंगित किए जाने पर (जून 2020 तथा अगस्त 2020) विभाग ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (सितंबर 2021 एवं जनवरी 2022) कि पंजाब वैट अधिनियम 2005 की धारा 29(7)[9] के तहत निर्धारिती को एक नोटिस जारी किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा तर्क पर सहमत होने के बावजूद पदांकित अधिकारी ने इस पर किसी कर का निर्धारण किए बिना केवल ₹103.96 लाख के स्टोर के शाखा हस्तांतरण की राशि को जीटीओ में जोड़ा जिसका इस प्रकार परिणाम कर के कम उद्ग्रहण में हुआ। आगे, विभाग ने बताया कि नोटिस को फार्म की अंतिम ज्ञात परिसर की अनुपलब्धता के कारण सुपुर्द नहीं किया जा सका था तथा उपयुक्त प्रयासों के पश्चात् भी विक्रेता का पता नहीं लगाया जा सका था। मामले का आबकारी एवं कराधान आयुक्त, यूटी चण्डीगढ़ के अनुमोदन के बाद *एक पक्षीय*[10] फैसला हुआ।

इस प्रकार, घोषणा के समर्थन के बिना छूट प्रदान करने का परिणाम ब्याज तथा दण्ड सहित ₹32.33 लाख के कर के गैर-उद्ग्रहण मे हुआ। इसके अतिरिक्त एक निर्धारिती के सत्यापन (फर्म का स्थान, पते का सत्यापन, तिमाही रिपोर्टें आदि) हेतु विभाग में त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण तथा जांच के कारण फर्म के साथ-साथ विक्रेता का पता नहीं चल रहा था तथा संबंधित डाटा का उचित प्रकार से अद्यतन नहीं किया गया था।

पैरा गृह मंत्रालय को भेजा गया था (अगस्त 2020), उत्तर मार्च 2022 तक अभी भी प्रतीक्षित था।

---

[9] पदनाम अधिकारी, यदि एक व्यक्ति द्वारा देय कर का कम-निर्धारण पाता है तो ,निर्धारण आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर आयुक्त की पूर्व अनुमति से उप-धारा (2) के तहत किए गए निर्धारण का संशोधन कर सकता है।

[10] *एक पक्षीय* एक कानूनी शब्द है। जिसे शामिल पक्षों में से एक उपस्थित नहीं है या प्रतिनिधित्व नहीं किया के रूप में परिभाषित किया गया है।

3.8 पट्टा-करार के गैर-पंजीकरण के कारण राजस्व की हानि

नगर निगम चण्डीगढ़ द्वारा गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर पट्टा-करार की यह सुनिश्चित किए बिना स्वीकृति कि यह पट्टनामा के रूप में पंजीकृत था, का परिणाम स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के कारण ₹29.66 लाख के राजस्व की हानि हुई।

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1) (डी) प्रावधान करती है कि वर्ष दर वर्ष या एक वर्ष से अधिक किसी भी अवधि के लिए या वार्षिक किराया आरक्षित करने के लिए अचल सम्पत्तियों का पट्टा अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त, पट्टे के मामले में उचित स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क देने के व्यय पट्टेदार द्वारा वहन किए जाएंगे। यूटी चंण्डीगढ़, में लागू भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) अधिनियम की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 35 में औसत वार्षिक किराए की राशि हेतु निर्धारित दरों (दो *प्रतिशत*)[11] पर पट्टनामों पर स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है जहां पट्टों का अभिप्राय पट्टे की अवधि न एक वर्ष से कम के लिए लेकिन पांच वर्ष से अधिक के लिए भी न हो।

नगर निगम, चण्डीगढ़ (जून 2017) ने सफल बोलीदाता मैसर्स आर्य टोल इन्फ्रा लिमिटेड, मुम्बई को प्रारम्भ में तीन वर्ष की अवधि हेतु चंण्डीगढ़ में 25 सशुल्क पार्किंग तथा 01 बहु-स्तरीय पार्किंग का संचालन एवं प्रबंधन करने के लिए अनुज्ञाप्ति प्रदान की थी, जिसे प्रचलित दरों पर जीएसटी को जोड़कर ₹14.78 करोड़ प्रति *वर्ष* की दर पर अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान पर आगे दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता था। तदनुसार, नगर निगम चण्डीगढ़ और फर्म मै. आर्य टोल इन्फ्रा लिमिटेड, मुम्बई के बीच जून 2007 में अनुबंध निष्पादित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नगर निगम ने ₹100 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध के रूप में दस्तावेज को बिना यह सुनिश्चित किए कि दस्तावेज संबंधित उप-पंजीयक से पट्टानामा के रूप में पंजीकृत था, स्वीकार किया। लाईसेंसधारी

[11] प्रत्येक ₹500 या ₹1000 से अधिक के उसके हिस्से के लिए-दस रुपए।

द्वारा पट्टानामा के गैर-पंजीकरण तथा नगर निगम द्वारा इसकी स्वीकृति के कारण सरकार ₹29.56 लाख एवं ₹0.10 लाख के क्रमशः स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क से वंचित रही।

इंगित किए जाने पर (फरवरी 2020 एवं जून 2020) नगर निगम ने बताया (जनवरी 2022) कि अनुबंध के खंड 9 के अनुसार, लाईसेंसधारी को आशय पत्र जारी करने के सात दिनों के भीतर स्टाम्प पेपरों पर समझौता ज्ञापन/लाईसेंस विलेख निष्पादित करना था तथा लाईसेंस विलेख की मूल प्रति लाईसेंसदाता के पास जमा की जाना थी, इसलिए पट्टानामा के गैर-पंजीकरण के संबंध में नगर निगम चण्डीगढ़ की ओर से कोई त्रुटि नहीं थी क्योंकि यह केवल अभिकरण की जिम्मेदारी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि पट्टा अनुबंध भारतीय पंजीकरण अधिनियम के तहत एक अनिवार्यतः पंजीकरण योग्य दस्तावेज है तथा नगर निगम को इसे स्वीकार करने से पहले पट्टानामा/लाईसेंस विलेख के पंजीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए था। इसके अलावा, अन्य फर्म के साथ किए गए बाद के अनुबंध (जुलाई 2021) में फर्म द्वारा नगर निगम चण्डीगढ़ के साथ अनुबंध तैयार करते समय निर्धारित दर पर कुल स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया था।

अतः नगर निगम द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज की स्वीकृति का परिणाम स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की गैर-प्राप्ति तथा सार्वजनिक राजकोष को ₹29.66 लाख की परिणामी हानि हुई।

मामले को जनवरी 2021 में गृह मंत्रालय को संदर्भित किया गया, मार्च 2022 तक उनसे उत्तर प्रतीक्षित है।

3.9 पूंजीगत माल की खरीद पर अधिक आईटीसी प्रदान करने के कारण कर तथा ब्याज का कम उद्ग्रहण

पदांकित अधिकारी ने पूंजीगत माल की खरीद पर अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमत किया जिसका परिणाम ब्याज सहित ₹8.54 लाख के कम उद्ग्रहण में हुआ।

पंजाब वैट अधिनियय (यूटी, चण्डीगढ़ तक विस्तारित) की धारा 13(1) प्रावधान करती है कि एक करयोग्य व्यक्ति, कर अवधि के दौरान राज्य के भीतर करयोग्य व्यक्ति से उसके द्वारा खरीदे गए पूंजीगत माल सहित करयोग्य माल पर इनपुट टैक्स के संबंध में, ऐसे ढंग तथा ऐसी शर्तों के तहत, जैसा निर्धारित की जाए इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार होगा।

पंजाब वैट अधिनियम ,जैसा यूटी चण्डीगढ़ को विस्तारित किया गया ,को संलग्न अनुसूची 'बी' की मद सं.16 में शामिल प्रावधानों के अनुसार पूंजीगत माल अर्थात् संयंत्र एवं मशीनरी तथा उसके पुर्जे, पांच *प्रतिशत* की दर पर कर योग्य है।

अधिनियम की धारा 32 (3) प्रावधान करती है कि यदि कोई व्यक्ति रिर्टन में कर की घोषणा करने में विफल होता है तो वे भुगतान की अंतिम तिथि से उस तिथि, जब वे वास्तव में कर की वह राशि अदा करता है, तक कर की उस राशि पर डेढ़ *प्रतिशत* प्रतिमाह की दर पर सामान्य ब्याज अदा करने का उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा ने मैसर्स सुखीजा रियल इस्टेट प्रा. लि. के वर्ष 2011-12 के निर्धारण से संबंधित अभिलेखों से पाया (अक्टूबर 2019) कि नामित अधिकारी ने पूंजीगत माल की ₹52.49 लाख के क्रय मूल्य पर ₹2.62 लाख के स्वीकार्य आईटीसी के स्थान पर गलत प्रकार से ₹5.72 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) अनुमत किया। पांच *प्रतिशत* की निर्धारित दर से अधिक दर पर आईटीसी के परिकलन का परिणाम अधिनियम की धारा 32(3) के तहत देय कुल ₹5.44 लाख के ब्याज के अतिरिक्त कुल ₹3.10 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति में हुआ था।

इंगित किए जाने पर (जून 2020 एवं जनवरी 2022) विभाग ने, आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2022) कि आबकारी तथा कराधान आयुक्त के अनुमोदन से, पंजाब वैट अधिनियम की धारा 29(7) के प्रावधान के अनुसार आदेश का संशोधन किया गया था तथा ₹10.79 लाख (कर, ब्याज तथा जुर्माना सहित) की मांग वाला एक परिशोधन निर्धारण आदेश प्रस्तुत किया गया था। अंतिम परिणाम प्रतीक्षित था।

मामला जनवरी 2022 में गृह मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर मार्च 2022 तक प्रतीक्षित था।

3.10 बिक्री के दमन के कारण करापवंचन

कर निर्धारण प्राधिकारी बिक्री के दमन का पता लगाने में असफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹8.10 लाख का करापवंचन हुआ।

पंजाब मूल्य-वर्धित कर (पीवैट) अधिनियम 2005 की धारा 2 (जेडजी) (जैसा कि यूटी चण्डीगढ़ तक विस्तारित किया गया) में प्रावधान है कि विक्रय मूल्य का अर्थ भाड़ा, भण्डारण, विलम्ब-शुल्क, बीमा के कराण प्रभारित कोई भी राशि तथा वस्तुओं की सुपुर्दगी के समय या उससे पहले उसके संबंध में व्यक्ति द्वारा इसके लिए प्रभारित कोई भी राशि सहित किए गए किसी भी विक्रय हेतु व्यक्ति द्वारा प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल की राशि है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (जेडसी) "वापसी" को निर्धारित फॉर्म में वापसी अवधि के संबंध में व्यापार के सत्य एवं सही लेखे के रूप में परिभाषित करती है।

लेखापरीक्षा ने उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के अभिलेखों[12] के मूल्यांकन से पाया कि विक्रेता मैसर्स ओंकार अलॉय हाउस की वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान पुराने टायरों के बिक्री से ₹23.97 लाख की व्यवसायिक आय थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि बिक्री को पुराने टायरों की बिक्री को व्यापार लेखा

[12] निर्धारण अभिलेखों में निर्धारण वर्षों के लिए उत्पाद शुल्क एवं कराधान अधिकारी के निर्धारण आदेश, फार्म वैट-20 (कर योग्य व्यक्ति द्वारा वार्षिक विवरणी) विक्रेता मैसर्स ओंकार अलॉय हाउस के व्यापार तथा लाभ-हानि लेखा शामिल हैं।

के बजाए लाभ-हानि लेखा में लेते हुए छुपाया गया तथा विक्रेता मै. ओंकार अलॉय हाउस लागू कर का भुगतान करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा ने पंजाब वैट अधिनियम की धारा-32(3) के तहत ब्याज तथा धारा-53 के तहत जुर्माना सहित ₹9.68 लाख के करापवंचन का परिकलन किया।

इंगित किए जाने पर (जून 2020, अगस्त 2020 तथा जनवरी 2022), उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग, चण्डीगढ़ ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 2021 तथा जनवरी 2022) कि निर्धारण वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए विक्रेता से संबंधित निर्धारण आदेश संशोधित किए गए थे तथा ₹8.10 लाख के ब्याज एवं जुर्माना सहित कर मांग प्रस्तुत की गई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग द्वारा प्रस्तुत की जा रही संशोधित कर मांग के बावजूद, जनवरी 2022 तक कोई भी वसूली नहीं की गई थी।

पैरा गृह मंत्रालय को (अगस्त 2020) भेजा गया था, उनका उत्तर मार्च 2022 तक अभी भी प्रतीक्षित था।

अध्याय -IV

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

इस अध्याय में दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करते हुए दो लेखापरीक्षा पैरा शामिल हैं।

(I) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

4.1 आकस्मिक छुट्टी एवं बीमारी छुट्टी का अनियमित नकदीकरण

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) ने लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आकस्मिक छुट्टी एवं बीमारी छुट्टी का अनियमित नकदीकरण अनुमत किया। अनियमित नकदीकरण के कारण ₹8.07 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया साथ ही 31 मार्च 2021 तक ₹13.17 करोड़ की भावी देनदारी थी।

डीपीई ने निर्णय लिया (अप्रैल 1987)[1] कि अलग-अलग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) अपने निदेशक मंडल (बीओडी) के अनुमोदन से भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित नीति दिशा-निर्देशों के व्यापक मानकों के भीतर छुट्टी नियम बना सकते हैं। डीपीई ने स्पष्ट किया (अक्टूबर 2010) कि आकस्मिक छुट्टी को बिल्कुल भी भुनाया नहीं जाना चाहिए और कैलेंडर वर्ष के अंत में यह समाप्त हो जाएगा। डीपीई ने यह भी स्पष्ट किया (जुलाई 2012) कि बीमारी छुट्टी (एसएल) को भुनाया नहीं जा सकता क्योंकि सरकारी दिशा-निर्देश इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) ने जनवरी 1983 से प्रभावी छुट्टी नीति को अपनाया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल थे:

[1] डीपीई का.ज्ञा. संख्या 2(27)/85-डीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 24.04.1987

- प्रत्येक कर्मचारी प्रति कैलेंडर वर्ष आकस्मिक छुट्टी (सीएल) के रूप में छः कार्य दिवसों तक का हकदार था। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान भुनाए नहीं गए सीएल को कैलेंडर वर्ष के अंत में भुनाया जा सकता है या इस तरह के अप्रयुक्त सीएल को कर्मचारियों के अर्जित छुट्टी (ईएल) खाते में उनके विशिष्ट लिखित अनुरोध पर अगले वर्ष की जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान जोड़ा जा सकता है।

- प्रत्येक कर्मचारी प्रति कैलेंडर वर्ष 10 दिनों के एसएल के लिए पात्र था। एसएल अधिकतम 120 दिनों तक जमा किया जा सकता है। 1 अप्रैल 1994 से किसी कर्मचारी के खाते में जमा पूरे एसएल को रोजगार की समाप्ति पर भुनाया जा सकता है। हालांकि, एसएल और ईएल का एक साथ नकदीकरण पूरे वेतन के रूप में 240 दिनों से अधिक नहीं होगा, जिसमें से एसएल घटक रोजगार की समाप्ति के समय पूर्ण वेतन पर 120 दिनों से अधिक नहीं होगा।

बीओडी ने अपनी 246वीं बोर्ड बैठक (19 मई 2010) में छुट्टी नीति में संशोधन किया और ईएल के संचय की ऊपरी सीमा को 240 दिनों से बढ़ाकर 300 दिन कर दिया। हालांकि, रोजगार की समाप्ति के समय इसे केवल 240 दिनों तक ही भुनाने की अनुमति थी। इसके बाद, छुट्टी नीति में निम्नलिखित संशोधनों को बीओडी द्वारा 8 नवंबर 2019 को आयोजित अपनी 309वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया था:

i) अप्रयुक्त एसएल को व्यक्तिगत कर्मचारी के विशिष्ट लिखित अनुरोध पर उसके ईएल खाते में जोड़ा जा सकता है।

ii) कैलेंडर वर्ष के अंत में कर्मचारी द्वारा सीएल के नकदीकरण के विकल्प को समाप्त करना। अप्रयुक्त सीएल, कैलेंडर वर्ष के अंत में व्यक्तिगत कर्मचारी के ईएल खाते में स्वतः जोड़ दी जाएगी।

iii) सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के समय ईएल के नकदीकरण को 240 दिनों की मौजूदा ऊपरी सीमा से बढ़ाकर 300 दिन करना। 300 दिनों से अधिक अधिक संचित ईएल को स्वतः भुनाया जाएगा और कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

➢ 7 नवंबर 2019 तक प्रभावी सीएल और एसएल के नकदीकरण पर पूर्व-संशोधित छुट्टी नीति (जनवरी 1983 की), डीपीई के स्पष्टीकरण (अक्टूबर 2010 और जुलाई 2012) के विपरीत थी, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2013[2] से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान सीएल और एसएल के नकदीकरण के लिए ₹ 7.67 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

➢ बीओडी ने छुट्टी नीति में संशोधन (नवंबर 2019) करते हुए सीएल और एसएल का नकदीकरण बंद कर दिया, लेकिन अप्रयुक्त सीएल और एसएल दोनों को व्यक्तिगत कर्मचारियों के ईएल खाते में जमा करने की अनुमति दी। बीओडी ने 300 दिनों से अधिक की संचित ईएल के स्वतः नकदीकरण की भी अनुमति दी। ये संशोधन सीएल और एसएल के नकदीकरण पर डीपीई दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में थे और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से सीएल और एसएल का नकदीकरण हुआ। इसके कारण ₹ 13.57 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ, जिसमें दिसंबर 2019 से मार्च 2021 के दौरान ₹ 0.40 करोड़ का छुट्टी नकदीकरण शामिल था, जो सीएल और एसएल को ईएल में परिवर्तित करने के कारण था और यह भावी अवकाश नकदीकरण के लिए ₹13.17 करोड़ की एक वित्तीय देयता थी।

[2] जनवरी 2013 से उपलब्ध जानकारी।

- डीपीई दिशा-निर्देशों से विचलन के कारणों को दर्ज करने वाले विषय पर कोई बोर्ड संकल्प प्रशासनिक मंत्रालय के साथ-साथ डीपीई को अग्रेषित नहीं किया गया था, जबकी डीपीई ओएम दिनांक 8 अप्रैल 1991[3] के तहत यह आवश्यक था।

कंपनी ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि एमएफएल, आवश्यक सेवाओं के तहत वर्गीकृत एक सतत प्रक्रिया उद्योग होने के नाते, संयंत्र को अपनी पूरी क्षमता से चलाना है। इसमें कहा गया है कि बिना किसी व्यवधान के ग्राहकों को उर्वरक उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के बोर्ड ने बहुत विचार-विमर्श के बाद सीएल और एसएल को ईएल में बदलने की अनुमति देने का निर्णय लिया, जिसे डीपीई द्वारा रोका नहीं गया था। इसने दावा किया कि यह कदम ओवरटाइम और अनुपस्थिति से बचने के लिए भी उठाया गया था, जो संगठन के लिए वित्तीय और परिचालन दोनों के लिए हानिकारक हैं। एमएफएल ने यह भी कहा कि डीपीई ओएम दिनांक 8 अप्रैल 1991 के अनुसार, सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल के पास लिखित में कारण दर्ज करते हुए इन दिशानिर्देशों को नहीं अपनाने का विवेकाधिकार है।

कंपनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि डीपीई ओएम (24 अप्रैल 1987) में प्रावधान है कि सीपीएसई भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति दिशा-निर्देशों के व्यापक मानकों के भीतर छुट्टी नियम बना सकता है। इसके अलावा, डीपीई ने विशेष रूप से स्पष्ट किया (अक्टूबर 2010 और जुलाई 2012) कि सीएल और एसएल को भुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि सरकारी दिशा-निर्देश इन छुट्टियों के नकदीकरण की अनुमति नहीं देते हैं। डीपीई दिशा-निर्देशों को दरकिनार करने के लिए, कंपनी ने सीएल और एसएल को ईएल में जोड़ने और उसके बाद नकदीकरण की अनुमति दी, जो डीपीई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कंपनी के इरादे को स्पष्ट करता है। परिचालन संबंधी आवश्यकताएं डीपीई निर्देशों के उल्लंघन

[3] डीपीई का.ज्ञा. सं. 6(6)/88 (समन्वय) दिनांक 08 अप्रैल 1991

का आधार नहीं हो सकती हैं। कंपनी की छुट्टी नीति में यह भी कहा गया है कि छुट्टी का अनुदान कार्य की अनिवार्यता और सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर होगा। इसके अलावा, 8 अप्रैल 1991 के डीपीई निर्देशों ने निर्दिष्ट किया कि दिशा-निर्देशों से किसी भी विचलन के कारण लिखित रूप में होने चाहिए और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ-साथ डीपीई को अग्रेषित किए जाने चाहिए। कंपनी द्वारा इसका पालन नहीं किया गया।

जून 2021 में मामले की सूचना मंत्रालय को दी गई। मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2022) की वह पैराग्राफ में बताए गए तथ्यों से सहमत है।

कम्पनी आकस्मिक छुट्टियों तथा बीमारी छुट्टियों के नकदीकरण हेतु अपने अधिकारियों की जिम्मेदारी को निर्धारित करे। इसके अतिरिक्त, आकस्मिक छुट्टियों तथा बीमारी छुट्टियों के अनियमित नकदीकरण हेतु कर्मचारियों से वसूली की जाए।

(II) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन

4.2 भू-प्रबंधन

भूमि के अनियोजित अधिग्रहण के साथ-साथ स्वत्व/पट्टा विलेखों के निष्पादन में विलंबित कार्रवाई और अधिशेष भूमि के समर्पण के परिणामस्वरूप ₹8.65 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना 1957 में कृषि उत्पादों से लेकर परिष्कृत औद्योगिक उत्पादों तक के उत्पादों के लिए एकीकृत वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रमुख बाजार सुविधाकर्ता के रूप में उभरने की दृष्टि से की गई थी।

31 मार्च 2021 तक, सीडब्ल्यूसी देश भर में 123.78 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के साथ 422 गोदामों का संचालन कर रहा था और इसके पास 416 स्थानों

पर 3578.50 एकड़ भूमि (फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड) थी जिसकी कुल कीमत ₹327.12 करोड़[4] थी। अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया:

4.2.1 पट्टा/स्वत्व विलेखों के निष्पादन में विलम्ब

सीडब्ल्यूसी के पक्ष में स्वत्व/पट्टा विलेख के पंजीकरण के लिए 42 मामले लंबित थे, जिन्हें 1964 से 2012 के दौरान अधिग्रहित किया गया था, जिसका विवरण नीचे **तालिका सं. 17** में दिया गया है:

तालिका सं. : 17

श्रेणी	स्वत्व/पट्टा विलेखों के निष्पादन के लिए लंबित मामलों की संख्या	*प्रतिशत*
न्यायालय/मध्यस्थता में लंबित	7	16.67
देरी/सरकारी प्राधिकारियों के साथ विवाद	28	66.66
सीडब्ल्यूसी में लंबित है मामला	7[5]	16.67
कुल भूमि स्थल जिनका कोई हक/पट्टा विलेख नहीं है	42	100.00

विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों/विभागों के साथ विवादों के कारण विलेखों के गैर-निष्पादन का अधिकतम 66.66 *प्रतिशत* लम्बित था।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि वे दो और स्थलों अर्थात दिल्ली में केंद्रीय गोदाम (सीडब्ल्यू)-आरपी बाग और ओडिशा में सीडब्ल्यू-नवरंगपुर के संबंध में स्वामित्व विलेखों के निष्पादन में सफल रहे हैं। इसके अलावा, सीडब्ल्यू हुबली, सीडब्ल्यू गडग, सीडब्ल्यू-केआईडीबी बैंगलोर, सीडब्ल्यू बरहामपुर, और सीडब्ल्यू ग्वालियर नाम के

---

4 भूमि (फ्रीहोल्ड)- ₹71.96 करोड़ और भूमि (लीजहोल्ड)- ₹255.16 करोड़

5 पट्टे की भूमि का अभ्यर्पण करना था (कांडला- II और III), पट्टे की अवधि 2024 (पिपावाव) में समाप्त होने वाली थी, सीडब्ल्यूसी ने लीज अनुबंध के पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं देखी क्योंकि लाइसेंस अनुबंध वहां था (नया सीएफएस कांडला), भूमि रिकॉर्ड ट्रेस करने योग्य नहीं था (लुधियाना), पट्टा अनुबंध पर प्राधिकरण के साथ विचार विमर्श नहीं किया गया था (गोवा, एमएस जेठा-मुंबई और हजारीबाग)

पांच स्थलों के संबंध में लीज डीड के निष्पादन की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है और शीघ्र ही निष्पादित होने की उम्मीद है। इसने आगे उल्लेख किया कि सीडब्ल्यूसी संबंधित स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ लगातार मामले को देख रहा था और उस पर काम कर रहा था। लुधियाना के संबंध में, इसने उत्तर दिया कि डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करने और टाइटल डीड के निष्पादन के लिए स्थानीय अधिकारियों से बात की जा रही है।

तथ्य यह है कि पट्टा/स्वत्व विलेख बड़ी संख्या में (40 भूमि स्थल) गैर निष्पादित रहा। पट्टा/स्वत्व विलेख का पंजीकरण पट्टेदार और पट्टेदार के बीच किसी भी विवाद/असहमति की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है।

4.2.2 उचित कार्य योजना के बिना भूमि का अधिग्रहण

31 मार्च 2021 तक, सीडब्ल्यूसी के पास 416 स्थानों पर 3578.50 एकड़ भूमि थी। इसके पास 14 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में मौजूदा गोदामों से सटे ₹90 करोड़ मूल्य के 103 स्थानों में 794.78 एकड़ भूमि खाली थी जिसका विवरण **तालिका संख्या 18** में दिया गया है। इन खाली जमीनों में 17.30 लाख मीट्रिक टन क्षमता बढ़ाने की क्षमता थी।

तालिका सं. 18 : 31 मार्च 2021 तक खाली भूमि

क्षेत्रीय कार्यालय	कुल भूमि (एकड़ में)	खाली जमीन (एकड़ में)	स्थानों की संख्या	अतिरिक्त क्षमता जो खाली भूमि पर सृजित की जा सकती है (लाख मी.ट.)	यथानुपात आधार पर खाली जमीन की कीमत (₹ लाख में)
अहमदाबाद	202.83	52.93	7	0.23	835.09
बैंगलोर	165.61	51.01	11	2.48	4,311.41
भोपाल	326.70	41.90	5	1.16	132.14
चंडीगढ़	432.35	91.35	8	1.58	813.70

क्षेत्रीय कार्यालय	कुल भूमि (एकड़ में)	खाली जमीन (एकड़ में)	स्थानों की संख्या	अतिरिक्त क्षमता जो खाली भूमि पर सृजित की जा सकती है (लाख मी.ट.)	यथानुपात आधार पर खाली जमीन की कीमत (₹ लाख में)
चेन्नई	356.95	156.52	8	1.80	173.43
दिल्ली	118.10	14.86	1	1.31	360.83
गुवाहाटी	31.99	1.89	2	0.05	0.28
हैदराबाद	561.61	123.26	13	2.56	926.50
जयपुर	207.19	51.58	9	1.85	655.16
कोच्चि	71.05	15.78	5	0.63	148.23
कोलकाता	156.81	3.71	2	0.23	4.07
लखनऊ	332.31	49.69	7	0.53	32.50
मुंबई	374.33	77.85	9	1.39	539.16
पटना	240.67	62.45	16	1.49	67.84
कुल	**3578.50**	**794.78**	**103**	**17.30**	**9,000.34**

यह देखा गया था कि 95 स्थानों में 721.46 एकड़ भूमि का अधिग्रहण बहुत पहले (अर्थात पांच वर्ष या अधिक) किया गया था, लेकिन पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था और भूमि के कुछ हिस्से 31 मार्च 2021 तक खाली रहे थे। चार मामलों[6] में जहां 21.67 एकड़ भूमि का कब्जा लिया गया था, वहां 1993 और 2009 के बीच, कोई क्षमता का निर्माण नहीं किया गया था और पूरी भूमि अनुपयोगी रह गई थी। यह गोदामों की आवश्यकता पर कोई उचित निर्धारण/योजना किए बिना भूमि के अधिग्रहण को इंगित करता है।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि व्यापारिक पहलुओं और भविष्य के विस्तार को ध्यान में रखते हुए भूमि खरीदी गई थी, क्योंकि अल्प सूचना पर भूमि खरीदना मुश्किल था। इसने आगे कहा कि सीडब्ल्यूसी ने भंडारण अंतर के साथ-साथ बाजार

[6] कांडला (II एवं III), के आर नगर, पलवल एवं शिमला

की क्षमता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से खाली भूमि पर गोदाम बनाने की योजना बनाई है। तदनुसार, इसने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 3.45 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता पहले ही बना ली थी और आने वाले वर्षों में उपलब्ध भूमि पार्सल पर 8.25 लाख मीट्रिक टन क्षमता के निर्माण की योजना बनाई थी और निर्माण गतिविधियां निविदा से लेकर विभिन्न चरणों में हैं। इसने आगे कहा, कि सीडब्ल्यूसी ने गेल, अमेज़ॉन, बिग बास्केट आदि जैसे विभिन्न जमाकर्ताओं को इसकी पेशकश करके खुली जगह के लाभकारी उपयोग के व्यावसायिक अवसरों का पता लगाया है।

मंत्रालय का उत्तर पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीडब्ल्यूसी के पास उपलब्ध भूमि बहुत पहले खरीदी गई थी और लक्षित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूसी को कोई प्रतिफल दिए बिना निधियों को अवरुद्ध कर दिया गया। चार मामलों में, 2009 से पहले खरीदी गई भूमि का उपयोग नहीं किया गया था और पूरी भूमि खाली पड़ी थी (जुलाई 2021)।

4.2.3 खाली भूमि का उपयोग न करने के कारण व्यवसाय के अवसर की हानि

असम सरकार ने एग्री-कम-एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एएसीसी) के विकास के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी (एलजीबीआईए) के पास सीडब्ल्यूसी (मार्च 2003) को भूमि आवंटित की। सीडब्ल्यूसी ने राज्य सरकार को भूमि की लागत के लिए ₹5.79 लाख की राशि का भुगतान किया और मार्च 2006 में भूमि पर कब्जा कर लिया। सीडब्ल्यूसी ने प्रस्तावित एएसीसी से ₹73 लाख के वार्षिक अधिशेष का अनुमान लगाया।

यह देखा गया कि भूमि के कब्जे की तारीख से पांच साल से अधिक की देरी के बाद, आरओ गुवाहाटी ने पूरी परियोजना के वित्तपोषण के लिए उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) से संपर्क किया (अगस्त 2011)। उत्तर में, एनईसी ने कहा (सितंबर 2011) कि सीडब्ल्यूसी का अनुरोध किसी भी परियोजना प्रस्ताव के बिना थी और इसके

विचार के लिए अवधारणा पत्र के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। सीडब्ल्यूसी अगस्त 2011 से एनईसी को डीपीआर प्रस्तुत करने में विफल रहा। डीपीआर अभी एनईसी को प्रस्तुत किया जाना था (मार्च 2021)। इसके परिणामस्वरूप फरवरी 2004 में भूमि की लागत के रूप में भुगतान किए गए ₹5.79 लाख की निधियों को अवरुद्ध करने के अलावा प्रति वर्ष ₹73 लाख के व्यापार के अवसरों की हानि हुई।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि परियोजना की उच्च लागत और इसकी वित्तीय व्यवहार्यता की कमी के कारण एएसीसी के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया गया था। वर्तमान में भूमि का उपयोग आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और भूमि के उपयोग को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है जहां वित्तीय व्यवहार्यता के अनुसार परियोजना के बाद लिया जाएगा। इसने आगे उत्तर दिया कि लगभग 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र की उक्त भूमि को भूमि भराव के साथ विकसित किया गया था और वर्ष 2019-20 में चारदीवारी के निर्माण का कार्य पूरा किया गया था। मार्च 2020 से, खुले स्थान का खुले भंडारण के लिए पूरी तरह से उपयोग किया जाता है और प्रति माह लगभग ₹ सात लाख का मासिक राजस्व मिलता है।

तथ्य यह है कि भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य एएसीसी के निर्माण न होने के कारण विफल हो गया था। जिस भूमि के लिए मार्च 2006 में कब्जा लिया गया था, वह मार्च 2020 तक अनुपयोगी रही, जब इसे खुले भंडारण के लिए उपयोग किया जाना कहा जाता है। आगे परियोजना व्यवहार्यता पर मंत्रालय का उत्तर विरोधाभासी है। इसने कहा कि एएसीसी के प्रस्ताव को उच्च लागत के कारण आगे नहीं बढ़ाया गया था और दूसरी तरफ उसने उत्तर दिया कि वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भूमि के उपयोग को परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसके बाद वित्तीय व्यवहार्यता के अनुसार परियोजना को लिया जाएगा। यह सीडब्ल्यूसी द्वारा परियोजना की उचित योजना और मूल्यांकन की कमी को दर्शाता है।

4.2.4 पट्टा किराए का परिहार्य भुगतान

आरओ कोलकाता, सीडब्ल्यूसी के पास हल्दिया में 40,468.55 वर्ग मीटर की भूमि थी, जहां 32,400 मीट्रिक टन क्षमता का एक ढ़का हुआ माल गोदाम (सीडब्ल्यू दुर्गाचक) चल रहा था। इसने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केओपीटी), हल्दिया से 30 साल के पट्टे पर मौजूदा भूमि से सटे 13,597.5 वर्ग मीटर के एक और भूखंड का अधिग्रहण किया (मई 1988) । सीडब्ल्यू दुर्गाचक गोदाम को रेल फेड बनाने के लिए उस पर रेल लाइन बिछाकर भविष्य के व्यापार विस्तार की योजना बनाई। 1988 में ली गई अतिरिक्त भूमि का पट्टा किराया ₹ 85,446 प्रति माह था। अभिलेखों की गहन जांच में यह पाया गया कि 1988 में अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण के बाद से अनुपयोगी पड़ी थी। अतिरिक्त भूमि पर कोई अपेक्षित उपयोग/निर्माण न होने के मद्देनज़र, आरओ कोलकाता (जनवरी 2015) इसे जल्द से जल्द अभ्यर्पित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय, सीडब्ल्यूसी को प्रस्ताव भेजे। कॉर्पोरेट कार्यालय ने दो वर्षों के बाद, आरओ कोलकाता को मई 2018 में पट्टे की समाप्ति से पहले केओपीटी को भूमि वापस करने का अनुदेश दिया (फरवरी 2017) क्योंकि यह कोई राजस्व नहीं दे रहा था और इसके भविष्य के उपयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। जमीन फरवरी 2018 में केओपीटी को सौंप दी गई थी।

यह देखा गया कि मौजूदा माल गोदाम में कम अधिभोग के बावजूद, प्रबंधन ने इसे रेल फेड माल गोदाम में बदलने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और इस उद्देश्य के लिए अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि अनुपयोगी रही। अतिरिक्त भूमि का वैकल्पिक उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि इसका स्थान मौजूदा गोदाम की चारदीवारी के बाहर था तथा हल्दिया में गोदाम के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं था। इस प्रकार, उचित निर्धारण के बिना अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के निर्णय के साथ-साथ इसे

अभ्यर्पित करने के विलंबित निर्णय के परिणामस्वरूप लीज रेंट पर ₹3.06 करोड़[7] के परिहार्य व्यय के साथ-साथ उस पर ₹1.59 करोड़[8] के ब्याज की हानि हुई।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि उस समय हल्दिया गोदी से पर्याप्त व्यापार की उम्मीद में भूमि का अधिग्रहण किया गया था, हालांकि, कोलकाता बंदरगाह के प्रतिस्थापन बंदरगाह के रूप में हल्दिया बंदरगाह के गैर-विकास के कारण व्यावसायिक संभावना हासिल नहीं की जा सकी। हल्दिया की भूमि को कोलकाता पत्तन न्यास को सौंपने का निर्णय लेने में विलम्ब भूमि के लाभकारी उपयोग के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के कारण था। हालांकि, जब कोई अन्य विकल्प नहीं मिला तो उक्त भूमि को केओपीटी को सौंप दी गई।

तथ्य यह रहता है कि अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के समय निर्धारण एवं विश्लेषण के अभाव के साथ-साथ भूमि को अभ्यर्पित करने का निर्णय लेने में अनुचित विलम्ब था जो गोदाम, कन्टेनर डिपो आदि के निर्माण जैसे वैकल्पिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं था। 1988 में अधिग्रहीत भूमि 2018 में सीडब्ल्यूसी द्वारा अभ्यर्पण करने से पहले 30 साल तक खाली रही, जिस पर उसने ₹3.06 करोड़ के पट्टे के किराए का भुगतान किया।

4.2.5 भूमि के उपयोग/अभ्यर्पण में अनिर्णय के कारण हानि

कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान में ₹6.52 लाख में आठ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया (मार्च 2003) । इसने 2,500 मीट्रिक टन के गारंटीकृत उपयोग के लिए एफसीआई से पुष्टि प्राप्त होने के बाद मई 2005 में ₹एक करोड़ के निवेश के साथ 3,400 मीट्रिक टन के माल गोदाम का निर्माण किया। आठ एकड़ भूमि में से केवल एक एकड़ भूमि का उपयोग गोदाम निर्माण के लिए किया गया था और सात एकड़ भूमि अनुपयोगी रह गई थी।

---

[7] ₹ 85,446/- x 358 महीने (अर्थात् मई 1988 से फरवरी 2018 तक)

[8] बचत बैंक जमा पर 3.5 प्रतिशत वार्षिक पर अपरिवर्तनवादी आधार पर परिकलित।

जनवरी 2015 में, एफसीआई ने नियमित संचालन और परिवहन सुविधा, वेब्रिज तथा गोदाम की मरम्मत एवं गोदाम में आवश्यक कर्मचारियों जैसी अन्य आवश्यकताओं को प्रदान करने में सीडब्ल्यूसी की अक्षमता के कारण माल गोदाम का उपयोग बंद कर दिया। तब से माल गोदाम खाली पड़ा था। सीडब्ल्यूसी ने पिछले पांच वर्षों में मार्च 2021 तक भूमि/माल गोदाम की सुरक्षा/रखरखाव पर ₹1.49 करोड़ का व्यय किया।

माल गोदाम बंद करने के लिए बनी एक समिति ने सिफारिश की (मई 2019) कि एफसीआई/एनएएफईजी/आरएजेएफईजी को वही प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक आवश्यकता-आधारित मरम्मतों के निष्पादन के बाद लाभकारी उपयोग के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। अक्टूबर 2019 में, सीडब्ल्यूसी ने यूनिट को बंद करने तथा जमीन को राज्य सरकार को सौंपना का निर्णय लिया। भूमि के निस्तारण मूल्य पर निर्णय लेने के लिए आरओ, जयपुर, सीडब्ल्यूसी (नवंबर 2019) द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। हालांकि, कुशलगढ़ में निर्मित भंडारण क्षमता और भूमि 31 मार्च 2021 तक अप्रयुक्त रही।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि इसके निरंतर प्रयास और नए व्यापार अवसरों की खोज से 2022-23 में फल और सब्जी थोक *मंडी* का संचालन शुरू हुआ है। माल गोदाम में उपलब्ध शेष खाली खुली भूमि के संबंध में, यह आशा की जाती है कि फल और सब्जी थोक *मण्डी* अंतरण पर अतिरिक्त सुविधा सृजित करके उसका भी लाभकारी उपयोग किया जा सकता है।

तथ्य यह रह जाता है कि सीडब्ल्यूसी 2003 में अपने अधिग्रहण के बाद से सात एकड़ भूमि का उपयोग करने में असमर्थ था। यह कुशलगढ़ में माल गोदाम के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अनुचित योजना और निर्धारण को इंगित करता है। आगे माल गोदाम 2015 से बिना किसी लाभ के बेकार पड़ा रहा और सीडब्ल्यूसी ने मार्च 2021 तक भूमि/माल गोदाम के रखरखाव पर ₹1.49 करोड़ का व्यय किया था।

4.2.6 जयपुर में कार्यालय निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण पर परिहार्य व्यय

आरओ, जयपुर, सीडब्ल्यूसी एक किराए के भवन से ₹1.20 लाख के मासिक किराए पर कार्य कर रहा था। कार्यालय भवन निर्माण के उद्देश्य से आरओ जयपुर ने भूमि आवंटन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) से अनुरोध किया। जेडीए ने आरओ को झालाना, जयपुर में ₹2.14 करोड़ की लागत से 660.54 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की (मई 2016) ।

भूमि चयन समिति[9] ने झालाना में इसके अनुकूल स्थान को देखते हुए भूमि की खरीद के लिए सिफारिश (मई 2016) की। सीडब्ल्यूसी ने मई 2016 में जमीन खरीदी और सितंबर 2016 में जेडीए से कब्जा लिया गया। उसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई। जनवरी 2018 में, आरओ, जयपुर ने जेडीए को सूचित किया कि झालाना में भूमि अपने कार्यालय के संचालन और निकट भविष्य में सीडब्ल्यूसी की विस्तार योजनाओं के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसने जेडीए से झालाना में 660.54 वर्ग मीटर की मौजूदा भूमि को लगभग 800 वर्ग मीटर से 1200 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक नई भूमि के साथ बदलने का अनुरोध किया। कई अनुवर्ती कार्रवाई (जून 2018, सितंबर 2018 और अक्टूबर 2018) के बाद, जेडीए ने सीडब्ल्यूसी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया (जुलाई 2019) और भूमि की कीमत के प्रति ₹1.92 करोड़[10] के अंतर की मांग करके झालाना में पुरानी भूमि के बदले विद्याधर नगर, जयपुर में 875 वर्ग मीटर की एक नई भूमि आवंटित की। सीडब्ल्यूसी ने नई भूमि के लिए एकमुश्त पट्टा भुगतान सहित ₹2.25 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान (सितंबर 2019) किया। इसने विद्याधर नगर में भूमि के लिए अप्रैल 2021 में लीज डीड के पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क के रूप में ₹0.36 करोड़ का भुगतान भी किया। कार्यालय का निर्माण मार्च 2021 तक शुरू नहीं किया गया था। भूमि के अंतिम रूप देने और उस पर निर्माण में देरी से सीडब्ल्यूसी को जयपुर में कार्यालय के लिए

---

[9] क्षेत्रीय प्रबंधक (जयपुर), कार्यकारी अभियंता और वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (जी) शामिल है |
[10] ₹ 4.05 करोड़ की वर्तमान मांग- ₹ 2.13 करोड़ की पहले ही भुगतान की गई राशि

किराए पर ली गई बिल्डिंग के लिए ₹1.20 लाख के मासिक किराये का भुगतान करना पड़ा ।

अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि विद्याधर नगर के स्थानीय भवन उपनियमों के अनुसार सेट बैक क्लॉज के तहत, सभी दिशाओं में 6 मीटर के क्षेत्र को खुला छोड़ दिया जाना था और उस क्षेत्र में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं थी। सेट बैक क्लॉज के तहत भूमि की कटौती के बाद, विद्याधर नगर, जयपुर में निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि झालाना, जयपुर में अभ्यर्पित भूमि में निर्माण के लिए उपलब्ध क्षेत्र के बराबर थी। यह देखा गया कि सीडब्ल्यूसी ने विद्याधर नगर में भूमि का भुगतान करने से पहले स्थानीय भवन उपनियमों पर विचार नहीं किया। इसने विद्याधर नगर, जयपुर में नई भूमि लेने के उद्देश्य को विफल कर दिया अर्थात् झालाना में भूमि की तुलना में निर्माण के लिए अधिक क्षेत्र होना। सीडब्ल्यूसी ने विद्याधर नगर में भूमि के लिए अतिरिक्त ₹2.60 करोड़[11] का भुगतान किया, हालांकि निर्माण के लिए उपलब्ध क्षेत्र झालाना में पिछली भूमि के समान ही रहा।

मंत्रालय ने बताया (जून 2022) कि झालाना, जयपुर में भूमि स्लम क्षेत्र, संकरे रास्ते से घिरी हुई थी और मजदूरों द्वारा अतिक्रमण किया गया था जो भविष्य में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता था। इसलिए भूमि परिवर्तन आवश्यक था। जेडीए ने विद्याधर नगर, जयपुर में भूमि आवंटन करके झालाना में पिछली भूमि को बदल दिया। इसके अतिरिक्त विद्याधर नगर में आगे के क्षेत्र को पार्किंग और बागवानी के लिए विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने का प्रस्ताव है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। झालाना में झुग्गी-झोपड़ियों से घिरी जमीन, अपनी सफाई में सोच समझकर दिया जाने वाला केवल जवाब है क्योंकि यह देखा गया कि सीडब्ल्यूसी ने झालाना में आवंटित भूमि के परिवर्तन के लिए जेडीए से अनुरोध (जनवरी 2018) किया था कि यह भूमि अपने आरओ, जयपुर के संचालन के

---

[11] विद्यानगर में नई भूमि की लागत (₹4.38 करोड़) + नई भूमि पर स्टाम्प शुल्क (₹0.36 करोड़) - झालाना में पिछली भूमि के प्रति समायोजित राशि (₹2.14 करोड़)

लिए और निकट भविष्य में विस्तार योजनाओं के लिए पर्याप्त नहीं थी। आगे यह भी देखा गया कि आरओ, जयपुर ने भी भूमि लेने से पहले विद्यानगर स्थानीय भवन उपनियमों पर विचार नहीं किया। सेट बैक क्लॉज के बाद, विद्याधर नगर में निर्माण के लिए उपलब्ध क्षेत्र झालाना में आवंटित पिछली भूमि के लगभग बराबर था, हालांकि विद्याधर नगर की भूमि के लिए सीडब्ल्यूसी ने ₹2.60 करोड़ का अधिक व्यय किया।

4.2.7 विलंबित भुगतान शुल्क का परिहार्य भुगतान

सीडब्ल्यूसी ने 1989 से 1992 के दौरान द्रोणागिरी नोड में 1,62,570 वर्ग मीटर भूमि और जून 1998 में डिस्ट्रीपार्क में 1,24,908 वर्ग मीटर भूमि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (महाराष्ट्र) लिमिटेड (सिडको) से 60 साल की लीज अवधि के लिए ली थी।

समझौते के खंड 3 (एफ) में कहा गया है कि सिडको को सेवा शुल्क का भुगतान प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंदर किया जाना था। यह देखा गया कि सीडब्ल्यूसी निर्धारित नियत तारीख के अंदर सिडको को सेवा शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा। सेवा प्रभारों के भुगतान में इस विलम्ब के परिणामस्वरूप सिडको द्वारा मार्च 2018 तक सीडब्लयूसी द्वारा भुगतान किए गए सेवा प्रभारों से विलंबित भुगतान प्रभारों (डीपीसी) के प्रति ₹1.50 करोड़ का समायोजन किया गया। यह भी देखा गया कि सिडको ने डीपीसी की छूट के लिए सीडब्ल्यूसी के अनुरोध पर विचार नहीं किया।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि सिडको नियमित रूप से मांग नहीं कर रहा/भेज नहीं रहा था और डीपीसी के भुगतान के मुद्दों को सिडको के साथ उठाया गया था और सिडको से छूट के लिए कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसने आगे उत्तर दिया कि डीपीसी के अतिरिक्त उपार्जन से बचने के लिए सिडको को डीपीसी का भुगतान किया गया था।

मंत्रालय ने सिडको को विलंबित भुगतान प्रभारों के तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2022)। अनुबंध के खंड 3 (एफ) के अनुसरण में प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंदर सिडको को सेवा शुल्क का भुगतान किया जाना था। इसलिए, भुगतान करने के लिए मांग नोटिस की प्रतीक्षा करना निगरानी में कमी दर्शाता है जिसके कारण सीडब्ल्यूसी को ₹1.50 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा।

4.2.8 आवासीय फ्लैटों का प्रबंधन

(i) सीडब्ल्यूसी ने भोपाल में विभिन्न स्थानों पर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड से अपने कर्मचारियों के आवास के लिए ₹28.99 लाख की लागत से 13 आवासीय फ्लैट खरीदे (1982 से 1996)। इन फ्लैटों का उपयोग कर्मचारियों द्वारा आवास के लिए नहीं किया गया था क्योंकि इनमें से अधिकांश के अपने घर भोपाल में थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ये फ्लैट 10 से 20 वर्षों तक की अवधि के लिए खाली पड़े रहे। आरओ, भोपाल ने फ्लैटों के निपटान का प्रस्ताव दिया (अक्टूबर 2013) और आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय से अनुरोध किया। हालांकि, 31 मार्च 2021 तक इन फ्लैटों का न तो उपयोग किया गया और न ही इनका निपटान किया गया।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि भोपाल में फ्लैटों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और नीलामी के माध्यम से निपटान को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसने आगे उत्तर दिया कि नीलामी की योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सीडब्ल्यूसी 13 फ्लैटों का निपटान करने में विफल रहा, हालांकि प्रक्रिया 2013 में शुरू की गई थी।

(ii) मुंबई में 34 फ्लैटों के पंजीकरण के मूल दस्तावेज आरओ मुंबई, सीडब्ल्यूसी के पास उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि 23 फ्लैटों के संबंध में निरंतर और लगातार प्रयास से लीज डीड दस्तावेज प्राप्त कर लिए गए हैं और शेष 11 फ्लैटों के संबंध में दस्तावेजों की पुनर्प्राप्ति के लिए संबंधित के साथ लगातार बातचीत की जा रही है।

(iii) लेखापरीक्षा ने (2006 की सीएजी प्रतिवेदन सं. 12 के पैरा सं. 7.1.1) पर प्रकाश डाला था कि सिटी इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सिडको) से खरीदे गए 86 फ्लैट (1997-98) जिनका मूल्य ₹9.33 करोड़ था, उरण के बोकाडवीरा में अप्रयुक्त पड़े थे।

यह देखा गया कि सीडब्ल्यूसी ने नवंबर 2018 तक बोकाडवीरा में फ्लैटों की बिक्री के लिए तीन प्रयास किए थे, लेकिन कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

मंत्रालय ने कहा (जून 2022) कि बोकाडवीरा में फ्लैटों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है और नीलामी के माध्यम से निपटान को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसने आगे उत्तर दिया कि यह नीलामी की योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंगित करने के 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी, सीडब्ल्यूसी इन फ्लैटों का न तो उपयोग कर सका और न ही निपटान कर सका। 2018 के बाद इन फ्लैटों की नीलामी का कोई प्रयास नहीं किया गया।

4.2.9 भूमि अभिलेखों का मिलान न करना

भूमि अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि चेन्नई क्षेत्र में, कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े कुल उपलब्ध और खाली भूमि पर आरओ, चेन्नई के अभिलेखों से मेल नहीं खा रहे थे जिसका विवरण **तालिका सं. 19** मे दिया गया है। यह भूमि अभिलेखों के खराब प्रबंधन / भूमि प्रबंधन गतिविधियों पर सीडब्ल्यूसी में सामंजस्य और समन्वय की कमी को दर्शाता है।

तालिका सं. 19: आरओ चेन्नई और कॉर्पोरेट कार्यालय (सीओ) द्वारा दिए गए आंकड़ों में भिन्नता/अंतर

(एकड़ में भूमि)

स्थान	कुल भूमि		खाली जमीन		कुल भूमि में भिन्नता	खाली जमीन में बदलाव
	सीओ अभिलेखों के अनुसार (1)	आरओ, चेन्नई के अनुसार (2)	सीओ अभिलेखों के अनुसार (3)	आरओ, चेन्नई के अनुसार (4)	(5) = (1)-(2)	(6) = (3)-(4)
क्रोमपेट	28.06	28.06	0	0.45	0	(0.45)
होसुर-I	6.44	6.44	3.44	3.60	0	(0.16)
माधवरम	6.30	6.29	3.30	0	0.01	3.30
मदुरै-I	5.28	2.99	0	0	2.29	0.00
मदुरै-II	10.17	10.17	1.29	0.23	0	1.06
मन्नारगुडी	60.75	60.75	45.75	15.00	0	30.75
पोर्ट ब्लेयर	0.86	1.48	0.00	0.70	(0.62)	(0.70)
तंजावुर	63.18	62.85	42.18	21.50	0.33	20.68
त्रिची	76.81	74.81	49.81	25.50	2.00	24.31
उदुमलपेट	6.00	6.00	4.50	3.49	0.00	1.01
विरुगमबक्कम	23.66	23.66	6.25	4.00	0.00	2.25
डीपीई, तिरुवोट्टियूर	एनए	11.26	एनए	4.17	(11.26)	(4.17)
डीपीई, तूतीकोरिन	एनए	4.53	एनए	0.00	(4.53)	0.00

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (जून 2022) कि आरओ, चेन्नई के अभिलेखों के साथ कॉर्पोरेट कार्यालय अभिलेखों का मिलान किया जाएगा।

4.2.10 *निष्कर्ष*

भूमि के अधिग्रहण में अनुचित योजना, अधिशेष भूमि के अभ्यर्पण में देरी और भुगतान शुल्क के कारण सीडब्ल्यूसी ने ₹8.65 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। सीडब्ल्यूसी के पास पट्टा/स्वत्व विलेख के निष्पादन के मामले लंबित थे। बहुत पहले (पांच वर्ष या अधिक) अधिगृहीत भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य को विफल करते हुए

अनुपयोगी पड़ी हुई थी और इसके परिणामस्वरूप निधि अवरुद्ध हुई। इसके अलावा, सीडब्ल्यूसी ने न तो काफी समय से खाली पड़े फ्लैटों का निपटान किया और न ही उनका वैकल्पिक उपयोग कर सका।

4.2.11 *अनुशंसाएं*

- *सीडब्ल्यूसी लंबी अवधि (पांच वर्ष या अधिक) से खाली पड़ी भूमि के उपयोग के लिए समयबद्ध योजना तैयार करें।*
- *गोदाम/माल गोदाम के लिए भूमि के अधिग्रहण से पहले सीडब्ल्यूसी लागत प्रभावी विश्लेषण करें।*
- *सीडब्ल्यूसी को भोपाल और मुंबई में लंबे समय से खाली पड़े आवासीय फ्लैटों का निपटान करने या किसी वैकल्पिक उपयोग को निश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।*

(राजीव कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

नई दिल्ली
दिनांक: 26 सितंबर 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 28 सितंबर 2022

परिशिष्ट

परिशिष्ट -I

(विहंगावलोकन और पैराग्राफ सं. 1.4 का संदर्भ लें)

सिविल अनुदानों सहित सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के तहत सिविल मंत्रालय/विभाग

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	
1.	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
2.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	
3.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	
4.	उर्वरक विभाग
5.	औषध विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
6.	उपभोक्ता मामले विभाग
7.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
संस्कृति मंत्रालय	
8.	संस्कृति मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
9.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
विदेश मंत्रालय	
10.	विदेश मंत्रालय
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	
11.	मत्स्य पालन विभाग
12.	पशुपालन और डेयरी विभाग
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
13.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
14.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
15.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
गृह मंत्रालय (संघ शासित क्षेत्रों सहित)	
16.	गृह मंत्रालय
17.	मंत्रिमंडल
18.	पुलिस
19.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
20.	चंडीगढ़
21.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
22.	लद्दाख
23.	लक्षद्वीप
24.	दिल्ली को अंतरण
25.	जम्मू और कश्मीर को अंतरण
26.	पुदुचेरी को अंतरण
शिक्षा मंत्रालय	
27.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
28.	उच्च शिक्षा विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	
29.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय	
30.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
31.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
32.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
विधि और न्याय मंत्रालय	
33.	विधि और न्याय

34.	चुनाव आयोग
35.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
36.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय	
37.	पंचायती राज मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय	
38.	संसदीय कार्य मंत्रालय
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	
39.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
40.	केंद्रीय सतर्कता आयोग
योजना मंत्रालय	
41.	योजना मंत्रालय
राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य सभा, संघ लोक सेवा आयोग, उपराष्ट्रपति का सचिवालय और चुनाव आयोग	
42.	राष्ट्रपति के स्टाफ, घरेलू वस्तुएं एवं भत्ते
43.	लोकसभा
44.	राज्य सभा
45.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय
46.	संघ लोक सेवा आयोग
ग्रामीण विकास मंत्रालय	
47.	ग्रामीण विकास विभाग
48.	भूमि संसाधन विभाग
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	
49.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
50.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
51.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

जनजातीय कार्य मंत्रालय	
52.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	
53.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	
54.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट -II
(विहंगावलोकन और पैराग्राफ सं. 1.5 का संदर्भ लें)
2019-20 और 2020-21 के दौरान इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया गया कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2019-20			2020-21		
		अनुदान/विनियोजन #	कुल व्यय	बचतें (-)/ आधिक्य (+)	अनुदान/विनियोजन #	कुल व्यय	बचतें(-)/ आधिक्य(+)
1.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	1,38,564.09	1,02,356.45	-36,207.64	1,42,970.42	1,16,308.03	-26,662.39
2.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	2,445.82	1,833.60	-612.22	2,322.10	2,291.98	-30.12
3.	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	84,078.65	84,067.54	-11.11	1,39,856.94	1,32,540.50	-7,316.44
4.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	2,44,532.28	1,17,116.63	-1,27,415.65	4,99,113.38	5,76,822.05	77,708.67
5.	संस्कृति मंत्रालय	3,042.39	2,500.40	-541.99	3,149.87	2,143.65	-1,006.22
6.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	3,084.11	2,697.59	-386.52	3,098.73	1,895.99	-1,202.74
7.	विदेश मंत्रालय	17,884.80	17,272.06	-612.74	17,487.74	14,365.84	-3,121.90
8.	मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	4,166.08	3,794.68	-371.40	4,621.23	3,850.84	-770.39
9.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	1,196.62	845.54	-351.08	1,382.98	1,152.67	-230.31

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2019-20			2020-21		
		अनुदान/विनियोजन #	कुल व्यय	बचतें (-)/ आधिक्य (+)	अनुदान/विनियोजन #	कुल व्यय	बचतें(-)/ आधिक्य(+)
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	96,515.27	71,235.77	-25,279.50	1,45,380.83	98,316.31	-47,064.52
11.	गृह मंत्रालय	1,41,257.70	1,38,282.41	-2,975.29	1,70,861.29	1,47,287.86	-23,573.43
12.	शिक्षा मंत्रालय	1,56,776.73	1,24,457.47	-32,319.26	1,65,819.84	1,18,695.06	-47,124.78
13.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	4,375.22	4,032.36	-342.86	4,375.21	3,380.44	-994.77
14.	जल शक्ति मंत्रालय	36,071.38	33,514.49	-2,556.89	41,568.65	34,274.96	-7,293.69
15.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	11,189.24	10,085.03	-1,104.21	16,925.52	12,929.83	-3,995.69
16.	विधि एवं न्याय मंत्रालय	3,927.84	3,798.00	-129.84	3,049.01	2,244.40	-804.61
17.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	4,760.03	4,505.10	-254.93	5,029.01	3,998.57	-1,030.44
18.	पंचायती राज मंत्रालय	871.37	498.27	-373.10	900.96	686.27	-214.69
19.	संसदीय कार्य मंत्रालय	42.62	18.9	-23.72	50.52	28.98	-21.54
20.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	1,829.68	1,703.32	-126.36	1,864.34	1,681.50	-182.84
21.	योजना मंत्रालय**	605.59	574.03	-31.56	770.02	749.30	-20.72
22.	राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य सभा, संघ	1,613.26	1,411.31	-201.95	1,641.01	1,265.57	-375.44

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	2019-20			2020-21		
		अनुदान/विनियोजन #	कुल व्यय	बचतें (-)/ आधिक्य (+)	अनुदान/विनियोजन #	कुल व्यय	बचतें(-)/ आधिक्य(+)
	लोक सेवा आयोग, उपराष्ट्रपति का सचिवालय और चुनाव आयोग						
23.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	2,10,101.28	2,06,369.87	-3,731.41	3,47,206.80	3,37,353.25	-9,853.55
24.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	3,039.24	2,407.83	-631.41	3,002.22	2,632.44	-369.78
25.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	10,089.99	9,754.59	-335.40	11,428.99	9,098.47	-2,330.52
26.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	7,340.18	7,327.67	-12.51	7,411.01	5,494.64	-1,916.37
27.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	29,669.94	23,179.84	-6,490.10	30,512.11	19,244.03	-11,268.08
28.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	2,776.93	2,707.15	-69.78	2,826.97	1,787.83	-1,039.14
कुल		**12,21,848.33**	**9,78,347.90**	**-2,43,500.43**	**17,74,627.70**	**16,52,521.26**	**-1,22,106.44**

*स्रोत: केंद्र सरकार विनियोग लेखा (सिविल) **2019-20** और **2020-21** # अनुदान/विनियोजन=बजट अनुमान+अनुपूरक*

***$** में दो विभाग शामिल हैं अर्थात् उर्वरक विभाग और औषध विभाग*

**भारत का सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग शामिल है*

***नीति आयोग शामिल है*

परिशिष्ट -III

(पैराग्राफ सं. 1.8 का संदर्भ लें)

सामान्य और सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत पीएसई/पीएसयू

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	
1.	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
2.	गंगावती शुगर्स लिमिटेड
3.	कर्नाटक मीट एण्ड पॉल्ट्री मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड
5.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	
6.	इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	
(ए) उर्वरक विभाग	
7.	ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड
8.	एफएसीटी- आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
9.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड
10.	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड
11.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12.	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड
13.	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
14.	नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
15.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
16.	रामागुंडम केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
17.	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड
18.	उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड
19.	तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड
20.	उर्वरक विदेश लिमिटेड
(बी) औषध विभाग	
21.	बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
22.	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
23.	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
24.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
25.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुरुग्राम
26.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, चेन्नई
27.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
28.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
29.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
30.	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
31.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
32.	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
33.	सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड
34.	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
35.	भारतीय खाद्य निगम
36.	हिंदुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड
37.	नालंदा सिरेमिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
38.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड
39.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम ट्रस्टी कैपिटल लिमिटेड
40.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम वेंचर कैपिटल लिमिटेड
41.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
42.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
शिक्षा मंत्रालय	
43.	एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
44.	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी
वित्त मत्रांलय	
45.	कृषि वित्त निगम लिमिटेड (एएफसी इंडिया लिमिटेड)
46.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	
47.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
48.	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
49.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड
50.	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड
51.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
52.	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड
53.	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड
गृह मंत्रालय	
54.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम
55.	अंडमान फिशरीज लिमिटेड
56.	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड
57.	चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
58.	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम
59.	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड
60.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव एससी / एसटी ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड
61.	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
62.	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
63.	कवरत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड
64.	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड
65.	लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
66.	एनडीएमसी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड
67.	दमन और दीव सर्वग्राही औद्योगिक विकास निगम और दादरा और नगर हवेली लिमिटेड
68.	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड
69.	सुरक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान संघ
70.	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	
71.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
72.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग
जल शक्ति मंत्रालय	
73.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
74.	वैपकोस (इंडिया) लिमिटेड
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
75.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
76.	राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	
77.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
78.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
79.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
80.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
81.	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनैंस एण्ड डिवैल्पमेंट कॉर्पोरेशन
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
82.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

परिशिष्ट -IV

(पैराग्राफ सं. 1.10 का संदर्भ लें)

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्रतीक्षित/पत्राचाराधीन कार्रवाई टिप्पणियों (31 मार्च 2022 तक) की विस्तृत स्थिति

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	मार्च को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट	बकाया	प्राप्त नहीं	पत्राचार के तहत
1.	कृषि और किसान कल्याण	2021	1	1	0
2.	औषध विभाग	2018	1	1	0
3.	विदेश	2019	3	2	1
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2014	1	0	1
5.	गृह	2019	2	0	2
6.	जल शक्ति	2017	1	0	1
		2018	2	0	2
7.	ग्रामीण विकास	2020	1	0	1
8.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2006	1	0	1
		2017	1	1	0
9.	युवा कार्यक्रम और खेल	2012	1	0	1
		2019	1	0	1
कुल			**16**	**5**	**11**

परिशिष्ट -V

(पैराग्राफ सं. 1.10 का संदर्भ लें)

वर्षवार लंबित एटीएन
31 मार्च 2022 तक बकाया कार्रवाई टिप्पणियाँ
(विधायिका रहित संघ शासित क्षेत्र)

क्र.सं.	यूटी के नाम	मार्च को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट	बकाया	अभी तक प्राप्त नहीं	पत्राचार के तहत
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2018	1	0	1
		2019	1	1	0
2.	चंडीगढ़	2018	5	1	4
		2019	1	0	1
3.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2018	2	0	2
		2019	2	2	0
4.	लक्षद्वीप	2014	1	0	1
		2018	1	0	1
		2019	1	0	1
कुल			**15**	**04**	**11**

परिशिष्ट -VI

(पैराग्राफ सं. 1.11 का संदर्भ लें (तालिका सं. 5))

पीएसयू/सांविधिक निगम के संबंध में अधिक भुगतान/अस्वीकार्य भुगतान से वसूल की गई राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/वसूली के तहत/ अस्वीकार्य भुगतान	अधिक भुगतान की राशि / भुगतान के तहत / अस्वीकार्य भुगतान जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है	वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षिती संगठन द्वारा वसूल की गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
2019-20						
1.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	वसूली के तहत	84.83	9.30	एफसीआई, डीओ, भटिंडा में फसल वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए ₹ 84.83 करोड़ मूल्य के 51936 मीट्रिक टन लेवी चावल की कम सुपुर्दगी। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
1.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	वसूली के तहत	0.35	1.45	एफसीआई, डीओ, भटिंडा में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन या निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) के किराए के गोदामों के दुरुपयोग या असामान्य भंडारण हानि के कारण असामान्य भंडारण हानि की कम वसूली और ₹ 0.35 करोड़ के भंडारण शुल्क की गैर-वसूली हुई। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
2.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.9	0.9	एफसीआई, डीओ, करीमनगर में बोरियों की कीमत के लिए अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/वसूली के तहत/ अस्वीकार्य भुगतान	अधिक भुगतान की राशि / भुगतान के तहत / अस्वीकार्य भुगतान जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है	वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षिती संगठन द्वारा वसूल की गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
3.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	7.95	7.95	एफसीआई, डीओ, करीमनगर में तेलंगाना राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को निगरानी और रखरखाव शुल्क का भुगतान, लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने वसूली की है।
4.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.11	0.11	एफसीआई, डीओ, करीमनगर द्वारा उपयोग शुल्क का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
5.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.9	0.9	एफसीआई, डीओ, करीमनगर में आंध्र प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (एपीएससीएससीएल) द्वारा वितरित सीएमआर चावल के संबंध में ब्याज एवं निगरानी और रखरखाव शुल्क के लिए अतिरिक्त भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
6.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	3.65	3.65	एफसीआई, डीओ, वारंगल द्वारा एपीएससीएससीएल को भुगतान किए गए मंडी श्रम शुल्क के लिए अतिरिक्त भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
7.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	9.37	9.37	एफसीआई, डीओ, वारंगल में 2014-15 से 2017-18 की अवधि के लिए कस्टडी एंड मेंटेनेंस (सीएंडएम) प्रभारों की वसूली न होना। लेखापरीक्षा अवलोकन को देखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/वसूली के तहत/ अस्वीकार्य भुगतान	अधिक भुगतान की राशि / भुगतान के तहत / अस्वीकार्य भुगतान जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है	वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षिती संगठन द्वारा वसूल की गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
8.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	3.4	3.4	एफसीआई, डीओ, निजामाबाद में केएमएस 2017-18 में पिछले फसल वर्ष में बोरियो के उपयोग पर अस्वीकार्य भुगतान जारी करना। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
9.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	2.24	2.24	एफसीआई, डीओ, निजामाबाद में टीएससीएससीएल को सी एंड एम शुल्क का अस्वीकार्य भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
10.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	33.39	33.39	एफसीआई, डीओ, निजामाबाद में टीएससीएससीएल को मिलिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति। लेखापरीक्षा अवलोकन को देखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
11.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	0.04	0.04	एफसीआई, डीओ, तरनाका में रेलवे द्वारा लगाए गए विलंब शुल्क पर सेवा कर का अनियमित भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
12.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	0.11	0.11	एफसीआई, डीओ, कपूरथला में आरएमएस 2012-13 की अंतिम दरों के संशोधन के लिए भंडारण शुल्क का अस्वीकार्य भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
13.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	वसूली के तहत	0.43	0.43	एफसीआई, डीओ, कपूरथला में आरएमएस 2012-13 के सीएपी में भंडारित स्टॉक के संबंध में भंडारण प्रभारों पर ब्याज की वसूली न होना। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/वसूली के तहत/ अस्वीकार्य भुगतान	अधिक भुगतान की राशि / भुगतान के तहत / अस्वीकार्य भुगतान जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है	वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षिती संगठन द्वारा वसूल की गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
14.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	वसूली के तहत	8.82	13.04	एफसीआई, डीओ, कपूरथला में आरएमएस 2007-08 और 2008-09 की अंतिम दरों के निर्धारण पर भंडारण शुल्क (सीएपी) के कारण ₹8.82 करोड़ की गैर वसूली। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
15.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	0.89	0.89	एफसीआई, डीओ, कपूरथला में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन/पीईजी सैडोवाल के संबंध में वास्तविक उपयोग के आधार पर क्षमता अधिग्रहण हेतु ₹ 0.89 करोड़ के गोदाम के किराए का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
1.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	वसूली के तहत	राशि निधारित नहीं	0.10	एफसीआई, डीओ कपूरथला में किराए के गोदामों में एफसीआई द्वारा भंडारित खाद्यान्नों का गैर उपक्रम रासायनिक परीक्षण। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
2.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.01	0.01	एफसीआई, डीओ, कपूरथला में वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 4.15 प्रति बोरी प्रति माह से दरों को संशोधित कर ₹ 4.30 प्रति बोरी करने पर सैदोवाल गोदाम के संबंध में पीएसडब्ल्यूसी को भंडारण शुल्क का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
3.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	वसूली के तहत	0.15	0.15	एफसीआई, डीओ, रोहतक में पीईजी गोदामों में ब्लैक टॉपिंग का काम पूरा न करने पर जुर्माने के अधिरोपण के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/वसूली के तहत/ अस्वीकार्य भुगतान	अधिक भुगतान की राशि / भुगतान के तहत / अस्वीकार्य भुगतान जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है	वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षिती संगठन द्वारा वसूल की गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
4.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.90	0.90	एफसीआई, डीओ, फरीदाबाद में पीईजी योजना के उल्लंघन में नोडल एजेंसी को पर्यवेक्षण शुल्क के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकन को देखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
2020-21						
5.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	0.04	0.03	एफसीआई, डीओ, अगरतला में प्रभारित शुल्क की गलत गणना के कारण अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
6.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.05	0.16	एफसीआई, डीओ, नादिया में सीएमआर को संभालने के कारण एच एंड टी ठेकेदारों को अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
7.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	0.52	0.13	अप्रैल 2014 से जून 2015 के दौरान एफसीआई, डीओ, जयपुर में एफसीआई द्वारा किए गए ₹ 0.52 करोड़ के दंडात्मक शुल्क के लिए अस्वीकार्य भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने वसूली की है।
8.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	10.56	0.24	एफसीआई, आरओ, देहरादून में चीनी एचडीपीई/पीपी बोरियो के उदग्रहण के कारण चीनी मिलों को किया गया अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/वसूली के तहत/ अस्वीकार्य भुगतान	अधिक भुगतान की राशि / भुगतान के तहत / अस्वीकार्य भुगतान जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है	वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षिती संगठन द्वारा वसूल की गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
9.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	वसूली के तहत	5.10	5.10	एफसीआई, डीओ, कपूरथला में केएमएस 2009-10 और केएमएस 2010-11 की जूट बोरियों की लागत की गैर-वसूली। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
10.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	वसूली के तहत	राशि निधारित नहीं	6.83	एफसीआई, डीओ, गुरदासपुर में आरएमएस 2012-13 की अंतिम दरों में संशोधन के कारण भंडारण शुल्क की गेट वसूली। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
11.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	0.10	3.57	एफसीआई, डीओ, चंडीगढ़ में आरएमएस 2005-06 से आरएमएस 2006-07 की अंतिम दरों के संशोधन पर भंडारण शुल्क का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
12.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	0.42	0.56	एफसीआई, डीओ, लुधियाना द्वारा पर्यवेक्षण शुल्क का अनुचित भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
13.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	1.84	1.84	एफसीआई, डीओ, पटियाला में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को भुगतान किए गए भंडारण शुल्क का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	अधिक भुगतान की प्रकृति/वसूली के तहत/ अस्वीकार्य भुगतान	अधिक भुगतान की राशि / भुगतान के तहत / अस्वीकार्य भुगतान जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है	वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षिती संगठन द्वारा वसूल की गई राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति एवं मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
14.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	वसूली के तहत	0.96	0.96	एफसीआई, डीओ, अमृतसर में आरएमएस 2012-13 की दरों के अंतिमीकरण पर खरीद आकस्मिकताओं की गैर-वसूली। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
15.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अस्वीकार्य भुगतान	7.05	7.05	एफसीआई, डीओ, उज्जैन में स्टॉक की आवाजाही में देरी के कारण मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को अग्रनयन शुल्क के लिए अस्वीकार्य भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
16.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	17.35	24.08	एफसीआई, आरओ, मुंबई में आरएमएस 2019-20 के लिए मंडी शुल्क की उच्च दर बढ़ाने के कारण राज्य सरकार की एजेंसियों को अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन ने वसूली की है।
17.	भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	अधिक भुगतान	2.76	2.47	आरओ, रायपुर में एक ही कार्य के लिए कई कार्य पर्ची जारी करने के कारण एच एंड टी ठेकेदार को ₹ 2.76 करोड़ का अधिक भुगतान। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 0.02 करोड़ और 2019-20 में ₹ 2.45 करोड़ की वसूली की है।
कुल				**205.19**	**141.35**	

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in